कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक / बैठक / 2012 / DCE / 1802 - 11 / 1943 - 993 दिनांक : 7 महे. 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोघपुर विकास प्राधिकरण, जोघपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 22 मई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 का कार्यवाही विवरण पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 : विकास कार्यों के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या 2 (1) ः एम.एन. अरोड़ा सर्किल के समीप विमिन्न Ornament work

एम.एन. अरोड़ा सर्किल के समीप विभिन्न Ornament work की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 7.80 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (7-80+21-20+2-62) = रू. 31.62 लाख रूपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार–विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण समिति समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (2) ः प्राधिकरण में नये कार्यालय भवन का विस्तार

कार्यालय भवन में नागरिक सुविधा केन्द्र एवं विस्तार की पूर्व में रू. 453.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती जारी की गई। पूर्व में भूतल पर नागरिक सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिये रू. 50.00 लाख की निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिया गया। संवेदक द्वारा गैराज स्थल पर पूर्व निर्मित भवन को तोडा गया एवं मंदिर एवं हॉल का निर्माण किया गया। दिनांक 10.05.2011 की प्राधिकरण की बैठक में हुए निर्णय अनुसार भूतल + 7 मंजिला भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया। उसी अनुसार कन्सलटेंट द्वारा डी. पी.आर. तैयार की गई एवं मानचित्र बनाये गये। तहखाना भूतल + 7 मंजिला भवन निर्माण के लिये रू. 25.00 करोड की लागत आयेगी। जिसमें सिविल कार्य विद्युतीकरण

1

ए.सी. की लागत शामिल है। आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय अनुसार तहखाना + भूतल + 2 मंजिला भवन का निर्माण प्रथम चरण में किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर अनुमानित व्यय रू. 9.25 करोड आयेगी। जिसमें कन्सलटेंसी चार्ज सम्मिलित है। भवन विस्तार के लिये इस वितीय वर्ष में रू. 5.00 करोड का प्रावधान किया है। अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती रू. 9.25 करोड रूपये हेतु प्रकरण समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बेसमेंट के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बढ़ते भू-जला स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 (3) ः ग्रीन गेट चौराहा, जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुए वायु सेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सडक चौडा करने का कार्य

ग्रीन गेट चौराहा, जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुए वायु सेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सड़क चौड़ा करने का कार्यादेश रू. 4848767/— का दिया गया। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 10.10.2011 व पूर्ण करने की तारीख 09.04.2012 है। इस कार्य में सड़क के मध्य डिवाइडर लगाकर टोप लेयर के रूप में एम.एम.एस. कार्य किया जाना शेष है। पूर्व में ग्रीन गेट चौराहा से जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुए वायु सेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सम्पूर्ण सड़क पर डिवाईडर लगाने का कार्य का कार्यादेश मैसर्स दुर्गा कन्सट्रक्सन कम्पनी को रू. 1031950/— का जारी किया गया था। इस कार्य की समयावधि दिनांक 16.01.2011 से 15.05.2011 तक थी। मैसर्स दुर्गा कन्सट्रक्सन कम्पनी द्वारा पूर्व में लगभग आधे भाग में सड़क पर डिवाईडर का कार्य 25.03.2011 तक रू. 384584 का पूर्ण किया गया। शेष कार्य सड़क निर्माण नहीं होने से डिवाईडर का कार्य नहीं हो सका। समायावधि पूर्ण होने के पश्चात् इस कार्य का अन्तिम बिल पारित किया गया।

सडक के मध्य डिवाईडर लगाने के पश्चात् डै का कार्य किया जाना है। अतः मौके की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह कार्य मैसर्स प्रिया कन्सट्रक्सन के अनुबन्ध में नहीं होने के कारण यह कार्य अतिरिक्त होगा। अतः अतिरिक्त कार्य की लागत रू. 22.23 लाख आयेगी। जो कि आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली में स्वीकृत है। अतः मैसर्स प्रिया कन्सट्रक्सन कम्पनी को दिये गये कार्यादेश राशि के अतिरिक्त राशि रू. 22.23 लाख की स्वीकृती हेतु प्रकरण समिति के समुख प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार अतिरिक्त राशि रूपये 22.23 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति दिये जाने तथा पूर्व में दिये गये कार्यादेश में अंकित दरों पर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (4) ः जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर रोड फर्निचर लगाने का कार्य संवेदक मैसर्स रूपा कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर

उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती रू. 95.00 लाख की जारी है। कार्यादेश रू. 77.05 लाख का जारी किया गया। जोधपुर शहर में चार पहिया वाहनों, दुपहिया वाहन की संख्या में बढोतरी एवं यातायात दबाव एवं बढती दुर्घटना के कारण शहर की सडको पर सूचना पट्ट, स्पीड ब्रकेर लगाने के लिये जनप्रतिनिधियों एवं उप अधीक्षक यातायात की मांग पर लगाया जाना प्रस्तारित है। कार्य की संशोधित प्रशासनिक

1

एवं वितीय स्वीकृती रू. 111.04 लाख की अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी की गई। अतः अधिक आईटम की स्लीप रू. 63,51,000/- की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोंक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि अब भविष्य में प्लास्टिक के स्पीडब्रेकर नहीं लगवाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 (5) ः विवेक विहार योजना में नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति बाबत


जोधपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक बजट वर्ष 2012—13 में विवेक विहार योजना में विभिन्न विकास कार्य हेतु कुल रूपये 88.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना में भुखण्डों के आवंटन का कार्य प्रगति पर है तथा योजना में लगभग 80 प्रतिशत सड़कों के डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। योजना के समग्र विकास की आवश्यकता को महेनजर रखते हुए 8 कार्यों के तकमीने रूपये 2339.00 लाख के बनाये जाकर प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
क्र.सं.	विकेक विद्यार गोजना के विभिन्न सेक्टरों में शेष रही	174.00
1.	डब्ल्यू.बी.एम. सड़को का निर्माण कार्य। (30'- 40' Wide)	
2.	विवेक विहार योजना में शेष रही 60 चाडा सड़क का	40.00
2.	विर्माण कार्य मय दामरीकरण का कार्य।	
3.	विवेक विहार योजना की शेष रही मुख्य सड़का का	378.00
	िर्माण कार्र मग डामरीकरण का कार्य।	45.00
4.	विवेक विहार योजना में निर्माणाधीन नाले को	45.00
	इकोलोजिकल पार्क तक बढाने का कार्य।	697.00
5.	क्रिक विराय गोजना में निर्मित डब्ल्य बाएम सड़का पर	097.00
	(60' से 160' चौड़ी सड़को) पर डामरीकरण का कार्य।	700.00
6.	विवेक विहार योजना के पार्की एवं सामुदायिक स्थलों	
	की चार दीवारी निर्माण का कार्य। विवेक विहार योजना में मुख्य सड़को पर डिवाईडर का	166.00
7.		
	कार्य। विवेक विहार योजना के सेक्टर B,F,G,H व O के	139.00
8.	प्राकृतिक रूप से अवस्थित खड्डो में मिट्टी फिलिंग	
	प्राकृतिक लप स जपारवत वर्ग	
	का कार्य। योग	2339.00

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 7 तक के कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा बिन्दु संख्या 8 में अंकित कार्य के तक के कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी संबंध में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों में अंकित डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में निदेशक—अभियांत्रिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं तद्नुसार सचिव, आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 2 (6)

ः विवेक विहार योजना में सीवर लाईन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति बाबत्।



विवेक विहार योजना के विकास हेतु सीवर लाईन डालने का कार्य अति आवश्यक है। इस कार्य हेतु तकमीना रूपये 3000.00 लाख का बनाया गया है। रूपये 3000.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। वित्तिय वर्ष 2012-13 में इस योजना में सीवर लाईन डालने हेतु रूपये 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

: राजकीय डिस्पेन्सरी चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के सेक्टर प्रस्ताव संख्या 2 (7) 15 में भवन विस्तार कार्य

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 6 मार्च, 2012 में उक्त कार्य में अधिक कार्य रूपये 1,12,177.78 अतिरिक्त कार्य रूपये 6,95,420.50 व समयाविध दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 तक करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। बैठक में निदेशक-वित्त, अधीक्षण अभियन्ता, श्री राकेश शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, श्री आलोक मालवीय अधिशाषी अभियन्ता की एक समिति का गठन कर रिपोर्ट निर्णय हेतु सचिव के मार्फत आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया हैं। अतः कमेटी की रिपोर्ट कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस तरह की पुनार्वृति नहीं हो।

पहाडगंज द्वितीय में सीवर लाईन के लिए किये गये अधिक कार्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रस्ताव संख्या 2 (8) स्वीकृति का अनुमोदन। संवेदक मैसर्स एन.एम. कन्स. कम्पनी

पहाडगंज द्वितीय में सीवर कार्य के लिये प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू. 27.25 लाख की कार्य समिति की बैठक दिनांक 21.07.2009 का आदेश क्रमांक / बैठक / 2009 / 60 दिनांक 28.07.2009 से जारी की गई। सीवर लाईन का निष्पादन राजमाता विजयराजे सिधिया कृषि उपज मण्डी समिति में मदेरणा कॉलोनी की तरफ था मण्डी समिति की बैठक दिनांक 19.03.2010 के आदेश क्रमांक प6() मसअजो/आवंटन/मु.मं./2009-10/8991-99 दिनांक 20.03.2010 के अनुसार सीवर लाईन डालने की स्वीकृती एवं पूर्ण सडक मरम्मत करने पर प्राप्त हुई। जिस पर अतिरिक्त स्वीकृती रू. 27.52 लाख की 31.12.2010 को आयुक्त महोदय द्वारा की गई। कार्य की कुल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृती रू. 54.77 लाख की जारी हुई है।

मण्डी परिसर में सड़क मरम्मत करवानी आवश्यक थी। सीमेन्ट सड़क से मरम्मत कर कार्य किया गया। मण्डी परिसर में सीवर लाईन की लम्बाई 670 मीटर है। कार्य पर कुल लागत रू. 60.05 आयी। जबिक स्वीकृती रू. 54.77 लाख की है। अतः अतिरिक्त राशि रू. 5.28 लाख की आवश्यकता है। कार्य की अतिरिक्त स्वीकृती के कारण मूल तकमीने से अधिक आईटम की रू. 31,36,408.71 का हुआ। जिसकी स्वीकृती अपेक्षित है। अतः प्रकरण संशोधित स्वीकृती एवं अधिक आईटम की स्वीकृती हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 2 (9) :: Supply of Recron 3s (a secondary reinforcement) material.

Construction of RoB at LC No. C-7 (Bhadwasia RoB) is in progress. Presently the E/W activity for foundations is being done at site. As per approved GAD, the bridge bears 18 piers. These are of mass concrete of high strength (M 35 grade) works. Looking to seasonal variations the mass concrete faces a general probability of development of Shrinkage induced crakes & Micro cracks. The Recron 3s (A Reliance Industries Limited product) is of Polyester fibrous a secondary nature material triangular in shape, which helps/adds to improve various physical properties of the concrete. PWD is also using this material for the construction of CC roads. (Copy of the NIT is enclosed for ready reference.) The RoBs are of long-life structures, & the major work is Structural work in Mass concrete i.e these are major concrete work. It is proposed to use the product in concrete work.

Presently, the E/W for foundation for Abutment (A1) on National Highway 65 is in progress. As per approved Design, the Qty of foundation concrete is about 150 Cum (11.60mx7.20mx1.8m). This is a huge quantity. As per guidelines of manufacturer, the proposed/ recommended Dosage rate is 900 gms per cum of concrete. As such the quantity required for one foundation is about 135 Kg. As per information collected from market, expected cost of the product is about Rs. 380/- per kg, i.e. the cost for one foundation is about Rs. 51300/- only. As per approved GAD, NH-65 side has got SIX piers. Thus the amount required for Six foundation's is about 3.08 lacs only, and around same amount shall be for the piers & Pier caps. Thus it is requested to kindly consider issuing an A&F for Rs. 6.50 lacs for the purchase/supply from authorised dealers/Distributor's (not more than 4 months old) of Recron 3s as a secondary reinforcing material for NH 65 side of RoB.

बैठक में बाद विचार विमर्श अधिशाषी अभियन्ता श्री राकेश शर्मा को निर्देश दिये कि वे एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज की प्रयोगशाला से दोनों प्रकार की सामग्री अर्थात् एम.35 प्लस रिकार्न एवं केवल एम 35 रिकार्न की स्ट्रैंथ का तुलनात्मक विश्लेषण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ताकि आवश्यकतानुसार ही उक्त आईटम के कय करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। समिति में अवगत कराया गया कि वांछित रिपोर्ट अभी भी अप्राप्त है। अतः प्रकरण वांछित रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (10) ः विलम्ब से कार्यादेश दिये जाने की पुष्टि।

कं.सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	निविदा सं. व कार्यादेश का	विशेष विवरण
				5

विवरण
1 ब्रहमपुरी स्थित राजेन्द्र नालेश्वर महादेव महिद के सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के निर्माण का कार्य के निर्माण का कार्य के स्थल स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के निर्माण का कार्य के निर्माण का कार्य के स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के निर्माण का कार्य के स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के निर्माण का कार्य के स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के निर्माण का कार्य के स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (11) :: मदवासिया स्कूल के पीछे से माता का थान तक दो लेन

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार होली पर्व पर निकलने वाली राव जी के रास्ते में सड़क का कार्य होली से पूर्व करवाया जाना था। यह कार्य भदवासिया स्कूल के पीछे से माता का थान तक दो लेन सड़क का निर्माण कार्य के साथ कराने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये थे। निर्देशानुसार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। आयुक्त महोदय द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त कार्य का संशोधित तकमीना तैयार कर रू. 200.00 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। जिसमें अतिरिक्त कार्य रूपये 19,54,106.52 व अधिक कार्य रू. 8497020.10



तथा समय में अवधि दिनांक 15.03.2012 तक बढ़ाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (12)

जोधपुर शहर के शेष एवं नवीन विकसित क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु कन्सलटेन्सी का कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत। संवेदक मैसर्स एन.के. बिल्डकॉन

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर शेष एवं नवीन विकसित क्षेत्रो में सीवरेज सिस्टम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य का कार्यादेश मैसर्स एन.के. बिल्डकॉन जयपुर को अधिशाषी अभियंता (उतर) के द्वारा कार्यादेश क्रमांक 671 दिनांक 09.09.2010 के अन्तर्गत जारी किया गया। इस कार्यादेश के अनुसार कन्सलटेंट को फाईनल अनुमोदित डी.पी.आर. में सम्मिलित प्रोजेक्टस् की अनुमानित लागत का 0.68 प्रतिशत राशि के अनुसार भुगतान देय होगा।

निवदा की शर्तों के अनुसार 'स्कॉप ऑफ वर्क' के अन्तर्गत जोघपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों का सीवरेज मास्टर प्लान बनाया जाना प्रस्तावित था। इस कार्य के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों को मोटे रूप से चार क्षेत्रों (उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम) में विभाजित किया गया, जिसके अन्तर्गत पूर्व में विकसित एवं नविकसित लगभग 25 हजार हैक्टैयर चिन्हित भूखण्ड में से लगभग 18 हजार हैक्टैयर भूमि का सर्वे किया गया, लगभग 1300 किमी लम्बाई में टोटल स्टेशन द्वारा सर्वे कर 300 टी.बी.एम. (अस्थायी बेन्च मार्क) तथा 40 पी.बी.एम. (स्थायी बेन्च मार्क) स्थापित किये गये। इसी प्रकार 200 किमी लम्बाई में पूर्व में डली हुई सीवर लाईनों के लेवल लेकर नई लाईनों से मिलाये गये। 'स्कॉप ऑफ वर्क' में प्रस्तावित क्षेत्रों को नियत करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.11.2010 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जोधपुर के नये विकसित एवं शेष रहे क्षेत्रों को डी.पी.आर. में सम्मिलित किया जावें तथा बैठक में ही विभिन्न डिजाईन पेरा मीटर, सीवर उत्पादन, जनसंख्या आंकलन आदि मापदण्ड भी तय किये गये।

कन्सलटेंट द्वारा दिनांक 25.10.2010 को डी.पी.आर. की "इनसेप्शन रिपोर्ट" प्रस्तुत की गई जिसमें कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तावित कार्यो एवं प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग रूपये 600.00 करोड़ बताई गई। प्रारम्भ में इस कार्य की रूपये 50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। अनुबन्ध के अनुसार "इनसेप्शन रिपोर्ट" के अनुमोदन पश्चात कन्सलटेंट को दिनांक 02.12.2010 को कार्यादेश राशि का 10 प्रतिशत प्रथम रिनंग बिल के रूप में भुगतान किया गया। कन्सलटेंट द्वारा सर्वे डेटा प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत एवं ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 40 प्रतिशत भुगतान दिनांक 22.04.2011 एवं 27.05.2011 को किया गया है।

कन्सलटेंट द्वारा फाईनल डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा जॉच कर डी.पी.आर में किमयों के सम्बन्ध में कन्सलटेंट को अवगत करवाया गया। कन्सलटेंट द्वारा इन किमयों को दूर करते हुए फाईनल एवं संशोधित डी.पी.आर दिनांक 27.04.2011 को प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार डी.पी.आर में सिम्मिलित परियोजनाओं (केंवल सीवर लाईन के कार्य) की अनुमानित लागत रू. 450.16 करोड़ दर्शाई गई। परियोजना में सिम्मिलित कार्यों का तकिमना आर.यू.आई.डी.पी.—बी.एस.आर. 2008 के

W.

आधार पर बनाया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्यादेश राशि 0.68 प्रतिशत के अनुरूप रूपये 306.108 लाख बनती है।

नगर निगम जोधपुर द्वारा पत्र क्रमाक 687 दिनांक 02.05.2012 के माध्यम से मैसर्स एन.के. बिल्डकॉन जयपुर द्वारा इसी कार्यादेश के अन्तर्गत नवीन प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रमशः 50 एमएलडी क्षमता का ग्राम सालावास जोधपुर (द्वितीय चरण) एवं 40 एमएलडी क्षमता का ग्राम बासनी बेन्दा में निर्माण करने हेतू डी.पी.आर. बनवाने हेत् निवेदन किया है। इस पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि डी.पी.आर में व्यय होने वाली राशि का पुनः भरण नगर निगम जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को कर दिया जायेगा। 90 एमएलडी क्षमता के एस.टी.पी. की अनुमानित परियोजना लागत रूपये 90.00 करोड आंकी गई है। कन्सलटेंट द्वारा डी.पी.आर. बनाने एवं निर्माण के दौरान एस.टी.पी. के डिजाईन की स्वीकृति एवं अनुमोदन आदि करने के कार्य की अतिरिक्त लागत कार्यादेश अनुसार रूपये 61.20 लाख (0.68 प्रतिशत) आती है। सीवर लाईन के कार्यों की फाईनल डी.पी.आर. (रूपये 450.16 करोड) एवं 90 एमएलडी क्षमता के एसटीपी की डी.पी.आर. (रूपये 90 करोड़) को सिम्मलित करते हुए इस कार्य की संशोधित कार्यादेश राशि रूपये 367.31 लाख बनती है। पूर्व में इस कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति रूपये 276.42 लाख की आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जा चुकी है। मौखिक निर्देशानुसार कन्सलटेंट द्वारा एस.टी.पी. की डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 367.31 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति में समक्ष प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया। नगर निगम, जोधपुर द्वारा बनाये जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की डी.पी.आर. के संबंध में होने वाला व्यय नगर निगम, जोधपुर द्वारा वहन किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 2 (13) ः जोघपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विकास परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट साग्रमी / मशीन / उपकरण आदि का मैसर्स राईटस् (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का क्रियान्वन किया जाता है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्यतः पुल निर्माण, सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, शहरी विद्युतीकरण कार्य आदि किया जाता है। इन परियोजनाओं मे प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट सामग्री/मशीन /उपकरणो आदि की गुणवता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह उचित रहेगा कि विशिष्ट सामग्री/ मशीन/उपकरणो आदि प्राधिकरण कार्यस्थल में उपयोग से पूर्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म की फेक्ट्री में ही थर्ड पार्टी निरीक्षण संस्था द्वारा तकनिकी मापदण्डो के अनुसार तकनिकी परीक्षण/टेस्टिंग/निरीक्षण आदि कर लिये जावें एवं तकनिकी मापदण्डो में खरी उतरने वाली विशिष्ट सामग्री/मशीन/उपकरणों आदि की आपूर्ति की अनुमति थर्ड पार्टी निरीक्षण संस्था द्वारा जारी करने पर ही कार्यस्थल पर प्राप्त हो। इस प्रकार का प्रावधान राज्य सरकार की बहु प्रतिष्ठित परियोजना आर.यू.आई.डी.पी. में गत 10 वर्षों से अधिक समय से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण के विकास परियोजनाओं में गुणवता को सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण कार्यसमिति बैठक में अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ताकि इस प्रकार का निरीक्षण प्राधिकरण की विभिन्न विकास परियोजनाओं में लागू किया जा सके।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 (14) ः यूआईडीएसएसएमटी योजना के अन्तर्गत पैकेज UIDSSMTS/JOD/ WW-01-Lot-1 में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत। संवेदक का नाम :— मैसर्स यूई.एम. इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

राज्य सरकार द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजना के अन्तर्गत सीवर लाईन व्यवस्था एवं घरो से कनेक्शन एवं एसटीपी हेतु 61.17 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की हुई। जिसमें सीवर लाईन के कार्य की स्वीकृति 26.91 करोड रूपये की है। पूर्व में यह कार्य आरयूआईडीपी द्वारा किया गया। चूिक यह कार्य सितम्बर 2009 के बाद राज्य सरकार के आदेशानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 125 किमी सीवर लाईन का कार्य किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मौका निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के तहत भदवासिया जोन में अतिरिक्त सीवर लाईन डालने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक 17.02.2012 के आदेश क्रमांक 2012/1882 दिनांक 06.03.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार इस प्रकरण के लिये एक समिति गठित गई। गठित समिति द्वारा दिनांक 17.04.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

दिनांक 18.04.2012 को अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रूपये 33,18,34251.20 की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। अतः कार्यकारी समिति की बैठक में पुष्टि हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय

लिया गया। प्रस्ताव संख्या 2 (15) ः जोघपुर विकास प्राधिकरण एवं तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा 90—बी के तहत विभिन्न कॉलोनियों में मूलमूत सुविधाओं के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं तत्कालिन नगर विकास न्यास द्वारा 90—बी के तहत विभिन्न कॉलोनिया स्वीकृत की गई। इन कॉलोनियों में पट्टाधारियों द्वारा मकान बनाये जा रहे है। लेकिन इन कॉलोनियों में मुलभुत सुविधाओं का अभाव है। विद्युत प्रदाय देने एवं रोड लाइटों हेतु लगातार निवेदन प्राप्त हो रहे है।

प्रथम उक्त कॉलोनियों में पेरीफेरीयल चार्जेज जो जमा किये गये है, के अन्तर्गत उस कॉलोनी तक 11 के.वी. लाईन एवं ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत प्रदाय उपलब्ध करवाना होता है। निवेदनकर्ताओं की पत्राविल सम्बन्धित उपायुक्त को भेज कर कॉलोनी स्वीकृत है अथवा नहीं की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तथा उस कॉलोनी के नियमन में कितनी राशि जमा हुई है कि जानकारी प्राप्त कर Estimate बनाकर वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करवाया जाता है। लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण

तत्कालिन नगर सुधार न्यास में उक्त कॉलोनी में कितना पैसा जमा हुआ है का रजिस्टर संघारित्र नहीं होने के अभाव में राशि की जानकारी नहीं होती है तथा लेआऊट पास पश्चात एक एक का व्यक्ति रकम सुविधानुसार कई वर्षों में जमा करवाता है। लेकिन एक मकान ही बनता है तो भी प्रार्थी विद्युत प्रदाय देने की मांग करता है। पूर्व में आन्तरिक विकास भी नगर सुधार न्यास द्वारा किया जाता रहा है।

लिबत प्रकरणों की सूचि:-

	कॉलोनी का नाम व खसरा नं.	जमा रकम
1.	ग्राम चौपासनी हुकमसिंह वगेरा 316/149, 317/149, 322/149	29,78,516 /— सम्पूर्ण रकम जमा
2.	ग्राम पाल रूपरजत टाउनशिप फेज द्वितीय 252, 252/1	2,38,768 / – कुछ प्लाट की रसीदे लगी है।
3.	घिनाणा की ढाणी प्रताप वगैरा 443/1	8,16,648 / – कुछ प्लाट की रसीदे लगी है।
4.	वेशाली सिटी घिनाणा की ढाणी 452	10,800 / — एक प्लाट की रसीद
5.	घिनाणा की ढाणी श्यामलाल 453	10,800 /— एक प्लाट की रसीद

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। विचार विमर्श कर सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे। जिसमें संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एवं तहसीलदार सदस्य होंगे। उक्त समिति विभिन्न अनुमोदित कॉलोनियों में विकास कार्य कराये जाने की प्राथमिकता तय करेगी। प्राथमिकता अनुसार कार्य कराये जाने के लिए स्वीकृति आयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 2 (16) ः जोघपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त तकमीने के मुगतान के संबंध में।

अन्सल प्रोपर्टिस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोधपुर द्वारा सुशान्त सिटी कॉलोनी में 33 के.वी. लाईन एवं 11 के.वी. लाईन निर्माण हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त तकमीना दिनांक 10.10.2006 का प्रस्तुत कर डिमाण्ड नोट राशि रूपये 1,01,01,128 / — जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करवाने की मांग की है। उपायुक्त (दक्षिण) से प्राप्त रिपोर्ट में रूपये 2.25 करोड इनके द्वारा तत्कालिन नगर विकास न्यास में जमा करवाये हुए है। इसमें विकास शुल्क पेटे रूपये 1,63,89,704.50 जमा है।

प्रार्थी द्वारा अपनी तरफ से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में रूपये 25.00 लाख इस कार्य के पेटे प्राप्त तकमीना राशि में से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करवाये जा चुके हैं। अन्तर राशि रूपये 76,01,128 / — जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा करवाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम भाकरासनी व कुडी क्षेत्र में विकसित होने वाले अन्य कॉलोनियों में विद्युत आपूर्ति भी इसी स्वीकृति के तहत की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 2 (17) ः भदवासिया क्षेत्र में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. हेतु भूमि अवाप्ति बाबत। ।

जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में ROB को कार्य प्रगति पर है निर्माणाधिन क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई है।

- 1. श्री छोटू खाँ पुत्र श्री बुन्दू खाँ का भूखण्ड संख्या 70/99 त्र 58.81 वर्ग गज
- 2. श्री मुन्ना पुत्र मोहम्मद खाँ भूखण्ड माप 101.11 वर्ग गज
- 3. श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री बुन्दू खाँ का भूखण्ड।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 के निवासीयों को वर्ष 2003 में तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा अहस्तान्तरणीय नियमन आवंटन/अधिकार पत्र जारी की छायाप्रति एवं अब्दुल रहमान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि इसी क्षेत्र में उनको आवंटित भूखण्ड वास्ते ROB निर्माण में लेते हुए आवंटन करावें।

आवंटियों को समुचित मुआवजा या पूर्नवास की कार्यवाही किए जाने के निर्णयार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों को बासनी तम्बोलियान में भूखण्ड आवंटन किया जावे। इस संबंध में उपरोक्त व्यक्तियों से इस आशय की सहमति प्राप्त की जावे। असहमति की स्थिति में उपरोक्त व्यक्तियों को नियमानुसार नकद मुआवजा देने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 ः भूखण्ड संख्या 401, दतोपत्त ढ़ेगडी नगर के संबंध में।

श्री मोहनलाल पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल को दतोपत्त ढ़ेगड़ी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा प्लॉट सं. 401 (30 x 64) का आवंटित किया गया। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2011 के प्रस्ताव सं. 7 में निर्णय लिया गया है कि मूल पत्रावली आवंटन शाखा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा उक्त प्रकरण समिति को विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। विचार—विमर्श कर सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि पत्रावली के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाने एवं सार्वजनिक नोटिस समाचार—पत्रों में प्रकाशित करवाने की कार्यवाही की जावें तथा उसके पश्चात् डुप्लीकेट पत्रावली संधारित की जावें। जो कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

पुनः प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक 17 फरवरी, 2012 के प्रस्ताव संख्या 20 में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उत्तरदारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करने हेतु उपायुक्त, निदेशक—वित्त एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना की समिति का गठन किया जाकर जांच की जावे। प्रार्थी से इस आशय का अण्डर टेकिंग भी लिया जावे कि उसका आवंटन—पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और उक्त भूखण्ड का किसी अन्य को उसके द्वारा विक्रय नहीं किया गया है।

प्रार्थी से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर लिया गया है एवं तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर के पत्रांक 4516 दिनांक 30.08.08 को आवंटन पत्र रजिस्टर्ड भेजा गया था नया आवंटन पत्र इसी शर्त पर जारी किया जाएगा जिसके पूर्व जारी आवंटन पत्र तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज (वार्षिक) देना होगा। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने दिनांक 02.06.11 को निवेदन किया है कि जारी आवंटन पत्र से 15 प्रतिशत (वार्षिक) देना न्याय संगत नहीं है। क्योंकि इसमें पूर्णतया जोधपुर विकास प्राधिकरण ही दोषी है। इसलिए ब्याज मुक्त रखा जायें। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में उपस्थित उपायुक्त-पश्चिम को वांछित जॉच रिपोर्ट आगामी 7 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदक से अण्डरप्रोटेस्ट उपरोक्त प्रस्तावानुसार राशि जमा कर ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 : आवासगृह संख्या बी-183, चौखा के संबंध में।

वाम्बे योजना (वाल्मीकी अम्बेडकर मलीन बस्ती आवासीय योजना) ग्राम चौखा के अन्तर्गत आवेदन पत्र संख्या 2659 श्री डुंगरसिंह पुत्र हुंकम सिंह के द्वारा आवेदन किया गया जिस पर उक्त योजना की लॉटरी दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को निकाली गई जिस पर सामान्य वर्ग में क्रम संख्या 33 पर आवेदन फार्म संख्या 2659 के आगे श्री सकुर खां पुत्र श्री सन्नु खां के नाम पर बी–183 आवास गृह आवंटन किया गया है एवं श्री डुंगरसिंह पुत्र श्री हुंकम सिंह को तत्कालीन न्यास द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 2753 दिनांक 7 जुलाई, 2008 के द्वारा जारी किया जा चुका है। अतः श्री सकुर खां पुत्र श्री सन्नु खां का आवेदन पत्र (फार्म) 388 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण लॉटरी कमेटी द्वारा राजीव गांधी नगर योजना में निर्णय लिया गया था कि आवेदक का नाम सही माना जाएगा यदि लॉटरी लिस्ट में नाम है तो इसी निर्णय को लागु किया जायें तथा श्री डूंगरसिंह को जारी आवंटित पत्र निरस्त किया जावें। तथा लॉटरी सूची अनुसार श्री सकूर खां को आवंटन पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी सिमित के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक वांछित पात्रता रखते हैं तो आवेदक को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 ः भूखण्ड संख्या ए-439, राजीव गाँधी नगर के संबंध में।

श्री विकास पायल पुत्र श्री धर्मपाल सिंह पायल को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा ए—439 (15 x 25) = 375 वर्गमीटर आवंटित हुआ। आवंदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवंदन किया है कि उक्त भूखण्ड जो मार्किंग के पश्चात 10 मीटर गहरे नाले में आ रहा है। जहां आवास का निर्माण सम्भव नहीं है अतः दूसरा भूखण्ड आवंटन कराने का श्रम करावें। इसकी जींच प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता से ली गई है जिस पर अपनी टिप्पणी में 10 से 15 फीट तक नाले में आने की रिपोर्ट दी है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 में एजेण्डा सं. 10 के 6 में उक्त भूखण्ड के बदले दूसरा भूखण्ड आवंटन करने का प्रकरण रखा गया जिसमें बैठक में विचार विमर्श कर सर्व समिति से आयुक्त महोदय को प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय जोधपुर से करवाना होगा। इस हेतु भूखण्ड निरस्त सूची के अनुसार भूखण्ड सं. ए—186. जी—214 दोनों भूखण्ड 375 वर्ग मी. के है अतः ए—439 को

निरस्त कर नवीन भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का निर्णय लेते हुए बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता को उक्त भूखण्ड के पास नाला बनाने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।

प्रस्ताव संख्या ६ : भूखण्ड संख्या बी—133, राजीव गाँधी नगर के संबंध में।

श्री दया पुरोहित पत्नी श्री हंसराज पुरोहित को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा बी—133 (12 x 21) = 252 वर्गमीटर आवंटित हुआ। लॉटरी में आवंदक पत्र संख्या 49267 अंकित है जबिक दया पुरोहित का आवंदन पत्र सं. 49260 है जबिक आवंदन पत्र सं. 49267 श्रीमित टीना जैन पत्नी राहुल जैन के नाम से है। लॉटरी कमेटी द्वारा राजीव गांधी नगर योजना में निर्णय लिया गया है कि आवंदक का नाम सही माना जायेगा यदि लॉटरी लिस्ट में नाम है तो इसी निर्णय का लागू किया जावें। उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक 21.10.2010 के एजेण्डा सं. 10 के (6) में श्रीमित दया पुरोहित को भूखण्ड बी—133 आवंटन हुआ है जिसका आवंदन पत्र सं. 49260 है एवं लौटरी लिस्ट में 49267 किया है जो कम्प्यूटर की गलती से हो अतः प्रत्येक प्रकरण में आयुक्त महोदय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेते हुए अधिकृत किया गया है। आयुक्त महोदय के निर्णय के अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से करवाने हेतु निर्णय किया गया है। अतः उक्त प्रकरण नीतिगत निर्णय लिया जाने हेतु प्रस्ताव निर्देशानुसार कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु निर्देश दिये गये है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि लॉटरी सूची में जिस आवेदक का नाम अंकित हैं, उसी को भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 ः भूखण्ड संख्या 249 सेक्टर-3 रामराज नगर के संबंध में।

श्री जालम सिंह राठौड पुत्र श्री भीखसिंह राठौड को रामराज नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 249 सेक्टर 3 (25 x 49) = 113.80 वर्गमीटर रामराज नगर ग्राम चौखा में लॉटरी दिनांक 14 जुलाई, 2008 को आवंटन कर आवंटन पत्र पत्रांक 2326 दिनांक 24.07.08 के द्वारा सम्बन्धित आवेदक को भेजा गया। ततपश्चात कार्यालय के पत्रांक 1834 दिनांक 23.09.09 के द्वारा पत्र उक्त भूखण्ड की राशि जमा कराने की रसीद प्राधिकरण में लॉटरी डॉक से भिजवाने हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भेजा गया। उसके बाद पुनः पत्र पत्रांक 7691 19.05.10 के द्वारा नगरीय भूमि निस्तारण 1974 के नियम 17 (5) के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड की बकाया कीमतन राशि 90 दिन में जमा करवाना आवश्यक होता है। अगर राशि जमा नहीं कराते है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस हेत् पत्र प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.10 को लिये गये निर्णयानुसार आवटी को 30.05.10 तक राशि जमा कराने हेतु पत्र भेजा गया। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर आवंटित स्वतः ही निरस्त माना जाएगा की सूचना पत्र भेजा गया। बाद में इस कार्यालय के पत्रांक 8501-8504 दिनांक 23.09.2010 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.10 के प्रस्ताव संख्या 24 के अनुसार दिनांक 30.05.10 तक बकाया राशि में ब्याज शास्ति इत्यादि जमा नहीं कराने पर आवंटित भूखुण्ड-निरस्त कर पंजीयन राशि जब्त करने के आदेश दिये गये है।

अतः श्री नाथूसिंह एडवोकेट पूर्व महासचिव ने आवेदन पत्र दिनांक 06.03.12 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है जबिक आवटी द्वारा (आवेदक द्वारा) कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जबिक आवटी को निरन्तर सूचना देने के उपरान्त भी राशि जमा कराने में असमर्थ रहे। अतः परिस्थितियों के मध्य नजर रखते हुए एक अवसर ओर दिलाने हेतु निवेदन किया है। जिस पर विधि शाखा से राय हेतु पत्रावली भेजी गई जिस पर समयावधि के बारे में राज्य सरकार ही निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र है की टिप्पणी की है तथा इस प्रकरण में निरस्तिकरण का निर्णय प्राधिकरण द्वारा ही लिया गया है अतः प्राधिकरण बैठक में ही रखा जाना प्रस्तावित है। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 ः भूखण्ड संख्या 37 सेक्टर जी, राजीव गांधी नगर की बकाया राशि जमा कराने के संबंध में।

राजीव गांधी नगर योजना में दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को भूखण्ड संख्या 37 सेक्टर 'जी' का आवंटन श्री राज वैष्णव पुत्र श्री नन्दिकशोर को पत्रकार कोटे से भूखण्ड का आवंटन हुआ है। भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 19 मार्च, 2010 को जारी हुआ है। श्री राज वैष्णव भूखण्ड की बकाया राशि निर्धारित समयाविध जमा नहीं करा सके। भूखण्ड के स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक 15.06.2010 है। स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक 15.06.2010 से दिनांक 14.06.2012 तक प्रकरण नियमितिकरण की शक्तियां कार्यकारी समिति में निहित है। अतः प्रकरण भूखण्ड की बकाया राशि रूपये 260500.00 मय 15 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित जमा करवाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 ः भूखण्ड संख्या 27 सेक्टर—2, रामराज नगर योजना की बकाया राशि जमा कराने के संबंध में।

श्री सीताराम बुनकर पुत्र श्री ऑकारमल को नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2008 को भूखण्ड संख्या 27 सेक्टर 'दो' योजना रामराज नगर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 19.08.2008 को जारी है। श्री सीताराम बुनकर द्वारा दिनांक 14.11.2008 को प्रार्थना पत्र के साथ भूखण्ड की बकाया राशि रूपये 96065.00 डी.डी संख्या 956899 दिनांक 12.11.2008 का पेश कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्णित प्रार्थना—पत्र मय डी.डी के सम्बन्धित लिपिक को दिनांक 17.11.2008 को प्राप्त हुआ। चूंकि भूखण्ड की बकाया राशि जमा होने में दिनांक 17.11.2008 तक 91 दिन की देरी हो जाती है। इस प्रकार प्रकरण 90 दिन से अधिक की देरी होने से भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) की श्रेणी में आने से सम्बन्धित लिपिक द्वारा उसी दिन यानि 17.11.2008 को आयुक्त महोदय के सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यालय टिप्पणी प्रेषित कर दी। पत्रावली के पैरा 24 में दिनांक 27.11.2008 को भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो चूकी थी। दिनांक 28.11.2008 को सम्बन्धित लिपिक द्वारा भूखण्ड की बकाया राशि रूपये 96065.00 व 15 प्रतिशत ब्याज के रूप में रूपये 3605.00 कुल रूपये 99670.00 की डी.डी. दिनांक 28.11.2008 को रोकड़ पाल को सुपूर्द कर दी। रसीद

संख्या 46865 दिनांक 11.12.2008 के अनुसार उक्त राशि न्यास/प्राधिकरण के खाते में दिनांक 02.12.2008 को जमा हुई। इस प्रकार यदि भूखण्ड की बकाया राशि दिनांक 02.12.2008 को जमा होना माना जाता है तो 15 प्रतिशत ब्याज के रूप में रूपये 1229.00 एवं 5 प्रतिशत शास्ती रूपये 5548.00 कुल रूपये 6777.00 वसूल योग्य होते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पेश कर लिखा है कि उसके द्वारा भूखण्ड की बकाया राशि एवं 15 प्रतिशत ब्याज कुल रूपये 99670.00 का डी.डी. कार्यालय में दिनांक 14.11.2008 को ही पेश कर दिया था। उक्त डी.डी. के खाते में आने मे देरी कार्यालय स्तर पर हुई है। अतः उससे 15 प्रतिशत ब्याज एवं 5 प्रतिशत शास्ती का अन्तर वसूल नहीं किया जावे। अतः प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदक द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तिथी को ही आधार मानते हुए शास्ती व ब्याज नहीं वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 " व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 108, मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर के समानान्तर योजना के संबंध में।

एम.डी.एम.अस्पताल परिसर के समानान्तर योजना के भूखण्ड संख्या 108 की खुली नीलामी के माध्यम से रीवा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 20.08.2010 को उच्चतम बोली 20,00,500/— में विक्रय किया गया। उक्त नीलामी दर को श्री आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.09.2010 को स्वीकृति जारी करने के उपरान्त क्रेता रीवा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड को बोली अधिग्रहण की तिथि 16.09.2010 से 30 दिवस में अर्थात् दिनांक 15.10.2010 तक बकाया 3/4 राशि रूपये 14,50,500/— जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु क्रेता ने उक्त राशि निर्धारित समयावधि मे प्राधिकरण कोश में जमा नहीं करवायी।

भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 14 एनेक्स्चर-ए के अन्तर्गत भूमि क्रेता को नीलामी दर स्वीकृति उपरान्त 30 दिवस की अवधि में बकाया 3/4 राशि जमा करवायी जाने का प्रावधान हैं। तत्पश्चात् आगामी 60 दिवस में क्रेता को 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवायी जानी होती है। अन्यथा नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, का प्रावधान हैं।

उक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि स्वतः रद्धकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर—भीतर आयुक्त महोदय स्वविवेक से स्वतः निरस्तीकरण के आदेश को वापस लेते हुए 15 प्रतिशत व्याज मय नियमानुसार शास्ति वसूल करते हुए नीलामी को नियमित कर सकते है। तथा स्वतः रद्धकरण की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् आगामी एक वर्ष की अवधि तक इस प्रकार के स्वतः रद्धकरण को नियमित करने हेतु कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण को सक्षम माना गया हैं।

चूंकि उक्त प्रकरण एक वर्ष की कालाविध के पश्चात् एवं आगामी एक वर्ष की अविध तक से संबंधित होने के कारण (अर्थात् स्वीकृति की तारीख से 2 वर्ष की अविध के भीतर) 15 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ति की वसूली कर नियमितीकरण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 ः व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 107, मथुरादास माथुर

15

अस्पताल परिसर के समानान्तर योजना के संबंध में।

एम.डी.एम.अस्पताल परिसर के समानान्तर योजना के भूखण्ड संख्या 107 की खुली नीलामी के माध्यम से रीवा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 20.08.2010 को उच्चतम बोली 20,00,600/— में विक्रय किया गया। उक्त नीलामी दर को श्री आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.09.2010 को स्वीकृति जारी करने के उपरान्त क्रेता रीवा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड को बोली अधिग्रहण की तिथि 16.09.2010 से 30 दिवस में अर्थात् दिनांक 15.10.2010 तक बकाया 3/4 राशि रूपये 14,50,600/— जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु क्रेता ने उक्त राशि निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण कोश में जमा नहीं करवायी।

भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 14 एनेक्स्चर-ए के अन्तर्गत भूमि क्रेता को नीलामी दर स्वीकृति उपरान्त 30 दिवस की अवधि में बकाया 3/4 राशि जमा करवायी जाने का प्रावधान हैं। तत्पश्चात् आगामी 60 दिवस में क्रेता को 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवायी जानी होती है। अन्यथा नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, का प्रावधान हैं।

उक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि स्वतः रद्धकरण की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर—भीतर आयुक्त महोदय स्वविवेक से स्वतः निरस्तीकरण के आदेश को वापस लेते हुए 15 प्रतिशत ब्याज मय नियमानुसार शास्ति वसूल करते हुए नीलामी को नियमित कर सकते है तथा स्वतः रद्धकरण की तिथि से एक वर्ष की कालाविध के पश्चात् आगामी एक वर्ष की अविध तक इस प्रकार के स्वतः रद्धकरण को नियमित करने हेतु कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण को सक्षम माना गया हैं।

चूंकि उक्त प्रकरण एक वर्ष की कालाविध के पश्चात् एवं आगामी एक वष की अविध तक से संबंधित होने के कारण (अर्थात् स्वीकृति की तारीख से 2 वर्ष की अविध के भीतर) 15 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ति की वसूली कर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 ः भूखण्ड संख्या 121 विजयाराजे नगर श्री प्रदीप कुमार धवल पुत्र श्री विक्रम चन्द धवल को आवंटन करने

विजयाराजे नगर योजना में आवेदन क्रमांक 17467 श्री प्रदीप कुमार धवल पुत्र श्री विक्रम चन्द धवल ने दिनांक 26.03.2007 को आवेदन पत्र में मासिक आय 6001 से 12000 तक में भूखण्ड (अ-1) में 167.22 वर्ग मीटर में अनुसूचित जाति श्रेणी में आवेदन किया। संलग्न दस्तावेजों में आय प्रमाण-पत्र में 9000/- प्रतिमाह आय है। कम्प्यूटर द्वारा भूखण्डों की सूची बनाते समय लिपिकीय त्रुटिवंश भूखण्ड की साईज में $30 \times 60 = 167.22$ वर्ग मीटर के स्थान पर $40 \times 70 = 260.12$ वर्ग मीटर में आवंटन होने के पश्चात् गलत वर्ग में आवंटन होने के कारण निरस्त कर दिया गया। पूर्व में आवंटित भूखण्ड 121 की साईज $40 \times 70 = 260.12$ वर्ग मीटर है।

भूखण्ड संख्या 121 विजयाराजे नगर श्री प्रदीप कुमार धवल पुत्र श्री विक्रम चन्द धवल को आवंटन करने के संबंध प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव के कम में आवेदक को पात्रता के अनुसार निर्धारित आकार का भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 : विशेष फीस पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-ए अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आयकर आयुक्त-प्रथम, जोधपुर को प्राधिकरण के गठन की दिनांक से पंजीकरण करने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया था, जिसे आयकर विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया है। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध आयकर प्राधिकरण में अपील करने पर आयकर प्राधिकरण, जोधपुर बैंच द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 19 जनवरी, 2012 को आदेश दिया गया कि पंजीकरण दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से किया जावे।

प्राधिकरण के सनदी लेखाकार द्वारा उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. में अपील करने की राय दी है, जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एस. सिंघवी व अधिवक्ता श्री विनोद दवे को विशेष फीस पर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त अधिवक्ताओं की फीस निम्नानुसार है:—

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एस. सिंघवी

- 1- अपील सेटलमेंट फीस रूपये 55,000 /- एक मुश्त
- 2- फीस प्रति पेशी रूपये 75,000/-

अधिवक्ता श्री विनोद दवे:-

कुल फीस (अपील) रूपये 35,000 /-

कार्यकारी समिति के समक्ष विशेष फीस पर अधिवक्ताओं की की गई नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 ः पैनल अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में।

प्राधिकरण हेतु पैनल अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अधिवक्ता का नाम	प्रेषक का नाम व दिनांक	सहायक / पैनल
1.	श्री भोमाराम परिहार	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता
2.	श्री महेश जोशी	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता
3.	श्री अनिल बच्छावत	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता

	10		
4.		देहात कांगेस कमेटी, जोधपुर श्री सुनिल भाटी, अध्य जोधपुर शहर जिला कांग्रे कमेटी, जोधपुर माली (सैनी) सेवा संस्था पीपाड शहर	ाक्ष, ोस
5.	श्री श्रवणसिंह निर्वाण	अध्यक्ष, जोधपुर विका प्राधिकरण, जोधपुर	स पैनल अधिवक्ता
6.	श्री मलीराम पारीख	अध्यक्ष, जोधपुर विका प्राधिकरण, जोधपुर	
7.	श्री चन्द्रशेखर छंगाणी	निदेशक विधि, जोधपुर विका प्राधिकरण, जोधपुर।	स पैनल अधिवक्ता
8.	श्री जब्बरसिंह मलिक	आयुक्त, जोधपुर विका प्राधिकरण, जोधपुर।	सप्रीम कोर्ट
9.	श्री पप्पू संघवा	आनन्द पुरोहित, सीनिय एडवोकेट,	र पैनल अधिवक्ता
10.	श्री मोहम्मद अलताफ	उम्मेद अली मेहर, एडवोकेट पूर्व महासचिव, जोधपुर देहात युवा कांग्रेस कमेटी, उप सचिव (पी.एस.) मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार पत्र संख्य 63, दिनांक 06.01.12	त अधिवक्ता
11.	कप्तान बोरावड	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	त सहायक अधिवक्ता
12.	श्री पुखराज विश्नोई	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	
13.	श्री संजयराज पण्डित	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सहायक अधिवक्ता
14.	श्री विकास दवे	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	
15.	श्री साबिर खान	अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	
16.	श्री गुलाम मोईनुद्दीन अशरफी	नवाब अली शाह, जिला महासचिव, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, श्री अनिल गौड़, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, विधि विभाग	सहायक अधिवक्ता
17.	श्री वासुदेव गौड़	र्सचेव, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक अधिक्ता
18.	श्री कमलेश जोशी	डाक द्वारा	सहायक अधिक्ता

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस संबंध में सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी। इस कमेटी में निदेशक–वित्त एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे। उक्त समिति आज तक कितने पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं,

विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्ध कितने प्रकरण लम्बित है एवं उक्त लम्बित प्रकरणों के अनुसार कितने पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता की आवश्यकता है, का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तद्नुसार आयुक्त प्राधिकरण पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए आदेश प्रसारित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 15

 ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 79 गुलाब नगर ए,
 बी पर काबिज भूखण्डधारियों को पट्टा विलेख जारी करने बाबत।

ग्राम भदवासिया तहसील जोधपुर के खसरा नं. 79 गुलाब नगर ए व बी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राज्य सरकार के नाम पर रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज है। खसरा नं. 79 पर बसी हुई कॉलोनी के लोग पट्टा जारी करने की मांग कर रहे है। उक्त खसरे की भूमि का कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा है तथा सर्वे सुद्रा ले—आउट प्लान का कुल रकबा 14528.65 + 26676.93 = 41205.58 वर्गगज भूमि का आ रहा है जो राजस्व ग्राम जोधपुर व भदवासिया की ओवरलेपिंग के कारण है एवं अधिकांश भूखण्डो पर निर्माण किया हुआ व रहवास है। इसके अतिरिक्त इन खसरो की सम्पूर्ण आबादी मकानो का 81.00 प्रतिशत है तथा सडक का क्षेत्रफल 19.00 प्रतिशत है। इस ले—आउट प्लान के अनुसार भूखण्डधारियों को पट्टा दिया जाये या नही दिया जाये। ग्राम भदवासिया के खसरा नं. 79 गुलाब नगर ए व बी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है अतः नियमन हेतु नियमन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारण की जानी आवश्यक हैं। प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ समस्त तथ्यों का अंकन कर राज्य सरकार से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 ः प्राधिकरण की तकनीकी शाखा के निरीक्षण वाहनों की मासिक किलोमीटर सीमा बढ़ाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में निरीखण वाहनों की मासिक किलोमीटर सीमा 1500 किलोमीटर मासिक निर्धारित की हुई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र, परिधि एवं कार्यभार को देखते हुए उक्त 1500 किलोमीटर की मासिक सीमा कम पड़ती है जिससे कार्य के निरीक्षण आदि पर प्रभाव पड़ता है।

अतः विकास कार्यों के नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त मासिक सीमा 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार फिल्ड का दौरा करने वाले सभी अधिकारियों के वाहनों के लिए 2000 किलोमीटर तक की सीमा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17

 खसरा संख्या 7 ग्राम कुडी भगतासनी (मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर) में विस्थापितों को पट्टे जारी करने के संबंध में।



खसरा संख्या 7 ग्राम कुडी भगतासनी में डिस्ट्रीक्ट शोपिंग सेंटर, पाली रोड एवं कृर्षि मण्डी के सामने से अतिकर्मियों को हटाकर अतिकमियों को लॉटरी निकालकर कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 7 में पुनर्वासित करने हेतु भूखण्ड आवंटित किये गये थे। शेष अतिक्रमियों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास द्वारा आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2001 के द्वारा समिति का गठन किया गया था। न्यास की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2011 के प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा उक्त पुनर्वास का अनुमोदन किया गया था। जिसके अन्तर्गत मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सेक्टर सी के अन्तर्गत मौके की स्थिति के अनुसार कमेटी द्वारा 46, 2 एवं 120 कुल 168 अतिकिमयों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के सेक्टर सी एवं खसरा संख्या 7 कुडी भगतासनी में पुनर्विसित किया जाकर भूखण्ड आवटित किये जाकर मौके पर हाथो-हाथ शिफ्ट करवाये गये। उक्त पुनर्वासित कॉलोनी में तत्कालीन न्यास द्वारा कुछ व्यक्तियों को अधिकार पत्र जारी हैं एवं कुछ व्यक्तियों की पत्रावलियों में राशि जमा है परन्तु अधिकार -पत्र जारी नहीं हैं। प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार की समस्त कच्ची बस्तियों की पत्रावलियां नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की गयी जिसके साथ उक्त खसरा संख्या 7, कुडी भगतासनी एवं राजीव गाँधी कॉलोनी सांगरिया की पत्राविलयां भी नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी थी। प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 786 दिनांक 27 फरवरी, 2012 के द्वारा उपरोक्त कॉलोनी की पत्रावलियां पुनः प्राधिकरण में मॅगवाने हेतु पत्र लिखा गया, जिसकी पालना में नगर निगम, जोधपुर के पत्र कमांक 910 दिनांक 19 अप्रैल, 2012 के द्वारा कुल 168 पत्राविलयां प्राधिकरण को पुनः प्राप्त हो चुकी है। अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नगर निगम, जोधपुर से उपायुक्त—दक्षिण उक्त अनुसार पुनर्वासित व्यक्तियों को न्यास की बैठक दिनॉक 7 मार्च, 2011 के अनुसार भूखण्ड आवॅटन—पत्र जारी करने एवं पट्टे जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 18 ः वाम्बे योजना में श्रीमती सीमा पत्नि श्री खीवर खां को दोहर आवासगृह आवंटन बाबत।

वाम्बे योजना की लॉटरी दिनांक 25.04.2006 को की गई थी। श्रीमती सीमा पत्नी श्री खीवर खां का नाम लॉटरी सामान्य वर्ग की सूची में एवं विकलांग वर्ग की सूची में क्रमंश आवास गृह सी—168 एवं सी—35 का आवंटन कम्प्यूटर त्रुटि के अनुसार हो गया था। प्रार्थीनी को 2 आवास गृह आवंटन होने के कारण प्रार्थीनी को होने से दोनो में से एक आवास गृह का आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया। चूिक प्रार्थीनी विकलांग वर्ग से हैं अतः प्रार्थीनी को मूल आवंटन सूची में विकलांग वर्ग में आवास गृह संख्या सी—35 आवंटन हुआ है। जिसका प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया है। कम्प्यूटर त्रुटि द्वारा प्रार्थीनी को लॉटरी में दो जगह पर आवंटन होने से प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी नहीं हो सका। अतः उक्त गलती प्राधिकरण स्थर पर होने से प्रार्थीनी को आवंटन पत्र जारी कर जिस पर 15 प्रतिशत ब्याज राशि एवं 5 प्रतिशत पेलन्टी नहीं वसूलते हुए प्रार्थीनी को आवास गृह संख्या सी—35 का वाम्बे योजना का आवंटन पत्र जारी करने हेतु प्रकरण कार्यकारी सिमित के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से श्रीमिती सीमा को विकलॉग कोटे के तहत आवासगृह का आवंटन करने, ब्याज व शास्ति नहीं लेने तथा वर्तमान आरक्षित दर के अनुसार राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19

ः भूखण्ड संख्या २३५ कीर्तिनगर योजना के संबंध में।

V

आवेदक श्री अनिल पंवार दिनांक 25.03.2009 को नीलामी द्वारा 20 गुणा 45 का भूखण्ड सं. 235 कय किया गया। बोलीदाता द्वारा नीलामी अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवायी गई। परन्तु मौका अनुसार साइड पर भूखण्ड का माप 20 गुणा 34 ही उपलब्ध है। पेरा 20 के अनुसार भूखण्ड की भूमि 11 गुणा 20 फीट पर श्री सतुराम पुत्र डुंगर राम का कब्जा बताया गया है साथ नोट लगाया गया है कि जिसको पूंजला पंचायत का पट्टा जारी है। स्पष्ट नहीं है कि पंचायत द्वारा कितनी भूमि का पट्टा जारी किया है। आवेदक द्वारा नीलामी क्य भूखण्ड सं. 235 = 20 गुणा 45 फीट की लीजडीड जारी करने की मांग की है तथा यह प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में प्रकरण सं. 1220/12 पर दर्ज है। समिति की बैठक दिनांक 26.04. 2012 की बैठक में पारित विवरण में आगामी जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक से पूर्व निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नीलाम किये गये भूखण्ड के समीपवर्ती रिक्त भूखण्ड में से कम रही भूमि सम्मिलित कर नीलामी के अनुसार भूखण्ड का आवॅटन पत्र व लीज डीड जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 = केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल को मूमि आवंटन के संबंध में।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा राज्य स्थायी कैम्प स्थापित करने हेत् 150 एकड़ भूमि आवंटन का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान IPS,DIGP,CRPF Range, HOr N/Delhi द्वारा 150 के स्थान पर कैम्प स्थापित करने डेत् 175 एकड़ भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है, प्राधिकरण द्वारा खसरा सं. 80 एवं 93 में 175 एकड भूमि आवंटन करने हेतु डिमाण्ड नोट सं. 10412 दिनांक 10.05.2011 जारी किया गया। राज्य सरकार के निदेशानुसार आरक्षित दर की 5 प्रतिशत एवं आवंटन दर पर एक मुश्त लीज राशि वसूल करने की स्वीकृति पर आरक्षित दर रू.1200/- का 5 प्रतिशत = 60/- प्रशासनिक शुल्क 20% = 12/- कुल 60 12 = 72/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि की लागत 5,09,88,722/- एक मुश्त लीज राशि रूपयें 1,01,97,750/-= 6,11,86,472 / - जमा करवाये गये है। परन्त् उपरोक्त वर्णित खसरों 80 एवं 93 के 175 एकड भूमि में से 21 एकड़ भूमि पर हाईटेनशन वायर, व नाला होने से अनुपयुक्त पायी गयी के कारण की सूचना पत्र दिनांक 14.03.2012 का जारी किया गया। जिसमें इन्ही खसरों से लगती 21 एकड़ भूमि आवंटन की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.03.2012 को CRPF का खसरा सं. 93 में शेष 21 एकड विवाद रहित भूमि आवंटन करने का पत्र सं. 510 दिनांक 15.03.2012 को जारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.01.2012 से प्राधिकरण की आरक्षित दर का पुनः निर्धारण हो जाने से प्राधिकरण द्वारा CRPF को आवंटन पत्र जारी करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। CRPF द्वारा जमा करवायी गई राशि के अनुसार समय-समय पर आवंटन पत्र जारी करने के मांग पत्र प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा सशर्त आवंटन पत्र सं. 551-562 दिनांक 26.04.2012 को जारी किया गया कि आवंटित भूमि की आरक्षित दर का निर्णय आगामी कार्यकारी समिति की बैठक निर्णयानुसार देय होगी। अतः प्रकरण आवटित आरक्षित दर निर्धारित करने हेत् समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आरक्षित दर 1200/-रूपये प्रति वर्गमीटर ही रहेगी तथा तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।



प्रस्ताव संख्या 21 : गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति को आवासीय प्लाट आवंटित करने बाबत्।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा श्री जगमाल सिंह राठौड़ को गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार परिपत्र दिनांक 13.04.2001 17ए 2(i) गेलेन्ट्री अवार्ड होल्डर को 220 वर्ग मीटर का आकार भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। जिसकी आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर राशि वसूलने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त नियम में वीर चक्र, अशोक चक्र, शोर्य चक्र एवं किर्ती चक्र विजेता को 220 वर्ग मीटर भूखण्ड उस क्षेत्र के 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जाना है कि गेलेक्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति के नाम से भारत अथवा राजस्थान में भूखण्ड आवंटित नही है। वर्तमान में प्राधिकरण की योजना राजीव गांधी योजना में भूखण्ड रिक्त है। अतः इस सम्बन्ध में प्रार्थी से सहमति लेकर राज्य सरकार के परिपत्र में प्रार्वधान अनुसार भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी सिमिति में आदेशार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श प्रकरण के संबंध में जॉच कर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 ः श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद अहसान

श्री मोहम्मद अहसान को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2003 अनुसार हरिपुरा व्यास कॉलोनी को पुर्नवासित करने के लिए राघाकृष्णम्पुरम् योजना में निर्मित आवास आवंटन समिति के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 18.06.2004 के अनुसरण में लॉटरी दिनांक 18.06.2004 को 15X30 41-80 वर्गमीटर का आवास गृह संख्या 02 का आवंटन किया गया था। जिसकी कीमत 44,225/— निर्धारित की गई थी। प्रार्थी को आवंटन—पत्र क्रमांक एफ46/आवंटन/1302 दिनांक 22.06.2004 को जारी किया गया था। प्रार्थी की मूल पत्रावली आवंटन—शाखा से प्राप्त नहीं हुई। इस सम्बन्ध में सर्चनोट जारी किया गया तथा पत्र क्रमांक एफ46/आवंटन/2011/16.11.2011 के जिरये पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर में पत्रावली गुम शुदगी एवं खुर्द—बुर्द करने बाबत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा करवाई गई थी। प्रार्थी आवास की नियमानुसार बकाया किश्तों की राशि जमा कराना चाहता है। प्रार्थी की दुप्लीकेट पत्रावली बनाई जा चुकी है। प्रकरण सिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से डुप्लीकेट पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा पत्रावली जिस स्तर से गुम हुई है, उसकी जॉच कर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में पत्रावली गुम होने की स्थिति में जिस लिपिक के चार्ज में पत्रावली थी, उसके द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 ः श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री शमशेरमल

प्रार्थी श्री अरविन्द खेतानी पुत्र श्री ईश्वर चन्द खेतानी ने प्रार्थना—पत्र के साथ अपने दादा स्व. श्री प्रहलाद राम का मृत्यु प्रमाण—पत्र व वारिसों के नाम के शपथ—पत्र (सहमित—पत्र) प्रस्तुत कर आवंटित कियोस्क संख्या 04 सांघी पेट्रोल पम्प के पास की अपने नाम हस्तान्तरण करते हुए बकाया किराया राशि वर्ष जनवरी 2009 से अपने नाम से जमा कराने की मांग की हैं। साथ ही निर्मित कियोस्क के पास रिक्त 15X18 की भूमि

अपने नाम से आवंटन करने की मांग की हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी श्री अरविन्द खेतानी ने मुख्यमन्त्री कार्यालय से भी कई प्रार्थना—पत्र पेश कर आवंटित कियोस्क को अपने नाम हस्तान्तरण कर रिक्त भूमि अपने नाम आवंटित करवाने बाबत् लिखा हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दैनिक समाचार 'दैनिक नवज्योति' में दिनांक 16.02.2012 में आम—सूचना का प्रकाशन करवाकर उजर एतराज मांगे गये थे, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी के नाम से कियोस्क हस्तान्तरण एवं खालसा भूमि 15X18 आवंटन करने बाबत् प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री अरविन्द खेतानी के नाम हस्तान्तरण कर लीज डीड जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 ः गाडिया लुहारों को आवास आवंटन करने बाबत

मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवास गृहों में गाडिया लुहारों द्वारा वर्तमान में रहवास किया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में जिला अध्यक्ष श्री मदनसिंह चौहान ने अपनी सूची में करीब 82 व्यक्तियों की सूची पेश की हैं। इस संबंध में उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग, जोधपुर को पत्र क्रमांक 677 दिनांक 25.01.2012 के साथ सूची प्रेषित कर तत्यात्मक रिपोर्ट जारी करने हेतु लिखा गया था। इसके पश्चात् दो स्मरण पत्र भी जारी किये गये थे, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक प्रमाणीकरण कर रिपोर्ट पेश नहीं की गई हैं। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-3(176)नविवि/3/84 जयपुर दिनांक 13.10.2011 के क्रम में गाड़िया लुहारों को 50 वर्गगज तक की भूमि/आवास आवंटन हेतु समय सीमा दिनांक 31.03.2012 तक बढाई गई थी, चूिक समाज कल्याण विभाग, जोधपुर से अभी तक प्रमाणीकरण कर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण आवास गृहों का आवंटन नहीं किया गया हैं। अतः राज्य सरकार से अवधि बढाने हेतु पुनः लिखा जाना उचित होगा, साथ–ही समाज कल्याण विभाग, जोधपुर को प्रमाणीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाना प्रस्तावित होगा। मुख्यमन्त्री कार्यालय से भी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु बार–बार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपस्थित तहसीलदार, प्राधिकरण को समाज कल्याण विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर गांडिया लुहारों को राज्य सरकार के आदेश अनुसार आवासगृह का आवॅटन आदेश जारी करने के लिए उपायुक्त—दक्षिण को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 ः श्री अमराराम पुत्र श्री चन्द्राराम

प्रार्थी को वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में निर्मित आवास संख्या 99 लॉटरी द्वारा दिनांक 25.04.2006 को किया गया था। जिसका आवंटन-पत्र क्रमांक एफ46/आवंटन/07/5300 दिनांक 20.04.2007 को डाक द्वारा भेजा गया था। प्रार्थी ने अध्यक्ष महोदय के पास प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि मुझे आज तक मूल आवंटन-पत्र व कार्यकारी समिति द्वारा किये गये निर्णय अनुसार जारी नोटिस नहीं मिला हैं। इस सम्बन्ध में आवक-जावक शाखा से मूल आवंटन भेजे जाने की टिप्पणी ली गई, लेकिन आवक-जावक शाखा द्वारा मूल आवंटन-पत्र भेजे जाने की टिप्पणी रिजस्टर उपलब्ध नहीं होने में असमर्था प्रकट की हैं तथा नोटिस क्रमांक 339 दिनांक 09.08.2011 का प्रार्थी द्वारा लिखे हुए पत्ते पर भेजे जाने की रिपोर्ट पेश की हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन-पत्र पुनः जारी कर राशि जमा कराने की मांग की हैं। प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।



बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त-उत्तर लॉटरी एवँ आवँटन संबंधी रिपोर्ट से यह सत्यापन करेगी कि वास्तव में प्रार्थीगण को भूखण्ड आवँटन हुआ है। आवँटन की स्थिति में आवँटन-पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 = श्री जीयाराम पुत्र श्री पूनाराम

प्रार्थी को वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में निर्मित आवास संख्या 102 लॉटरी द्वारा दिनांक 25.04.2006 को किया गया था। जिसका आवंटन-पत्र क्रमांक एफ46/आवंटन/07/5282 दिनांक 20.04.2007 को डाक द्वारा मेजा गया था। प्रार्थी ने अध्यक्ष महोदय के पास प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि मुझे आज तक मूल आवंटन-पत्र व कार्यकारी समिति द्वारा किये गये निर्णय अनुसार जारी नोटिस नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में आवक-जावक शाखा से मूल आवंटन मेजे जाने की टिप्पणी ली गई, लेकिन आवक-जावक शाखा द्वारा मूल आवंटन-पत्र मेजे जाने की टिप्पणी रिजस्टर उपलब्ध नहीं होने में असमर्था प्रकट की हैं तथा नोटिस क्रमांक 348 दिनांक 09.08.2011 का प्रार्थी द्वारा लिखे हुए पत्ते पर मेजे जाने की रिपोर्ट पेश की हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन-पत्र पुनः जारी कर राशि जमा कराने की मांग की हैं।

प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त-उत्तर लॉटरी एवँ आवँटन संबंधी रिपोर्ट से यह सत्यापन करेगी कि वास्तव में प्रार्थींगण को मूखण्ड आवँटन हुआ है। आवँटन की स्थिति में आवँटन-पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 : डॉ. राजीव सोनी को आवंटित मूखण्ड संख्या 250, सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना के संबंध में।

डॉ. राजीव सोनी को भूखण्ड संख्या 250 सुन्दरसिंह भण्डारी नगर लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ। को वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया में निर्मित आवास संख्या 102 आकार 20 फीट गुणा 45 फीट कुल क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर का लॉटरी द्वारा दिनांक 25.04. 2006 को किया गया था। परन्तु पूर्व में कार्मिक अनुबंध पर कार्यरत् होने से आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया था व इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया था कि कृपया स्पष्ट करें कि उक्त डाक्टर राजकीय कार्मिक है या नहीं, जिसके जवाब में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लूणी (सालावास) का पत्र दिनांक 16 मार्च, 2011 प्राप्त हुआ है। जिसमें ऑकत किया गया है कि श्री राजीव सोनी, पी.एस.सी. धवा में आयुष चिकित्सक के पद पर नियुक्त है तथा प्रतिमाह 8000 / – वेतन फिक्स है व दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 से राजकीय सेवा में हैं। अत. प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में निदेशक— विता, निदेशक—विधि एवं उपायुक्त—उत्तर सदस्य होंगे। उक्त समिति जाँच कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि डाॅ. सोनी राजकीय कर्मचारी श्रेणी में आवॅटन के पात्र है अथवा नहीं?

प्रस्ताव संख्या 28 : अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु ग्राम मोगडा आवासीय योजना के संबंघ में।

राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 213 की 222,417.54 वर्ग मीटर भूमि पर अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित/विकसित योजना के लॉच करने, आवेदन-पत्र की बुकलेट तेयार करने, आवेदन-पत्र विकय व प्राप्ति करने हेतु बैंकों को अधिकृत करने, आवेदन-पत्र विकय व प्राप्ति की तिथि का निर्धारण करने, लॉटरी की तिथि निर्धारित करने आदि आदि कार्यवाही किये जाने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदन पुस्तिका की कीमत 400/— रूपये रखने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जिसमें निदेशक—वित्त, प्रभारी अधिकारी आवंटन शाखा (उपायुक्त—पूर्व) सदस्य होंगे। उक्त समिति शेष कार्यों के संबंध में समय समय पर निर्णय लेकर उन्हें कियान्वित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 29 ः बी.ओ.टी. आधार पर गैनट्री, यूनिपोल, ट्री गार्ड, टॉयलेट स्थापित करने के संबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर एवं नेशनल एडवरटाईजिंक कम्पनी के मध्य बी.ओ.टी. आधार पर गैनट्री, यूनिपोल, ट्री गार्ड, टॉयलेट स्थापित करने हेतु अनुबंध निष्पादित हुआ था। अनुबंध के आधार पर अभी भी कई स्थानों बी.ओ.टी. आधार पर गैनट्री, यूनिपोल, ट्री गार्ड, टॉयलेट स्थापित किये जाने हैं। जो सूची परिशिष्ट—2 संलग्न है। अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने अवगत कराया कि कई स्थानों पर विशेषकर कालवी बस स्टेण्ड व अन्य बस स्टेण्ड पर टॉयलेट आदि की आवश्यकता है। अतः बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मित स्थानों का चयन करने हेतु सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में सहायक पुलिस आयुक्त—यातायात, अधिशाषी अभियन्ता—मुख्यालय, प्राधिकरण एवं आयुक्त नगर निगम सदस्य होंगे। उक्त कमेटी स्थानों का चयन कर मैसर्स नेशनल एडवरटाईजिंग कम्पनी को बी.ओ.टी. आधार पर गैनट्री, यूनिपोल, ट्री गार्ड, टॉयलेट स्थापित करने हेतु आदेश जारी करेगी।

प्रस्ताव संख्या 30 ः भू-उपयोग परिवर्तनों पर विचार विमर्श एवं निर्णय

प्रस्ताव संख्या 30 (1) ॥ ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 199/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवासीय से पेट्रौल पम्प प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री हीरालाल प्रजापत पुत्र श्री सुखाराम। प्रकरण संख्या 37/2012

आवेदक श्री हीरालाल प्रजापत पुत्र श्री सुखाराम निवासी सुखानन्द की बगेची, सिवांचीगेट के अन्दर, जोधपुर ने ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 199/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवासीय से पेट्रौल पम्प प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को दो समाचार—पत्रों में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि जयपुर जैसलमेर बाईपास पर आयी हुई है तथा इसकी पहचान एम.डी.आर. (162) रोड जो 200 फीट की है, उसके उत्तर दिशा में स्थित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प उक्त राष्ट्रीय राजामर्ग के केन्द्र बिन्दु से 100 फीट की दूरी पर है तथा आसपास पक्के निर्मित मकान नहीं है।



उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 199/1 जोधपुर से जयपुर जाने वाली बाईपास सडक जो 200 फीट चौडी है, के उत्तर दिशा में स्थित है। बाईपास सडक के दोनों ओर 75—75 फीट चौडाई में वृक्षारोपण भी आरक्षित है। मौके पर भूखण्ड रिक्त है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये भू—उपयोग परिवर्तन पेट्रौल पम्प के आसपास दूसरी कोई और सडक नहीं हैं न ही किसी प्रकार का कोई रोड जंक्शन है। प्रथम निर्मित पेट्रोल पम्प से प्रार्थी द्वारा चाहे गये पेट्रोल पम्प की दूरी लगभग 1.10 किलोमीटर है। जो नियमानुसार है। अतः पेट्रोल पम्प हेतु भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (2) ः ग्राम सूथला के खसरा संख्या 109/6/1 रकबा 3403.19 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री प्रदीप सांखला पुत्र श्री बद्रीराम सांखला निवासी भट्टी की बावडी, सूथला, जोधपुर। प्रकरण संख्या 77/2012

आवेदक श्री प्रदीप सांखला पुत्र श्री बद्रीराम सांखला ने ग्राम सूथला के खसरा संख्या 109/6/1 रकवा 3403.19 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2012 को दो समाचार—पत्रों में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि मुख्य चौपासनी सडक पर स्थित है। जिसकी चौडाई जोधपुर मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट है। जिसके मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ने के पश्चात् भू—उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में एस.एस.डब्ल्यू.एस. कैनाल स्थित है जिसके मध्य बिन्दु से 50 फीट भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंषा की जा सकती है। उपायुक्त की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्लिन्थ लेवल तक निर्माण किया हुआ है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (3) ः ग्राम पाल के खसरा संख्या 358, 359, 359/1, 359/5 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 7 बिस्वांशी मूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी उपयोग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती पदमा पिल श्री पेमाराम, श्रीमती समदा पिल श्री कर्जाराम वगैरह प्रकरण संख्या 39/2012

आवेदक श्रीमती पदमा पत्नि श्री पेमाराम, श्रीमती समदा पत्नि श्री ऊर्जाराम वगैरह ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 358, 359, 359/1 व 359/5 कुल रकबा 35

V

बीघा 13 बिस्वा 7 बिस्वांशी भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी उपयोग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2012 को दो समाचार—पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में स्रेकेट्री/ चैयरमेन, लिगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, मंदिर व मस्जिद के बीच, जालप मोहल्ला, जोधपुर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाल के खसरा संख्या 358, 359, 359/1 व 359/5 का कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 7 बिस्वांशी भूमि आयी हुई है। मौके पर उक्त भूमि की चार दीवारी की हुई है तथा भूमि खाली है। खसरा संख्या 359 के पास कटाण रास्ता लगभग चौडाई 3—4 गट्टा यानि 20—24 फीट आयी हुई है तथा जमाबंदी में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 358, 359 में एल.टी. लाईन गुजर रही है। खसरे के पड़ोस में खसरा संख्या 357 के अन्दर खसरा संख्या 358 के पास डामर सडक आयी हुई है तथा खसरा संख्या 357 स्वीकृत आवासीय कॉलोनी है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 358, 359, 359/1 व 359/5 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय से आवासीय हेतु भू—उपयोग परिवर्तन चाहा है। क्योंकि खसरा संख्या 358, 359, 359/1 व 359/5 मास्टर प्लान की 120 फीट चौडी प्रस्तावित सडक के दक्षिण दिशा में स्थित व उत्तर दिशा में ग्रीन आरती सिटी एक विकसित स्कीम है तथा खसरा संख्या 322 व 319 व अन्य खसरों का भू—उपयोग परिवर्तन हो चुका है। सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु नाम मात्र की भूमि ही शेष बची है। इसलिए उपरोक्त खसरों का सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय से आवासीय हेतु भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राप्त आपत्ति के संबंध में संबंधित उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (4)

" ग्राम पाल के खसरा संख्या 33 / 1 रकबा 6475 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री जसविन्दरसिंह, श्री दर्शनसिंह, श्रीमती इन्दरजीत कौर, श्रीमती प्रीत कौर, श्रीमती परमजीत कौर निवासीयान 119, नेहरू पार्क, जोधपुर। प्रकरण संख्या 49 / 2012

आवेदक श्री जसविन्दरसिंह, श्री दर्शनसिंह, श्रीमती इन्दरजीत कौर, श्रीमती प्रीत कौर, श्रीमती परमजीत कौर निवासीयान 119, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम पाल के खसरा संख्या 33/1 रकबा 6475 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 17 मई, 2012 को दो समाचार—पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित

करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 33/1 जिसका माप 4 बीघा (6475 वर्ग मीटर) है। उक्त खसरे का आवासीय से व्यवसायिक (होटल) उपयोग हेतु आवेदन किया गया। उक्त खसरा ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के ग्राम गंगाणा रोड पर स्थित है। उक्त खसरा संख्या 33/1 दक्षिण दिशा में पाल से गंगाणा जाने वाली सडक पर स्थित है तथा उत्तर दिशा में गहलोत कृषि फार्म, पश्चिम दिशा में धायल कृषि फार्म तथा पूर्व दिशा में अन्य कृषि भूमि है। उक्त खसरा संख्या 33/1 के चारों तरफ छीणे एवं पत्थरों की दीवार बनी हुई है। उक्त खसरे के लिए अंदर एक कमरा मय स्नानघर के निर्मित है। खसरे के अन्दर खेजडी एवं नीम के 7 वृक्ष भी है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा आवासीय से होटल हेतु भू—उपयोग परिवर्तन चाहा है तथा मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग आवासीय आरक्षित है। कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 807 दिनांक 27 अप्रैल, 2012 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी से होटल हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु जारी की गयी है। जो सही नहीं है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के कम में दिनांक 17 मई, 2012 को पुनः संशोधित आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। जिसके कम में कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से प्रकरण में आपित्त प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता (6000 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण) प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 30 (5)

ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3
बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक
प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में।
आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये
निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह
निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स,
जोधपुर। प्रकरण संख्या 129/2012

आवेदक सरदार एग्रो सीड्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह निवासी 25, सेंट्रल स्कूल योजना, एयरफोर्स, जोधपुर ने ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को दो समाचार—पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 41/1/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 5 बिस्वा का प्रार्थी द्वारा आवासीय से औद्योगिक भू—उपयोग परिवर्तन चाहा है परन्तु पहुँच मार्ग प्रार्थी द्वारा प्लेट टेबल सर्वे में 40 फीट चौडी सडक दर्शायी गयी है जबकि आवासीय से औद्योगिक हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु सडक कम



से कम 60 फीट चौडा होना आवश्यक है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 3 (43) निविवि/3/2009 दिनॉक 27 जुलाई, 2010 के मद्देनजर आवेदित भूमि में से 60 फीट सडक की चौडाई सुनिश्चित करने पर पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (6)

" 1— राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का रहवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन बाबत। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 94/2011

2— राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का रहवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन बाबत। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 95/2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक श्री लीलाधर भट्टड खसरा स्वामी खसरा संख्या 764/2 ने आवेदन—पत्र दिनांक 1 मार्च, 2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा ग्राम चौखा खसरा संख्या 764/1 एवं खसरा संख्या 764/2 में स्थित भूखण्ड संख्या में दो भूखण्ड की अलग अलग पत्राविलयां भू—उपयोग परिवर्तन हेतु पेश की है। उक्त दोनों भूखण्ड अलग अलग उपयोग में लिया जायेगा तथा पट्टे भी अलग अलग ही होंगे। मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा आवेदित दोनों भूखण्डों का एक ही भूखण्ड मानते हुए प्रकरण जयपुर प्रेषित किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि दोनों भूखण्ड अलग है तथा इनका अलग अलग व्यवसाय उपयोग लिया जावेगा। इस संदर्भ में पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं जो कि निम्नानुसार है:—

- 1— दिनांक 31 मई, 1993 की जमाबंदी की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें इन खसरों का अलग अलग खसरा नम्बर एवं मालिकाना हक दर्शाया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह विभाजन 20 वर्ष पुराना है। और भी यथास्थिती है।
- 2— खसरा संख्या 764/1 की बेचान रजिस्ट्री जो कि जेठाराम के द्वारा आनन्द राठी को दिनाक 21 फरवरी, 1993 की गई है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
- 3— खसरा संख्या 764/2 की बेचान रजिस्ट्री जो कि गोविन्दीराम के द्वारा सुरेश राठी को दिनांक 27 फरवरी, 1993 की गई है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
- 4— उपरोक्त सत्यापित प्रतिलिपिया 90—बी की ऐपलिकेशन के साथ पूर्व में ही दी गई है।
- 5— उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है कि यह भूखण्ड 20 वर्ष पूर्व से ही अलग अलग है।
- 6— मेरा प्रकरण पूर्व में मीटिंग 9 नवम्बर, 2011 में प्राधिकरण स्तर पर पारित किया जा चुका है।



7— इस मीटिंग में फाईल पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण आंशिक त्रुटि के सुधार हेतु रखा गया था।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रहवासीय से होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। जिसके कम में इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही कर आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त/सुझाव आमंत्रित किये तथा तद्नुसार ही कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को निर्णित किया गया।

इस संबंध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

"प्रस्ताव संख्या :: श्री लीलाघर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147 कमला 6 (4) नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। (प्रकरण संख्या 94/2011)

श्री लीलाघर पुत्र श्री राम गोपाल मट्टड निवासी बी—147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने पर किसी प्रकार की कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा चारों तरफ फेंसिंग है। संदर्भित भूमि जेसलमेर बाईपास पर स्थित है तथा जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में अंकित है। बाईपास सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट सडक हेतु एवं 75 फीट का पर्यावरण क्षेत्र (प्लाण्टेशन बेल्ट) छोडने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में संबंधित उपायुक्त द्वारा आवेदित भूमि के स्वामित्व की सुनिश्चितता करने तथा उसके पश्चात् सचिव एवं आयुक्त प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण में आवेदन अनुसार भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

आवेंद्रक श्री लीलाघर भट्टड खसरा स्वामी खसरा संख्या 764/2 ने आवेदन—पन्न दिनांक 21 नवम्बर, 2011 ने प्रार्थना—पन्न प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके आवेदन—पन्न में अंकित "होटल" शब्द निरस्त किया जाये एवं क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर भूमि अंकित किया जावे।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रहवासीय से होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। जिसके कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को निर्णित किया गया।

अब आवेदक उक्तानुसार प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निवेदन है कि आवेदन—पत्र में वर्णित क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर है जो नगण्य है तथा आवेदित भू—उपयोग होटल/वाणिज्यिक के स्थान पर वाणिज्यिक करने हेतु निवेदन किया है। अतः इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6 (5) ः श्री लीलाघर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ मू—उपयोग परिवर्तन। (प्रकरण संख्या 95/2011)

V

श्री लीलाघर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से घोटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंघ में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने पर किसी प्रकार की कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा चारों तरफ फेंसिंग है। संदर्भित भूमि जेसलमेर बाईपास पर स्थित है तथा जोघपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में अंकित है। बाईपास सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट सडक हेतु एवं 75 फीट का पर्यावरण क्षेत्र (प्लाण्टेशन बेल्ट) छोडने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ मू—उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा संबंधित उपायुक्त द्वारा आवेदित भूमि के स्वामित्व की सुनिश्चितता करने तथा उसके पश्चात् सचिव एवं आयुक्त प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण में आवेदन अनुसार भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

आवेदक श्री लीलाघर मट्टड खसरा स्वामी खसरा संख्या 764/1 ने आवेदन—पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2011 ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके आवेदन—पत्र में अंकित "होटल" शब्द निरस्त किया जाये एवं क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर भूमि अंकित किया जावे।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी—147, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रहवासीय से होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। जिसके कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को निर्णित किया गया।

अब आवेदक प्रासंगिक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निवेदन है कि आवेदन—पत्र में वर्णित क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर है जो नगण्य है तथा आवेदित मू—उपयोग होटल/वाणिज्यिक के स्थान पर वाणिज्यिक करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 6 (4) एवं प्रस्ताव संख्या 6 (5) में उल्लेखित प्रकरणों में आवेदक श्री लीलाघर एक ही व्यक्ति है तथा आवेदित दोनों भूखण्ड लगते हुए तथा दोनों भूखण्डों का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन करने का आवेदन किया है। प्रकरण एक ही आवेदक से संबंधित होने एवं एक ही प्रयोजनार्थ है तथा प्रस्तावित भूमि एक ही खसरे का भाग होने के कारण कुल क्षेत्रफल 7920 वर्ग मीटर हो जाता है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों को संयोजित किया जाकर राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

आवेदक के आवेदन के कम में उपायुक्त-पश्चिम से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार संवत् 2046–49 की जमाबंदी नामान्तकरण 204 दिनांक 11 नवम्बर, 1992 के अनुसार बंटवाडा निम्न सहखातेदारों में निम्नानुसार किया गया था:-

- 1- चम्पा बेवा कनीराम कौम माली 3 बीघा खसरा संख्या 764
- 2- जेठाराम पुत्र कनीराम रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 764/1
- 3- गोविन्दराम पुत्र कनीराम रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खसरा 764/2

कम संख्या 2 ने दिनांक 27 फरवरी, 1993 को आनन्द राठी, नन्दिकशोर राठी व पुष्पलता राठी को बेचान कर दिया। कम संख्या 3 ने दिनांक 27 फरवरी, 1993 को सुरेश राठी पुत्र नन्दिकशोर राठी, शिशराठी धर्मपत्नी सुरेश राठी के नाम रिजस्टर्ड बेचान कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 217 व 218 दिनांक 28 मई, 1993 दर्ज कर खातेदार दर्ज किये गये। खसरा संख्या 764/1 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 1 जुलाई, 2011 के अनुसार नामान्तरण संख्या 376 बेचान दिनांक 4 जून, 2002 के अनुसार 3 बीघा 10 बिस्वा के लीलाधर पुत्र श्री रामगोपाल भट्ड खातेदार बने। खसरा संख्या 764/2 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 1 जुलाई, 2011 के अनुसार नामान्तरण संख्या 395 बेचान दिनांक 4 जून, 2002 के अनुसार 3 बीघा 10 बिस्वा के

1

लीलाधर पुत्र रामगोपाल भट्ड खातेदार बने। लीलाधर पुत्र रामगोपाल भट्टड ने भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। यह सही है कि खसरों का विभाजन दिनांक 11 नवम्बर, 1992 को हुआ था तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन दो अलग अलग खसरों के रूप में हुआ तथा अलग अलग केताओं ने श्री लीलाधर भट्टड को बेचान किया है।

दिनांक 17 फरवरी, 2012 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित समानान्तर प्रकरणों में इसी आशय का निर्णय लेते हुए प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था:—

- 1— राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1874/916 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांशी, खसरा संख्या 1474/914 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1917/1875 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री विपिन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 43/2011
- 2— राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 916/747, 1876/1475 व 1875/916 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री विरेन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 78/2011
- 3— ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1877/1475, 1916/1875 के कुल रकबा में से 1693.11 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री महेश गहलोत पुत्र श्री आनन्दी लाल (प्रकरण संख्या एफ. 37/ 138/2008 भूउप)
- 4— ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 1884/1475 में 1285 वर्ग मीटर भूमि आवेदक श्रीमती किरण पत्नि श्री कमलेश गहलोत। प्रकरण संख्या 115/2008
- 5— ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 1882/1475 में 1285 वर्ग मीटर भूमि। आवेदक श्रीमती तीजादेवी पत्नि श्री गोविन्दराम। प्रकरण संख्या 114/2008

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से प्रकरण में निर्णय लिया गया कि प्रकरण अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनःविंचार हेतु प्रेषित किया गया है। अतः कार्यकारी समिति द्वारा सर्व सम्मित से यह निर्णय लिया गया कि दोनों प्रकरणों में संबंधित भूमि के खसरा संख्या पृथक पृथक है। उपायुक्त—पश्चिम की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा अलग अलग विकेताओं से भूमि क्य की गयी है। उक्त खसरों का विभाजन दिनॉक 11 नवम्बर, 1992 को हो चुका था और उसके पश्चात् दिनांक 4 जून, 2002 को आवेदक द्वारा उक्त भूमि क्य की गयी है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों को पृथक पृथक मानते हुए प्रधिकरण की अधिकारिता बनती है तद्नुसार प्रकरण में भू—उपयोग परिवर्तन इस शर्त पर किये जाने का निर्णय लिया गया कि आवेदक दोनों भूमियों का पृथक पृथक भवन मानचित्र स्वीकृत करायेंगे तद्परान्त बैठक में यह भी विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 43/2011, 78/2011, 138/2008,115/2008 एवं 114/2008 में भी आवेदित भूमि पृथक पृथक खसरा नम्बर एवं पृथक पृथक खातेदारी की है। अतः उक्तानुसार भू—उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (7) ः राजस्व ग्राम बासनी बाघेला खसरा संख्या 13 (रकबा 8 बीघा), 12 (कुल रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा) में 2



बीघा 15 बिस्ता एवं खसरा संख्या 17 (19 बीघा 5 बिस्ता) कुल रकबा 30 बीघा भूमि का ट्यूरिट फेसिलिटी (पर्यटक सुविघा) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में। प्रकरण संख्या 160/2010 आवेदक श्री सूर्यवीर सिंह पुत्र श्री प्रदीप सिंह

आवेदक श्री सूर्यवीर सिंह पुत्र श्री प्रदीप सिंह ने राजस्व ग्राम बासनी बाघेला खसरा संख्या 13 (रकबा 8 बीघा), 12 (कुल रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा) में 2 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 17 (19 बीघा 5 बिस्वा) कुल रकबा 30 बीघा भूमि का ट्यूरिट फेसिलिटी (पर्यटक सुविधा) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त / सूझाव दो समाचार—पत्र यथा दैनिक नवज्योति व दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 में सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपित्त / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा जोजरी नदी एवं सडक के मध्य स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में संदर्भित भूमि का भू—उपयोग पर्यटन सुविधाएं हेतु आरक्षित है। जोजरी नदी की सीमा से निर्धारित दूरी छोडते हुए एवं सामने स्थित सडक के मध्य बिन्दु से 30 फीट छोडते के पश्चात् शेष भूमि को आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति में रखा जाकर समिति की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया जाना उचित होगा।

अतः इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को जरिये प्रस्ताव संख्या 3 (9) विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2011 में जोजरी नदी के समीप बनने वाले रीवर फन्ट परियोजना के संबंध में विचार विमर्श किया गया है एवं नगर निगम को उक्त परियोजना के लिए नॉडल एजेन्सी बनाया गया है। अतः प्रकरण के संबंध में उपायुक्त—दक्षिण व नगर निगम के अधीक्षण अभियन्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा से रिपोर्ट ली जावे कि उक्त प्रस्तावित परियोजना में आवेदित भूमि तो नहीं आ रही है? उक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 302 दिनांक 19 मार्च, 2012 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि जोजरी रीवर फ्रन्ट परियोजना में अभी तक नदी के खसरे एवं नदी के आसपास स्थित सरकारी खसरों पर ही रीवर फ्रन्ट परियोजना बनवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी खातेदारों की भूमि की अवाप्ति का वर्तमान में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं हैं।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में मास्टर प्लान जोजरी नदी के दोनों ओर प्रदर्शित वृक्षारोपण पट्टी को यथावत् रखते हुए शेष भूमि के संबंध में प्राधिकरण की



भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (8) ः जोघपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम नान्दडा खुर्द खसरा संख्या 3/1 रकबा 5950.00 वर्ग मीटर औद्योगिक से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 60/2011

आवेदक जोधपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड प्लाट संख्या 208, एकता नगर, बनाड़ रोड़, जोधपुर द्वारा ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 3/1 में 5950 वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार विद्यालय का सम्पर्क सडक मार्ग व होटल का सम्पर्क सडक मार्ग एक ही प्रतीत होता है इससे यह प्रकट होता है कि होटल परिसर में ही विद्यालय का संचालन होगा जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करायी जावे। संबंधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक स्वयं मौका देखकर एवं चैक लिस्ट में रिपोर्ट अंकित करते हुए उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से टिप्पणी देवें तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया कि प्रकरण में संबंधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत हुआ। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने के लिए नाराजगी व्यक्त की ओर निर्देश दिये कि उक्त दोनों अधिकारी गण संयुक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 60 फीट चौड़ी सडक व अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी 7 दिवस में प्रस्तुत की जावे तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

इस संबंध में आवेदक ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 60 फीट चौड़ी सडक होने की शर्त पर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना संभव बताया गया। जबकि आपसे अनुरोध है कि हमारी भूमि का सम्पर्क जोधपुर – जयपुर मुख्य मार्ग पर आया हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे आगामी बैठक में आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

इस संबंध में उप नगर नियोजक ने रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रकरण में लिये गये निर्णय के अनुसार 60 फीट चौडी सडक का होना आवश्यक है। यदि मौके पर प्रार्थी द्वारा 60 फीट चौडी सडक सुनिश्चित करता है तो आगामी कार्यवाही की जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार मौके पर प्रार्थी यदि 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चिचता करते हैं तो भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावे। प्रस्ताव संख्या 30 (9) ः राजस्व ग्राम बागा के खसरा संख्या 622 रकबा 1923.66 वर्ग गज का आवासीय से लघु उद्योग प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री

मदनलाल पुत्र श्री सुखलाल भाटी। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 52/2009

आवेदक श्री मदनलाल पुत्र श्री सुखलाल भाटी ने उपरोक्तानुसार ग्राम बागा के खसरा संख्या 622 रकबा 1923.66 वर्ग गज का आवासीय से लघु उद्योग प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दो स्थानीय समाचार पत्र में दिनाक 17 अक्टूबर, 2010 को आपित्त / सुझाव आमंत्रित किये गये। जिसके कम में श्री अभयसिंह, बागा गांव के निवासी द्वारा आपित्त प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदित स्थल पर साडियां धोने का कार्य चल रहा है जिसके कारण पूरे क्षेत्र में तेजाब की बदबू आती है तथा आसपास के वातावरण में बदबू होने तथा भूमि खराब हो रही है। जिसके कम में आवेदक श्री मदनलाल भाटी द्वारा प्रतिउत्तर पेश करते हुए यह कथन किया है कि उनके द्वारा साडी धोने का कार्य बन्द कर आवेदित स्थल पर मिनरल वाटर का प्लाण्ट लगाया जाएगा। अतः भू—उपयोग परिवर्तन करावें। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी सिमिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 में जिरये प्रस्ताव संख्या 6 (10) प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित उद्योग के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस आशय का प्राप्त किया जावे कि प्रस्तावित उद्योग प्रदूषण रहित है साथ ही आपत्तिकर्ता श्री अभयसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आपत्ति के संबंध में भी संबंधित उपायुक्त की बिन्दुवार टिप्पणी ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

उपायुक्त-पश्चिम की रिपोर्ट के अनुसार आपत्तिकर्ता आदिनांक तक न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है और न ही उपस्थित हुए हैं। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि पर मिनरल वाटर प्लाण्ट स्थापित करना चाहते हैं। प्रकरण में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति के पश्चात् ही प्लाण्ट स्थापित किया जावेगा। अतः भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में विचार किया सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सक्षम सहमति प्राप्त करेंगे और आवेदित भूमि पर प्रदूषणयुक्त या टेक्सटाईल इकाई के अलावा अन्य प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाई स्थापित करने की शर्त पर भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (10) ः राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090—25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 185/2010

आवेदक श्री गैनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह गहलोत साकिन लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090–25 वर्ग मीटर भूमि का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु

आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्त के संबंध में आपित्त / सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 13 मार्च, 2011 को दो स्थानीय समाचार—पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके कम में कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई हैं।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 रकबा 2090—25 वर्ग मीटर का व्यवसायिक (पेट्रौल पम्प) से व्यवसायिक (होटल) का प्रकरण है। उक्त भूखण्ड का जोधपुर मास्टर प्लान — 2023 अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (ओ.सी.एफ.) एवं आवासीय क्षेत्र में आरक्षित हैं।

इस कार्यालय के पत्र कमांक 130 दिनांक 2 अप्रैल, 2012 द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में आवेदक ने स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में कार्यालय जिलाधीश, जोधपुर के कार्यालय आदेश कमांक प.12 (1) 2 (1) /7/राजस्व/78/1335—42 दिनांक 29 मार्च, 1978 की प्रति व लीज डीड की प्रति संलग्न की है। अतः इस संबंध में सहमति/असहमति से इस कार्यालय को सूचित करावें। पटवारी राजस्व की रिपोर्ट दिनांक 4 जुलाई, 2011 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में ख. सं. 2085/378 रकबा 01—06 बीघा किस्म गैर मुमिकन लगान 1.00 रूपये ग्राम मण्डोर द्वितीय के खाता संख्या 406 में गेनसिंह पि. गोरधनसिंह जाति माली सा. लाला बेरा (99 वर्ष हेतु आवंटन) गैर खातेदार दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर, जोधपुर ने पत्र क्रमांक राजस्व/2012/864 दिनांक 9 फरवरी, 2012 द्वारा इस कार्यालय को नियमानुसार समस्त परीक्षण आदि कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय से प्रकरण का संपूर्ण परीख्झण कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। अतः आवेदित भूमे के स्वामित्व की जॉच करने के संबंध में उपायुक्त—उत्तर, निदेशक—विधि एवं संबंधित तहसीलदार की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति की आवेदित भूमि के स्वामित्व एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये आवॅटन पत्र की शर्तों की अनुपालना की स्थिति का परीक्षण करेगी तद्परान्त अपनी राय आगामी बैठक से पूर्व सचिव को प्रेषित करेगी।

प्रस्ताव संख्या 30 (11) ःः मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश मंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी मंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, क्षेत्रफल 4530.66 वर्ग मीटर, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन बाबत। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 143/2011

आवेदक मैसर्स ब्राईट मेटल्स जिरये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी—313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु जद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव आमंत्रित हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में सूचना दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अंक में फराने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में सूचना दिनांक 13 जनवरी, विश्व कमांक प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको ने जिरये पत्र कमांक 7798 दिनांक 31 जनवरी, 2012 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत आपत्ति के कम में



स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 649 दिनांक 13 फरवरी, 2012 जारी किया गया है। जिसके कम में प्रतिउत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू—उपयोग औद्योगिक आरिक्षत है। भूखण्ड संख्या 4 पुलिस थाना शास्त्रीनगर के पीछे काजरी से मुख्य पाल सडक को मिलान करने वाली सडक के उत्तर दिशा में स्थित है तथा दक्षिण दिशा में मिल्कमैन कॉलोनी स्थित है। पश्चिम में भूखण्ड संख्या 3 व पूर्व दिशा में भूखण्ड संख्या 5 स्थित है तथा भूखण्ड संख्या 4 के उत्तर दिशा में रेलवे लाईन है जो बन्द है। मौके पर फैक्ट्री निर्मित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को जरिय प्रस्ताव संख्या 6 (16) प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से यह मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि ऐसे क्षेत्र जो रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है एवं रीको द्वारा भूखण्डों का आवंटन भी नहीं किया गया है ऐसे क्षेत्र में भी रीको से अनापत्ति भू—उपयोग परिवर्तन के लिए लिया जाना आवश्यक रहेगा? साथ ही प्रकरण के परीक्षण के संबंध में उपायुक्त—दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप—समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप—समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता—दक्षिण एवं निदेशक—विधि सदस्य होंगे। उक्त उप—समिति प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रचलित नियमों के संदर्भ में परीक्षण करते हुए प्रस्तावित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में राय प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार द्वारा जिरये पत्र कृमांक प. 3 (44) निविव /3 /2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, "....भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू-उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपित्त नहीं है।" गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के कृम में पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में रीको की आपत्ति का आधार क्या है? इस बाबत रीको से स्थिति स्पष्ट करायी जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्ताव संख्या 30 (12) ः ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकबा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोघपुर। प्रकरण संख्या 13/2012

आवेदक श्री सोनल चौहान पत्नि श्री गजेन्द्र सिंह व श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोगपाल सिंह निवासी 4, हनवन्त कॉलोनी, राईकाबाग, जोधपुर ने ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 139 में स्थित भूखण्ड संख्या 15, 16 व 17 कुल रकवा 1253.07 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 29 मार्च, 2012 को दो स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार प्लाट संख्या 15, 16 व 17 जोधपुर से पाली जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्टेडिया आवासीय कॉलोनी जाने वाली 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 के चारों ओर चार दीवारी प्रार्थी द्वारा की गयी है। प्लाट संख्या 15, 16 व 17 का उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। जिसमें सडक की चोडाई 30 फीट चौडी दर्शायी गयी है। मास्टर प्लान में सडक की चौडाई 60 फीट चौडी आरक्षित है। प्रार्थी ने उपरोक्त तीनों प्लाट्स को आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू—उपयोग परिवर्तन करना चाहता है। मेरी राय के अनुसार सडक की चौडाई 60 फीट चौडी रखते हुए सेन्टर से 30 फीट — 30 फीट छोड़ते हुए भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त एवम् निदेशक—आयोजना से 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चिता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (13) ः ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 रकबा 3 बीघा
4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से होटल
(वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन।
आवेदक श्रीमती मॅजू देवी पत्नि श्री आनन्दिसंह
निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर। प्रकरण संख्या
8/2012

आवेदक श्रीमती मॅजू देवी पत्नि श्री आनन्दिसंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर ने ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 रकवा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवँ गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 8 फरवरी, 2012 को दो स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग वेयर हाऊस व गौदाम हेतु आरक्षित है। खसरा संख्या 88 मुख्य बाईपास रोड जो 200 फीट चौंडी है, के उत्तर दिशा में स्थित है तथा पश्चिम दिशा में जोधपुर से सोजत जाने वाली 100 फीट चौंडी सडक से खसरा संख्या 88 / 5 को छोडते हुए स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (14) ः ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक सुश्री मोना सामरिया पुत्री आनन्दिसंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोघपुर। प्रकरण संख्या 8/2012

आवेदक सुश्री मोना सामरिया पुत्री आनन्दसिंह निवासी शांहजाह मोहल्ला, जोधपुर ने ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 88/5 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में

आपत्ति / सुझाव दिनांक ८ फरवरी, 2012 को दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बासनी बँदा के खसरा संख्या 88 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग वेयर हाऊस व गौदाम हेतु आरक्षित है। खसरा संख्या 88/5 मुख्य बाईपास सडक के उत्तर दिशा में स्थित है। बाईपास सडक की चौडाई 200 फीट चौडी व 75—75 फीट प्लाण्टेशन हेतु आरक्षित है तथा पश्चिम दिशा में जोधपुर से सोजत जाने वाली 100 फीट चौडी सडक प्रस्तावित है तथा पूर्व दिशा में खसरा संख्या 88 व उत्तर दिशा में खसरा संख्या 87 स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (15) ः ग्राम घिनाणा की ढाणी पाल के खसरा संख्या 473/1 व 473 कुल रकबा 52,118.30 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक (कॉलेज, महाविद्यालय) से आवासीय ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री माणकचन्द, श्री महावीर जैन पुत्र श्री माणकचन्द निवासी 119—सी, शास्त्रीनगर, जोघपुर। प्रकरण संख्या 48/2012

आवेदक श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री माणकचन्द, श्री महावीर जैन पुत्र श्री माणकचन्द निवासी 119—सी, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने ग्राम धिनाणा की ढाणी पाल के खसरा संख्या 473/1 व 473 कुल रकबा 52,118.30 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक (कॉलेज, महाविद्यालय) से आवासीय ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को दो स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित की गई। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम घिनाणा की ढाणी (पाल) के खसरा संख्या 473 व 473/1 रकबा 16-02 बीघा का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू-उपयोग कॉलेज हेतु आरक्षित है। खसरा संख्या 473 व 473/1 का महाविद्यालय का पट्टा भी न्यास के द्वारा जारी किया हुआ है। खसरा संख्या 473 व 473/1 मुख्य बाईपास रोड के उत्तर दिशा में स्थित है। मुख्य द्वार के पास चौकीदार हेतु कमरों का निर्माण भी किया हुआ है तथा शेष भूमि खाली है। पश्चिम दिशा में आशापूर्ण एनकलेव आवासीय योजना विकसित है तथा पूर्व दिशा में भी निर्माण किया हुआ है तथा दक्षिण दिशा में 200 फीट चौडी बाईपास सडक व 75 फीट चौडी प्लाण्टेशन हेतु आरक्षित है। प्रार्थी ने महाविद्यालय से आवासीय ग्रुप हाऊसिंग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन चाहा है। मेरी राय के अनुसार आसपास आवासीय निर्माण को देखते हुए महाविद्यालय से आवासीय ग्रुप हाऊसिंग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का हैं। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (16) ॥ ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 110/2011

आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल ने राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में सूचना दिनांक 26 अक्टूबर, 2011 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू—उपयोग आवासीय आरक्षित है। उपरोक्त खसरा के भूखण्ड संख्या 2 आशापूर्णा वैली में 70 फीट चोडी सडक पर स्थिज़त है तथा पश्चिम दिशा में हाईकोर्ट प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर दिशा में 200 फीट चौडी बाईपास सडक तथा दक्षिण दिशा में इसी खसरे की भूमि आशापूर्णा वैली स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2012 में जिरये प्रस्ताव संख्या 6 (14) प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 6(14) एवं प्रस्ताव संख्या 6(15) में वर्णित भूमि एक ही खसरा नम्बरान की भूमि है तथा आवेदक भी एक ही व्यक्ति (महिला) है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उल्लेखित भूमि का संयुक्तिकरण करने हेतु राज्य सरकार की अनुमित प्राप्त करने के पश्चात् भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशक—आयोजना की रिपोर्ट अनुसार पहले भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात् संयुक्तीकरण की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से प्राप्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवम् संयुक्तीकरण करने हेतु राज्य सरकार की अनुमित के लिये प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 30 (17) ः ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 3 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 109/2011

V

आवेदक श्रीमती सुजी देवी पिल श्री सादाराम मेघवाल ने राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 3 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपिति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में सूचना दिनांक 4 नवम्बर, 2011 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू—उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा संख्या 11/2 मुख्य बाईपास रोड पर दक्षिण दिशा में स्थित है। बाईपास रोड के दोनों तरफ 75 फीट प्लाण्टेशन आरक्षित है तथा सड़क के दक्षिण दिशा में आशापूर्णा वैली का गेट बना हुआ है। प्रार्थी ने आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू—उपयोग परिवर्तन चाहा है। इसी खसरा संख्या 11/2 के पश्चिम दिशा में हाईकोर्ट भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। अतः आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू—उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 6(14) एवं प्रस्ताव संख्या 6(15) में वर्णित भूमि एक ही खसरा नम्बरान की भूमि है तथा आवेदक भी एक ही व्यक्ति (महिला) है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उल्लेखित भूमि का संयुक्तिकरण करने हेतु राज्य सरकार की अनुमित प्राप्त करने के पश्चात् भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशक—आयोजना की रिपोर्ट अनुसार पहले भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात् संयुक्तीकरण की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राप्त प्रस्तावानुसार भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवम् संयुक्तीकरण करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति के लिये प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 30 (18)

ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 461 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा 15 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविघा (ओ.सी.एफ.) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती शांति देवी पारख पत्नि श्री जसवन्तराज पारख, श्रीमती मघु पारख पत्नि श्री अशोक पारख, श्रीमती अर्जना पारख पत्नि श्री प्रवीण पारख, श्री अशोक पारख व श्री प्रवीण पारख पुत्रान् स्व. श्री जसवन्तराज साह पारख निवासीगण ए—94, कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना, जोघपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 140/2011

आवेदक श्रीमती शांति देवी पारख पत्नि श्री जसवन्तराज पारख, श्रीमती मधु पारख पत्नि श्री अशोक पारख, श्रीमती अर्जना पारख पत्नि श्री प्रवीण पारख, श्री अशोक पारख व श्री प्रवीण पारख पुत्रान् स्व. श्री जसवन्तराज साह पारख निवासीगण ए-94, कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना, जोधपुर ने ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 461 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा 15 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा (ओ. सी.एफ.) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी (पाल) के खसरा संख्या 461 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधा (ओ.सी.एफ.) आरक्षित है। जो मुख्य बाईपास रोड के दक्षिण दिशा में स्थित है। खसरा संख्या 461 के लगभग सामने की ओर आशापूर्णा एनकलेव तथा पूर्व दिशा में पार्श्वनाथ सिटी है तथा पश्चिम दिशा में अन्य मकान व फैक्ट्री बनी हुई है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 461 का ओ.सी.एफ. से आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन चाहा है। आसपास के रहवासीय कॉलोनी विकसित होने के कारण मुख्य बाईपास के दोनों ओर 75 फीट — 75 फीट का प्लाण्टेशन दर्शाया जाना उचित रहेगा। मुख्य बाईपास सडक की चौडाई 200 फीट चौडी है। अतः भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि चूंकि आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर से अधिक हैं एवं अन्य सामुदायिक सुविधा से अन्य प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किया जाना प्राधिकरण स्तर पर निषेध किया गया है। अतः प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (19) ः ग्राम जोघपुर के खसरा संख्या 900/751 में स्थित 856.71 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री बच्छराज निवासी सिवांचीगेट के बाहर, जोघपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 33/2010

आवेदक श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री बच्छराज निवासी सिवांचीगेट के बाहर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 900 / 751 में स्थित 856.71 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में दिनांक 22 मई, 2010 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में इस भूखण्ड के चिपते हुए उत्तर में भू—उपयोग परिवर्तन किया हुआ है जिसमें मुख्य पाल सडक को 160 फीट चौडी रखा गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में भविष्य में अगर इस सडक को 200 फीट रखने की आवश्यकता होगी तो प्रार्थी निःशुल्क शेष 20 फीट भूमि प्राधिकरण को समर्पित करना होगा। अतः संदर्भित भूमि को पाल सडक के मध्य बिन्दु से 80 फीट एवं पिछे मिल्कमैन कॉलोनी की मुख्य सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडने के पश्चात् शेष भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर से कम है। अतः इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। प्रस्ताव संख्या 30 (20)

ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का स्कूल से व्यवसायिक सह औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री ईसराराम मेघवाल पुत्र श्री चतरराम निवासी बाडमेर हाल निवासी अंसल सुशान्त सिटी, पाल रोड, जोधपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 72/2011

आवेदक श्री ईसराराम मेघवाल पुत्र श्री चतरराम निवासी बाडमेर हाल निवासी अंसल सुशान्त सिटी, पाल रोड, जोधपुर ने ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का स्कूल से व्यवसायिक सह औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में दिनांक 6 सितम्बर, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 मुख्य जोधपुर — पाली सडक के पश्चिम दिशा में जोजरी नदी के बार होण्डा सिटी शौरूम के लगभग सामने स्थित है तथा खसरा संख्या 59/2 के उत्तर में चार दीवारी तथा दक्षिण में महाराजा हैण्डीकाफ्ट का शौरूम है। मुख्य सडक की चौडाई व आसपास व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए खसरा संख्या 59/2 का मास्टर प्लान में दर्शाये गये स्कूल भू—उपयोग से व्यवसायिक व औद्योगिक हेतु भू—उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि स्कूल से अन्य प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किया जाना प्राधिकरण स्तर पर निषेध किया गया है। अतः प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (21) ः ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर मूमि का पर्यटन इकाई से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सुशीला पत्नि श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नान्दडी कलाँ, जोधपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 20/2012

आवेदक श्रीमती सुशीला पिल श्री कालूराम प्रजापत निवासी सिरियादे गांव, नान्दडी कलाँ, जोधपुर ने ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 की 1632.71 वर्ग मीटर भूमि का पर्यटन इकाई से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में दिनांक 3 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम सिरियादे गांव के खसरा संख्या 2 व 3 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू-उपयोग पर्यटक इकाई (टी.एफ.) आरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्लेन टेबल सर्वे प्लान के अनुसार भूखण्ड 60 फीट चौडी सडक पर स्थित होना बताया गया है। भूखण्ड का नाप 92 फीट 6 ईंच

गुणा 190 फीट अर्थात् 1632.71 वर्ग मीटर है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से आवेदित भूमि के सामने 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चितता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (22) ः श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090 / 740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 184 / 2010

श्री हितेन्द्र पुत्र श्री श्यामलाल गोयल, श्री नरेश गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल एवं श्री विष्णु लाल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल निवासीगण प्लाट संख्या 113, गोल्फकोर्स, रातानाडा, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर (बासनी) खसरा संख्या 1090 / 740 ब्लॉक संख्या 12, 13 व 14 कुल रकबा 4451.38 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (ऑफिस व शौरूम) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मकान व चार दीवारी बनी हुई है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण में रीको से आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त व उप नगर नियोजक की चैक लिस्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्राधिकरण की ओर से रीको को पत्र जारी किये जाने पर रीको द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के पत्र के संबंध में उन्होंने जयपुर कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है।

आवेदक ने प्रार्थना-पत्र के रूप में इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है कि रीको द्वारा इस संबंध में जो भी राशि की मांग की जावेगी, वे जमा करवा देंगे। अतः उनका प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि भू—उपयोग परिवर्तन आदेश रीको कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जावे।

राज्य सरकार द्वारा जिरये पत्र कमांक प. 3 (44) निववि / 3 / 2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा एक अन्य प्रकरण में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, "....भूखण्ड यदि रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में नहीं हैं तो भू-उपयोग परिवर्तन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।" गत बैठक में लिये गये निर्णय की

अनुपालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट व राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के कम में पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि एक अन्य प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण आविदत भूमि रीको द्वारा विकसित है अथवा नहीं? के संबंध रिपोर्ट देने हेतु उपायुक्त—दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप—समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप—समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता—दक्षिण एवं निदेशक—विधि सदस्य होंगे। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट सचिव को प्रेषित करेगी तथा रीको से स्पष्ट जानकारी ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (23) ः ग्राम बासनी चौहाना खसरा संख्या 58/18 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 60/18 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 63/18 रकबा 19 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल निवासी "सूरज भवन" प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोघपुर। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 175/2010

आवेदक श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल निवासी "सूरज भवन" प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ने ग्राम बासनी चौहाना खसरा संख्या 58/18 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 60/18 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 63/18 रकबा 19 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपित्त/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार—पत्रों में दिनांक 10 मार्च, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी। जिसके कम में कोई आपित्त/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि लगभग रिक्त है तथा चारों ओर बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है। भूखण्ड मुख्य पाली रोड पर स्थित है जिसकी चौडाई जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार 200 फीट है। मौके पर इस भूखण्ड की कतार में एक भूखण्ड के पश्चात् 60 फीट एवं उसके पश्चात् विजयराजे नगर में स्थित मल्टीप्लेक्स का निर्माण सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडकर किया जा रहा है। अतः इसमें सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडने के पश्चात् आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू—उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (24)

ग्राम जोघपुर के खसरा संख्या 632/11 मीन की 20857 वर्ग मीटर मूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी. एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ मू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए—46, शास्त्रीनगर, जोधपुर। मू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या

आवेदक श्रीमती मगन जैन पत्नि श्री विनयकुमार जैन निवासी ए-46, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 मींन की 20857 वर्ग मीटर भूमि का अन्य सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.) से व्यवसायिक प्रयोजनाथ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार-पत्रों में दिनांक 19 मई, 2012 को सूचना प्रकाशित की गयी।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/11 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधा (ओ.सी.एफ.) आरक्षित है। खसरा संख्या 632/11 शिकारगढ से सरदार समंद जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी खसरे के उत्तर दिशा में होटल वेवस निर्माणाधीन है। जिसका भू—उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में किया जा चुका है तथा पूर्व दिशा में 120 फीट चौडी सरदार समंद सडक है तथा दक्षिण—पश्चिम दिशा में पावूपुरा ग्राम है। आसपास में व्यवसायिक एवं आवासीय गतिविधियाँ संचालित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 12 बीघा 17 बिस्वा व 14 बिस्वांशी अर्थात् 20857 वर्ग मीटर है। जिसका प्रार्थी द्वारा ओ.सी.एफ. से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। जिसकी अनुशंषा किया जाना उचित होगा।

आवेदित प्रकरण राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया और निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में सुनिश्चितता की जावे। यदि आपत्ति प्राप्त होती है, तो प्राप्त आपत्ति का निराकरण एवम् विधिक राय ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 (25) ः ग्राम जोघपुर के खसरा संख्या 1525 / 1033 (पुराना खसरा संख्या 1033 / 740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में। आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर, जोघपुर। भ—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 137 / 2010

आवेदक श्री निशार मोहम्मद पुत्र श्री रमजान मोहम्मद, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, चांदणा भाकर, जोधपुर ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1525/1033 (पुराना खसरा संख्या 1033/740 मीन) रकबा 14 बिस्वा 1 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को आपित्त/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार—पत्रों में किया गया। जिसके कम में कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई है।

मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित स्थल पर औद्योगिक इकाई चल रही है। औद्योगिक इकाई में रंगाई छपाई का कार्य चल रहा है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार भू—उपयोग मानचित्र जोधपुर के प्रस्तावोनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित है। सम्पर्क सडक को 60 फीट रखा जाकर प्रकरण में विचार किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि 60 फीट चौडी सडक की सुनिश्चितता की रिपोर्ट लेकर तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापित प्राप्त करना आवश्यक है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (26) ः ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 968 की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोघपुर। भू—उपयोग प्रकरण संख्या 27/2012

आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 966 की 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार—पत्रों में किया गया। जिसके कम में चैयरमेन/सेकेटी, लिगल सोसायटी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 966 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है। खसरा संख्या 966 चौपासनी सडक से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पूर्व दिशा में स्थित है तथा मौके पर भूखण्ड रिक्त है तथा आसपास आवासीय निर्माण व रहवास है तथा आबादी एरिया विद्यमान है तथा सडक की चोडाई 80 फीट मास्टर प्लान के अनुसार आरक्षित है तथा पूर्व में एक प्रकरण का भू—उपयोग परिवर्तन आदेश 80 फीट चौडी सडक के हो चुके हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक—आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 30 (27) ः ग्राम सूथला के खसरा संख्या 31, 32/1, 35/1, 36/1 व 37 की 5 बीघा 18 बिस्वा मूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ मू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोघपुर। मू—उपयोग प्रकरण संख्या 26/2012

आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जी जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम सूथला के खसरा संख्या 31, 32/1, 35/1, 36/1 व 37 की 5 बीघा 18 भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को आपित्त / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सूथला के 31, 32/1, 35/1, 36/1 व 37 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है। उपरोक्त सभी खसरे चौपासनी सडक से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पूर्व दिशा में स्थित है तथा मौके पर भूखण्ड रिक्त है, आसपास आवासीय निर्माण व रहवास है, आबादी एरिया विद्यमान है तथा मास्टर प्लान के अनुसार सडक की चौडाई 80 फीट आरक्षित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक—आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 30 (28) ः ग्राम सूथला के खसरा संख्या 13, 14, 15 व 16 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोघपुर। भू—उपयोग प्रकरण संख्या 26/2012

आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम सूथला के खसरा संख्या 13, 14, 15 व 16 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को आपित्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपित्ति प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सूथला के खसरा संख्या 13, 14, 15 व 16 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है। उपरोक्त सभी खसरे चौपासनी सडक से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा मास्टर प्लान के अनुसार चौपासनी सडक से सिद्धनाथ जाने वाली सडक की चौडाई 80 फीट चौडी आरक्षित है। मौक पर भूखण्ड रिक्त है, आसपास आवासीय निर्माण व रहवास है तथा आबादी एरिया विद्यमान है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक—आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 30 (29) ः ग्राम सूथला के खसरा संख्या 18 व 19 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी

बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरा निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर। मू—उपयोग प्रकरण

आवेदक श्री राजेन्द्र बाहेती पुत्र श्री जेठमल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम सूथला के खसरा संख्या 18 व 19 की 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को आपित्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सूथला के खसरा संख्या 18 व 19 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है तथा चौपासनी से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है, मौके पर भूखण्ड रिक्त है, आसपास में निर्माण व रहवास विद्यमान है तथा मास्टर प्लान के अनुसार सडक की चौडाई 80 फीट चौडी है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक—आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 30 (30) ः ग्राम सूथला के खसरा संख्या 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोघपुर। भू—उपयोग प्रकरण संख्या 23/2012

आवेदक श्री जेठमल बाहेती पुत्र श्री केसरीमल जाति माहेश्वरी निवासी 59, नेहरू पार्क, जोधपुर ने ग्राम सूथला के खसरा संख्या 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का पहाडी क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को आपित्त / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सूथला के खसरा संख्या 7, 8, 9, 10, 11 व 12 का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग पहाडी क्षेत्र आरक्षित है। उपरोक्त सभी खसरे चौपासनी से सिद्धनाथ जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है। सिद्धनाथ जाने वाली सडक की चौडाई मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट चौडी आरक्षित है तथा आसपास निर्माण व रहवास विद्यमान है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से बैठक में निर्णय लिया गया कि निदेशक—आयोजना स्वयं आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपनी सारगर्भित टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 30 (31) ः ग्राम चौखा के खसरा संख्या 729 मीन में स्थित कृषि फार्म हाऊस नम्बर 8 रकबा 2.196 बीघा (2 बीघा 3 बिस्वा 18 बिस्वांशी) व खसरा संख्या 729 मीन रकबा



973.33 कुल रकबा में से 4300 वर्ग गज मूमि का आवासीय से पर्यटन इकाई (होटल प्रयोजनार्थ) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती मधुबाला पत्नि श्री श्यामसिंह व श्री विकान्त पुत्र श्री श्यामसिंह निवासीगण ग्राम चौखा जिला जोधपुर। भू—उपयोग प्रकरण संख्या 30/2011

आवेदक श्रीमती मधुबाला पत्नि श्री श्यामसिंह व श्री विकान्त पुत्र श्री श्यामसिंह निवासीगण ग्राम चौखा जिला जोधपुर ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 729 मीन में स्थित कृषि फार्म हाऊस नम्बर 8 रकबा 2.196 बीघा (2 बीघा 3 बिस्वा 18 बिस्वांशी) व खसरा संख्या 729 मीन रकबा 973.33 कुल रकबा में से 4300 वर्ग गज भूमि का आवासीय से पर्यटन इकाई (होटल प्रयोजनार्थ) प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 6 मई, 2012 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके कम में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 729 मीन का मास्टर प्लान (लैण्ड यूज) 2023 के अनुसार भू—उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा संख्या 729 मीन प्रस्तावित बाईपास सडक के दक्षिण दिशा में स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मित से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वृक्षारोपण पट्टी हेतु नियमानुसार भूमि आवेदक से छुडवाने हेतु निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 (32) ः 750 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के संबंध में।

750 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल व सडक की चौडाई में शिथिलता दिये जाने प्रकरणों पर विचार—विमर्श हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल व सडक की न्यूनतम चौडाई में शिथिलता दिये जाने हेतु नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र कमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 30 जनवरी, 2012 द्वारा गठित समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 12 मार्च, 2012 को अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित आशय के निर्णय लिये गये:—

1— भू—उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों की चौडाई 40 फीट न्यूनतम सुनिश्चित की जावे। 40 फीट चौडी सडक से छोटी सडक पर भू—उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं किया जावे।

2— किसी आवासीय भूखण्ड के आंशिक हिस्से का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहने पर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु संपूर्ण भूखण्ड के क्षेत्रफल का शुल्क वसूल किया जावे।

V

3— परिधि नियंत्रण पट्टी में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन बाबत स्थगन आदेश प्रभावी है। ऐसे प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भू—उपयोग परिवर्तन किया जावे।

4— उक्त शर्तों की पूर्ति करने वाले प्रकरणों में भू—उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे तथा प्रकरण में भू—उपयोग परिवर्तन आदेश जारी करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त की जावे।

उपरोक्त निर्णयों के कम में निम्नलिखित प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:-

- (1) ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86, 93, 93 मीन की 308.29 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती प्रेमकंवर इन्दा पत्नि श्री जसवन्तसिंह इंदा निवासी निम्बा का गांव तहसील शेरगढ जिला जोधपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 87/2011
- (2) ग्राम पूंजला शिक्षक नगर के खसरा संख्या 248 में स्थित भूखण्ड संख्या 4बी, 10 क्षेत्रफल 355.54 वर्ग गज का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री हरिसिंह गहलोत निवासी माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर। भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 125/2011
- (3) ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 101ए, 102 में स्थित भूखण्ड संख्या सी–9 रकबा 278.7 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती महक अयानी पिला श्री लिलत निवासी प्लाट संख्या 257, तिसरी बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 130/2010

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 ः मृतक स्वतंत्रता सैनानी के पत्नि को भूखण्ड आवंटन बाबत।

श्रीमती फूलिया देवी पिल स्वतंत्रता सैनानी श्री फाऊलाल जी राठी निवासी कुम्हारियां कुआ, खाण्डा फलसा, जोधपुर ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे स्वर्गीय पित स्वतंत्रता सैनानी श्री फाऊलाल जी राठी को नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को भूखण्ड आवंटन के तहत न्यास द्वारा जारी भू—आवंटन, भू—विभाजन, वित्त समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव संख्या 19 के तहत "मृतक स्वतंत्रता सैनानी की पत्नी को भूखण्ड आवंटन" का आदेश पारित किया हुआ है। जो कि श्रीमती फूलिया देवी पिल स्व. श्री फाऊलाल जी के नाम से जारी हुआ है। उक्त संबंध में निवेदन है कि भूखण्ड आवंटन के आदेश जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक मुझे भूखण्ड आवंटन (लाईसेंस) नहीं मिला है। प्रार्थीया ने अपने आवेदन—पत्र के साथ बैठक कार्यवाही विवरण आदि की छाया प्रति संलग्न की है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि स्वतंत्रा सेनानी की पितन भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखती है या नहीं? यदि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीनी को भूखण्ड आवंटन की पात्र माना जाता है तो प्रार्थीनी

को राजीव गांधी नगर योजना में नियमानुसार 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

:: उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किये गये पट्टों पर प्रस्ताव संख्या 32 भवन निर्माण अनुमति जारी करने के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक से अधिक भूखण्डों को शामिल करके पट्टे अधिकतर 1500 वर्ग गज के जारी किये हुए हैं। कार्यालय द्वारा आवेदक से 10/- रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से उप विभाजन शुल्क लिया जाता रहा है। किन्तु आवेदक स्वयं के भूखण्ड के क्षेत्रफल का ही उपविभाजन शुल्क देना चाहते हैं। अतः इस संबंध में निर्णयं लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदित क्षेत्रफल का ही विकास शुल्क वसूल करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

10

ः मथुरादास माथुर अस्पताल के समानान्तर प्रथम तल प्रस्ताव संख्या 33 की दुकानों की ऊँचाई बढाने बाबत।

श्री थानाराम, श्री राधेश्याम भाटी ने माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मथुरादास माथुर अस्पताल के पास प्रथम तल पर नीलाम की गई छतों पर बनने वाली दुकानों की ऊँचाई 14 फीट की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूतल पर निर्मित उक्त दुकानों की ऊँचाई 14 फीट है किन्तु प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में प्रथम तल की ऊँचाई सामान्यतः 10 फीट ही रखी गयी है। उक्त क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित भी किया जा चुका है। अतः प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु नगर निगम, जोधपुर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

ः भवन विनियमों के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34

बैठक में निदेशक-आयोजना द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 20 मई, 2011 में प्रकाशित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भवन विनियमों के संबंध में अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2011 को प्राधिकरण में लागू करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2011 इस कार्यवाही विवरण का भाग परिशिष्ट-3 हैं।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों / संशोधनों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया।

ः उप विभाजन पुनर्गठन शुल्क, मलबे के लिए राशि प्रस्ताव संख्या 35 इत्यादि की दरों के संबंध में।

बैठक में निदेशक—आयोजना द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के पृष्ठ संख्या 100 की छाया प्रति जो इस कार्यवाही विवरण का भाग परिशिष्ट-4 है, प्रस्तुत कर मलबे के लिए राशि, उप विभाजन पुनर्गठन की राशि, पार्किंग के लिए देय राशि, अधिवक्ता प्रमाण शुल्क, भवन विस्तार आदि के संबंध में अंकित दरें प्राधिकरण में लागू करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 के पृष्ठ संख्या 100 की छाया प्रति जो इस कार्यवाही विवरण का भाग परिशिष्ट-4 है, मलबे के लिए राशि, उप विभाजन पुनर्गठन की राशि, पार्किंग के लिए देय राशि, अधिवक्ता प्रमाण शुल्क, भवन विस्तार आदि के संबंध में अंकित दरें प्राधिकरण में लागू करने का निर्णय लिया गया।

ः विवेक विहार योजना में श्रीमती सम्पत कंवर को प्रस्ताव संख्या 35 भूखण्ड आवॅटन के संबंध में।

विवेक विहार योजना में अवार्ड संख्या 226 में 500 वर्ग गज का आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड आवंटन किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20 मई, 2010 के अनुसार आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवॅटित किया जाना है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10 मई, 2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार आवेदक को सेक्टर-ए में ही यथासम्भव 100 मीटर की परिधि में भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस संबंध में लॉटरी दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनपुसार भूखण्ड संख्या ए–155 आवॅटित हुआ है। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में ही अन्य अवार्डी रहवासीय मकान बनाकर काबिज है। उपायुक्त दक्षिण की रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर-ए में 500 वर्ग गज का भूखण्ड संख्या ए-25 ही रिक्त है। अतः उक्त अवार्डी को दिनांक 27 मार्च, 2012 की लॉटरी में आवॅटित भूखण्ड संख्या ए—155 का आवॅटन निरस्त करते हुए भूखण्ड संख्या ए-25 आवॅटन किया जाने के निर्देश भूमि अवाप्ति अधिकारी को दिये गये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

कमांक / बैठक / 2012 / DC E/III / 1943 - 993 प्रतिलिपि:-

दिनांक 🕇 📆, 2012

- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर 01.
- जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
- जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर 03
- आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर 04
- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर 05.
- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 07. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 09.
- उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर 10.
- निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 11.
- निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 12.
- निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 13.
- निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 14. निजी सचिव (आयुक्त / अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

15.

1943–983 गैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाईट पर/12 प्रदर्शन हेतु।

> सचिंव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

परिशिष्ट-1

दिनांक 22 मई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	1 of A A - 1
	श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
2.	श्री करणीसिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त—यातायात, जोधपुर कमिशनरेट,
	जोधपुर कामशनरट,
3.	
	श्री एम.आर. विश्नोई, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम
	Tri 100, oliqqt
4.	श्री रविराय वर्मा, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर
5.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निर्देशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री एस एवं सेवी विवेशक अपने ने विवेश प्राधिकरण, जीधपुर
7.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
1.	त्रा रामलाल सिहार्ग, अधाक्षण अभियन्ता जोधपर विकास गाधिकरण जोगार
	अलागाव गिपराक-आयाजनी जीधपर विकास पाहित्वमा जेलाज
8.	श्री नन्दलाल शर्मा, मुख्य विधि सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री यू.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, डिस्कॉम, जोधपुर
10.	हों पाणि पार्म नामपन करने के विकास मार्थियों हैं
11.	डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
	श्री भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री महन्द्रासह, उपायुक्त-पश्चिम, जोधपर विकास पाधिकरण जोधाव
13.	श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री नारायण राम इंदालिया, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री गिरधारी लाल, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री धार्मित केन परिकार जावपुर विकास प्राधिकरण, जीधपुर
10.	श्री धर्मवीर सैन, प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड,
	जोधपुर

S.no. 1									
3 Maha Mandir Choraya out side Sumer Sen.Sec. School 4 Near Minister Khet Singh Bunglow C Fort Road Tiraha at P.c. Chopra House 5 Olympic Choraya On Jalori Gate and Railway Station Road 6 Paota Circle before Flyover Slip Lane for High Court 7 At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan 8 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. To Pall By Pass Near MAR GARH RESORT 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 21 Rasala Road to Banar Road Near Chopasani Housing Board Police Station 22 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 23 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 24 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 25 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 26 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 27 Rasala Road to Banar Road Near Sankalp Restuarent/Utility 28 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 39 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 30 M.D.M. To Residency Road Sankalp Restuarent/Utility	-								
Maha Mandir Choraya out side Sumer Sen.Sec. School Near Minister Khet Singh Bunglow C Fort Road Tiraha at P.c. Chopra House Olympic Choraya On Jalori Gate and Railway Station Road Paola Circle before Flyover Slip Lane for High Court At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan Sth Chopasni Road on Chopasni Road 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 23 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility M.D.M. To Residency Road Near Gandhi Murti									
4 Near Minister Khet Singh Bunglow C Fort Road Tiraha at P.c. Chopra House 5 Olympic Choraya On Jalori Gate and Railway Station Road 6 Paota Circle before Flyover Slip Lane for High Court 7 At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan 8 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Near Gandhi Murti	R.P. I. C. Officers Mts gate on Mandore Road								
6 Paota Circle before Flyover Slip Lane for High Court 7 At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan 8 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 3 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 4 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 5 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 6 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 7 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 8 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 8 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti	Maha Mandir Choraya out side Sumer Sen Sec School								
6 Paota Circle before Flyover Slip Lane for High Court 7 At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan 8 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 3 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 4 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 26 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 27 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 28 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 30 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti	Near Minister Khet Singh Bunglow C Fort Road Tiraha at P. c. Chopra House								
At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 23 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 26 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 27 M.D.M. To Residency Road Near Gandhi Murti	Olympic Choraya On Jalori Gate and Railway Station Road								
8 5th Chopasni Road on Chopasni Road 9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Nhear Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 26 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 27 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 28 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility	Paota Circle before Flyover Slip Lane for High Court								
9 12th Road Choraha on 5th Chopasni Road Choraha 10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To Sth Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 26 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 27 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 28 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 29 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti	At Shanichar Ji ka than Near Nahta Bhawan								
10 Between 12th Road Choraha and Bombay Motors Choraha 11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 26 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 27 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 28 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 29 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
11 Near Bombay Motors 12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To Sth Road Chorana Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
12 Sardar Pura C Road Near Mahavir Complex 13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
13 12th Road Choraha on Pal Road 14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. To Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
14 Pal Road By Pass To Boranada Barmer Road Near Pal Village Sahkari Simiti A Pal Road By Pass To Boranada Barmer near Balaji Redimate Boot House ke samne B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadamii/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
B Pal Link Raod to Cheer Ghar Chopasani Road C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
C Pal Road Muslim Azad Acadami/School/ to Cheer Ghar Raod 15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
15 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near Shiv Krishi Dairy Farm 16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
16 M.D.M. Choraha To Pall By Pass Near AMAR GARH RESORT 17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
17 M.D.M. Choraha To Pall By Pass By Pass Near Village Thiriyo ki Dhani ka Rasta 18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
18 M.D.M. To Pall By Pass Choraha Near Chopasani Housing Board Police Station 19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
19 M.D.M. To Pall By Pass Near Kheme ka Kua 20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
20 M.D.M. To Pall By Pass Near Dalle Kha Ki Chhaki Choraha Three Side T Gentry A Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Aprocing To Medical / Shastri Nagar B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Chorana Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
B Dalle Kha Ki Chakki Choraha To Pall Road 21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Chorana Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
21 Rasala Road to Banar Road Near Kalyan Singh Ji Ki Pyaau 22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Chorana Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
22 Rasala Road To Banar Road Near Chungi Naka 23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
23 M.D.M. To 5th Road Choraha Near Shyam Hardware 24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
24 M.D.M. To Residency Road Near Kissan Bhojanalya out Side Dushera Maidan 25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
25 M.D.M. to Residency Road Near Sankalp Restuarent/Utility 26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
26 M.D.M. To Residency Road Jat Jog Choraha Near Raju Fashion Mall 27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
27 M.D.M. To Medical Collage Near Gandhi Murti									
29 Shastri Circle To Aprocing Road New Power House Road									
30 Shastri Circle To ITI Choraha Road									
31 Shastri Circle To Aprocing Pal Road Near St. Paul School									
32 Shastri Circle To Aprocing Pal Road Near Hanwant School									
33 Akhilya To Kaylana Choraha Near Bus Stand/Bank Of India									
34 Akhilya To Kaylana Choraha Near Pratap Nagar Opp. Cement Bus Shelter									
35 Kaylana Choraha To Akhilya Choraha									
36 Chopasni To Akhliya Choraha Near Cheerghar Masjid									
37 Chopasni Road First Puliya Near Ox Ford Public School									
38 At Mandore Road Near Krishi Mandi Road									
39 Nasrani Cinema Ke Samne Petrol Pump Ke Pass Kumhar Pyau Ke Pass Chopasni Road									
40 Taj Hari Hotel and Nageshwar Mahadev Mandir Ke Pass Residency Road	-								
41 New Campus Ke Pass Pali Road									
A New Campus ke Pass Near O S. Ford Showroom B New Campus Ke Pass Near Bhagat Ki Kothi	THE PARTY								
42 Jhalamand Choraha and By Pass Choraha Se Pehle R.S. Marble									
43 Jhalamand Choraha Se Pali Road On Innova Agency Ke Pass									
44 Sangariya Fata Se Industrial Area Road									
A Sangariya Fata Se Pall Road Ki Taraf Choraha Se 300-400 Mtr. Ki Doorie Par									
45 Parshav Natha City and AashPurna enclave Ke Pass	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE								
46 Near to D.P.S. School									
47 Bhagwan Mahveer Circle Gandhi Murti to Dalle Kha Ki Chakki Pal Road									
48 Nehru Park Road to C Road / D Road near Reprographic									
49 New Power House Road to Basni Turn									
50 Bashi Turn to Bhagat ki Kothi									
A Bhagat ki Kothi to Basni/Transport Nagar									

7	List of Unipoles Locations at Jodhpur each of 30'X15'
No.	Location
1	Paota Circle
. 2	On Mandore Road on turnig to Mahamandir
3	On the corner of Sahakari Bazar on Jaswant Sarai Road facing from Banahan 117
4	On the Corner with the start of Ranchorji Temple Building opp. Pratap School on Hospital Road With Rai ka Bagh Bailways Station C
5	With Rai ka Bagh Railways Station Compound wall facing from Paota
6	Near old Foot Bridge facing from High Court Gate and High Court Road
7	On the corner of Stadium corner on High Court Road
8	Opp. Jaswant Sarai on Hospital Road
	At Bombay Motor facing Chopasni Road with Panchayat Building
10	On Pal Road on the corner of Barakhtullah Stadium Ground
11	Outside Telgraph office before the turnin of 'C' Road Sardarpura
12	On both corner turning to Khatarnak Pulia
13	Outside Railways Parking stand facing Railway Station Shanti Bhawan Loduge
14	Railways Workshop on the corner of WISM wall corner facing High Court Guest House
15	Outside Jalori Gate Police Thana Wall
16	Near Ghanshyam Paoi Olympic Circle
17	Akhaliya Circle facing Bombay Motor
18	Cottage ward facing Railway Station
19 1	Near statue Police Control wall facing Sojati Gate
20 E	Bhati Choraha facing Police Line Road
	On the corner of old Statdium Wall facing High Court Road
	Near Daibai ki Chatri Opp. Darpan Mall High Court Road
	Outside Railway Facing Targhar and Sardarpura 'C" Road
	Out Side M.G. Hospital Gate facing Sojati Gate
25 C	Opp. Dood Mandir Near Puri Paoi

LOCATIONS FOR INSTALLATION OF OVERHEAD GANTRIES AT JODHPUR ON BOT BASIS

(List of sites of Overhead Gantries for which map with exact locations after selection will be submitted before installation)

		vejure instal	liation)
S.No.	Tentative Locations		
1	Mahamandir Choraya		No.
2	Shaitan Singh Circle Paola		- 2
3	Circuit House Crossing		. 4
4	Bhati Choraya		3
5	Ratanada Bazar Choraya		4
6 .	Panch Batti Sahai Circle Choraya		4
7	Opp. Jodhnur Pathuri Cart		4
8	Opp. Jodhpur Railway Station Choray a		3
9	Near Raj Ranachoddasji Temple Turning		3
10	Near Mahatma Gandhi Hospital Turning Jalori Gate Choraya		2
11	Aakhiliya Choraya		4
12	First Flyover Chance I P. 10		3
13	First Flyover Chopasani Road Choraya		3
14	Near Central Academy School Choraya Link Pal Road Turning		4
.15	Sheetri Nama Palla Co		4
.16	Shastri Nagar Police Station Choraya		3
17	Dallayon Khan ki Chakki Choraya		2
18	Mathuradas Mathur Circle 12th B Road Choraya		4
19	Bombay Motors Choraya		3
20	5th Road Choraya		5
21	Gol Building Choraya		4
22	Opp. Mahavir Complex Choraya		3
23	Opp. UIT Office Choraya		4
24	Opp. University Office Choraya		3
25	Raktiya Bheruji Choraya		4
26	Rotary Circle Choraya		4
27	Shastri Circle Choraya		4
28	Opp. Medical College Choraya		3
29	3rd C Road Choraya		4
30	Near Sardarpura Thana Choraya		. 4
31	Jaljog Choraya		5
32	Truck Terminus Basni Turning		3
33	Mandor Bypass		1
34	Paota Choraya		2
35	Barmer koad Near Luni Fanchyat Samiti Karyalaya		1
33	Further locations to be mutually decided		17
	Total		
	Total		130
			====

For and on behalf of Urban Improvement Trust, Jodhpur

	WITNESS		Urban Improvement Tru	st, Jodhpur
1.	WITNESSE Signature	्रथ्वीर नित	×140-	ব্যবিত
	Name		King am	स्वार स्वाम
	Address	जिल्ला जामती गटमोष	(Secretary)	मानवन
			For and on behalf of , National Advertising So	mpany
2.	Signature	H-14-di	Junearyan (
	Name Address	MANEESH DEVERS	(B. Devrai) Proprietor	
		JAIPUR		



राजस्थान राज-पत्र

असाधारण

साधिकार प्रकाशित

R.N.I. No.- RAJ BILI 2000/1717

POSTAL REGD. No.-J.P.C./3588/02/03-05

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary.

Published by Awhority

भाइ 19, गुक्रवार, गांके 1926—सितम्बर 10, 2004 Bhadra 19, Friday, Saka 1926—September 10, 2004

भाग 6(क)

नगरपालिका यों सम्बन्धी विज्ञाप्तियां स्रादि ।

स्वायल णासन विभाग

मादेश

जयपुर, सितम्बर 4, 2004

संख्या प. 8(क)() विज्ञापन/डो. एल. बी. 2000/12885:—राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्न क. प. 8(क)() विज्ञापन। नियम/डो. एल. बी. 12000/17125 दिनोक 8-8-2000 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम परिषद। पालिका। नगर विकास न्यास के क्षेत्र में "इन्फोमेट्री मोवरहुँड साइनेज (गेन्ट्री टाइप)" एवं ट्री-गाड बी. मो. टी. माधार पर लगते हैं तो उन पर विज्ञापन णुल्क वसूल नहीं करने के निर्देश पारित किये गये थे।

शहरी सौन्दर्यकरण एवं जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने की श्रावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार एउदद्वारा राजस्थान नगर पालिका प्रधिनयम, 1959 की धारा 297 की शक्तियों का अयोग करते हुए निन्तांकित वी. भ्रो.टी. श्राधारित कार्यों को कराये जाने पर विज्ञापन शुक्क से मुक्ति प्रदान करती हैं:--

1. ग्रोवरहेड साइनेज (गेन्ट्री टाइप)

2. दो गाउँ

उ. सार्व जिनक गीचालय निर्माण

- 4. सूबना एवं दिशा निदंश माइनेज
- 5. क बरा पाव/गारबेज बिन्स/डस्टबिन्स
- 6. वसक्य मंतटर
- 7. फ्टब्रोज
- 8. पाकिंग सुविधा (भूमिगत/भूनतल)

है. पाकिन पुरिचा पूर्वार प्रदूबारा पुट बिज तथा प्रोवरहैंड गेन्ट्रीज की सड़कों के ब्रार-पार इसके साथ ही राज्य सरकार एतद्बारा पुट बिज तथा प्रोवरहैंड गेन्ट्रीज की सड़कों के ब्रार-पार नियमानुसार लगाने की भी छूट प्रदान करती हैं /

उपर्युक्त कार्य नगर निगम।परिषद।पालिका, नगर विकास त्यास।जयपुर विकास प्राधिकरण प्रपने-ग्रपने क्षेत्र एवं सहमति से धन्य क्षेत्र में करवान की योजनाएं वना सकेगी।

उपयुंबर कार्यों के सम्बन्ध में भाषप्रक होते पर विद्यमान उपविधियों में संशोधन अपेक्षित हो तो उकर माध्यन किये जावे तथा जिन स्थानीय निकामों में इस वावत उपविधियों विरचित नहीं हो तो ऐसी अपविधियों नैयार की जाकर स्वायत शासन विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

राज्यपाल की आजा से, णिव कुमार गर्मा, उप गासन सचिव।

51

त्रवय केंग्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



List of Existing Informative Overhead Gantri

13.1	No. Site List of Existing Informative Overhead Gantrice at
	No. Site 1 Between Darpan Cinema and Town Hall Vision
1	1 Between Darpan Cinema and Town Hall High Court Road 2 Between Arora Circle and University Characters 3 On the Court Road
-	2 Between Arora Circle and University Choraya 3 Outside Suncity Art Exports
-	Sloutside Suncity Art Exports on Residency Bandard
	3 Outside Suncity Art Exports on Residency Road Mahaveer Nagar Turn 5 Paota Road Near Khet Singh Rathore's Bungalow (Birth)
-	
-	6 Ratanada Choraya between Ratanada and Bungalow (Left)
-	6 Ratanada Choraya between Ratanada and Panch Batti Choraya
-	Olkolary Circle (Ect V)
-	9 Circuit House Bhati Chorava Road hate Circle Residency Road Medical College
-	9 Circuit House Bhati Choraya Road between on the Rocks Restaurant and Hotel Ajit Bhawan 10 Between Raktiya Bheruji Circle and Railway Line Bridge
	11 Paota Flyover before Maharishi Living Bridge
	12 Akhliva Road hafe- Midhanshii Odyan and High Court Road ha
-	Paota Flyover before Maharishi Udyan and High Court Road turn on Roadways Bus Stand Road Akhliya Road before Deen-Dayal Upadhya Park Facing Police Line Road On the Road between Line Road
	Facing Police Line Road near Mangal Restaurant form
1	4 On the Road between Link Date
	Facing Link Pal Road and Chopasni Housing Board Central As a
	4 On the Road between Link Pal Road and Chopasni Housing Board Central Academy Choraya Near Nala Facing Chopasni Housing Board
- 1	OlAt 5th Chopashi Road Ch
	Facing Bombay Motors and 12th Road Choraha Pal Road etc.
	Facing Shanishchada The Tear Road Chorana Pal Road etc.
16	At Bombay Motors to Achti
	Facing Aakhliya Choraya
	Facing 5th Chopasni Road
17	At Aakhliya Choraya on Chopsni Road
	Facing Aakhliya Choraya
	Facing Chopasni Road Cheergahar etc.
19	Ratanada Raod near Police Lines at khas Bagh Rai ka Bagh Railway Station Lines at khas Bagh
20	Mohanoura Elvavas for Station High Court Raod facing Paota/ facing Mai Sarah
211	Collage Ward Station Death in the College Line
22	Cottage Ward Station Road facing Railway Station/ facing Olympic Cinema Chand Shah Takiya near Congress Office M.G. Road Facing Nai Sarak
	Chand Shah Takiya near Congress Office M.G. Road Facing M.G. Raod/ Sojati Gate
	3 m.o. Madar Sojali Gale

List of Existing Tree Guards at Jodhpur

S.No	Location	
	Location	No. of Tree Guards
1	Jalori Gate Choraya to Sanichar Ji ka Than	
2	Sanichar Ji ka Than to 5 th Road on Kohinoor Cinema	25
3	5 th Road to Rombay Mat	47
4	5 th Road to Bombay Motors Choraya	40
5	Bombay Motors Choraya to 12th Road Choraya	11
6	12 Road Chorava to Pal Rand	15
7	IMedical Chorava to Rotary Chorava	47
8	Ratiya Bheruji Choraya to Arora Circle	81
	Paota Flyover to Kamla Nehru Girls Collage	81
	Paota Choraya to Maha Mandir Choraya Paota Choraya to Jacobs To Office Collage	57
11	Paota Choraya to Income Tax Office Paota Choraya to Collectorate Gate	25
12	Collectorate Gate to High Court Road Ansal Mall	25
13	Ansal Mall to Stadium Gate	29
14	Nai Sarak to Ghanta Ghar	18
15	Bhati Choraya to Police Line Raod	55
		15
I	Total	571

S.No	
-	1 12th Road Opp Viers II
Statement of the last of the l	Near Railway Colony on Residency Road Medical College Near Medical Collage Gate
-	Near Medical Collage Catalogue Road Medical College
4	Opp. University Gate Ball D
5	
6	Raj Ranchorji's Tiraha Opp. Congress (I) Office MG Road Opp. Suchna Kendra On High Court Road
7	Opp. Suchna Kendra Opp. Congress (I) Office MG Road
8	Opp. Suchna Kendra On High Court Road Near Darpan Mall on High Court Road Siwanchi Gata Outside High Court Road
9	Siwanchi Gate Outside Umaid Hospital
10	Aakhliya Choraha Chopasni Road
11	Ratanada Circle poor Dii li Coad
12	Ratanada Circle near Bijali Ghat Airforce Road Shree Hospital near Housing Total
13	
14	5th Chopasani Road near Kohinoor Cinema Outside High Court Curat Management
15	Outside High Court Guest House near Khatarnak Pulia Station Road Near Muslim School Olympic Cinema
	Ochool Olympic Cinema
	List of Compatible
.No.	List of Cemented Bus Shelter at Jhodhpur
1	Near Chonasani road live
2	Near Chopasani road Jivan Jyoti Hospital
3	Opp. to Chopasani Road Jivan Jyoti Hospital Near to Chopasani Road III Hospital
4	Near to Chopasani Road IIIrd Pulia Petrol Pump
5	Near to Chopasani Road IIIrd Pulia Kesar Palace Chopasani Road 1st Pulisa
6	Chopasani Road 1st Puliya near to Constructing Mall Chopasani Road 1st Puliya near S.B.B.J. Bank/Near to Resident Near to Housing Board Central Academy Ch
7	Near to Housing Board Central Acadamy Choraha Akhaliya to Kalyana Road New Circumstance of the Contral Acadamy Choraha
8	Akhaliya to Kalyana Road Near Girls P.G. University
9	Akhaliya to Kalyana Road Near Girls P.G. University
10	Akhaliya to Kalyana Road Near Girls P.G. University Akhaliya to Kalyana Road Near Pratap Nagar Choraha On Bombay Motor Choraba Nagar Choraha
11	
12	
13	The managed of the state of the
14	The state of the s
15	Mahamandir to Mandore Road Near Pahad ganj Pratham Vikas Simiti
16	Mandore Road Kishore Bagh ke Pass near R.P.T.C. Quarters
17	Maha Mandir to Mandore Road Near Phot
18	Maha mandir Choraha Near Railway Crossing
	Paota Choraha Near Hotel Mangle Ablanda
	Roalary Chorana Near D.R.M. Office
,	radia Choraha Near to Kanii Sweets
2	High Court Road Opp. Stadium Near Railway Line
	Pe Pe



NATIONAL ADVERTISING COMPAN

Airport - Outdoor - BOT Projects

42, Sanjay Marg, Hathroi, Jaipur 3020

Phone: 2362332 Fax: (0141) 400676.

E-mail: bdevraj@satyam.net.in

Muli'a - B Deviaj 7 11-0323014004

Vikas Aron 401-0351221823

1	Location Details for Utility to be constructed
-	िरंगियन वाला के निम्म -
. 2	सहकारी बाजार के अन्दर रेल्वे स्टेशन के सामने (इस टॉयलेट में लॉकर्स की सुविधा भी को लॉकर्स से सामान ले कर रहते रहा रहा थोकर लॉकर्स में सामान रखें र
	होगी ताकि सुबह ट्रेन से आनेवाले लोग के सामने (इस टॉयलेट में लॉकर्स की मिक्स की
3	होगी ताकि सुबह ट्रेन से आनेवाले लोग नहा धोकर लॉकर्स में सामान रखें व वापस शाम
4	(इस बाथरूम में भी लॉकर्स की सुविधा दी जायेगी) महा मन्दिर सर्किल के पास
5	मथुरादास अस्पताल के यान
6	E.S.I. ETRUCE B 1127 1-0
8	निर्मा था का चक्की राजे पर
9 -	
10	अखितया वौराहा से वोपासनी रोड
	त्रिया वाराहा स पाली रोड
	1/2

NATIONAL ADVERTISING CO
42 Sanjay Marq. Halbrox Jaja
Phone: 2362332 Fax: (0141)
Notine - E.Darral @salyeman

List of Exisiting Public

_	,	
	4 3 2	S.No
Compund Wall	At Station Road Near Taxi Stand At Gandhi Maidan, Sardar Pura 'B' Road At Resider	S.No. Location At Opp. Cot
and Wa	tion Ro	tion Cotts
Road o	ad Near	
n the Co	At Station Road Near Taxi Stand At Station Road Near Taxi Stand At Gandhi Maidan, Sardar Pura 'B' Road	n Ottage (A. C. Ottlities (Letrin & Bathroom) at
orner of	npic Cir tand tra 'B' R	(Letrin
Ravan	nema R	& Bath
Ka Cha	oad	room) a
butra,		at Jodh
3.		pur



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE साधिकार प्रकाशित Extraordinary

वैशाख 30, शुक्रवार, शाके 1933—मई 20, 2011 Published by Authority Vaisakha 30, Friday, Saka 1933-May 20,, 2011

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञानियां आदि। कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

संख्या जिवप्रा/स.स./बीपीसी/2011/डी 795:-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (वर्षः 1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 16 के खण्ड (त) के साथ पंठित धारा 96, 32 (3) और 68 हारा प्रदत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19-02-2010 को अधिसूचित जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भदन) विनियम, 2010 में निम्न संशोधन किये जाते हैं। विनियम संख्या 2.44 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

मोटल से ऐसा भवन जो यात्रा करने वालों के ठहरने, वाहन पाकिंग एवं रिपेयरिंग, रिटेल शॉपिंग एवं खान पान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राज मार्ग; राज्य मार्ग, मुख्य जिला सडक. (एम.डी.आर), अन्य जिला सङक (ओ.डी.आर.) एवं प्रामीण सम्पर्क सङक जिसकी न्यूनतम . घौडाई 18.0 मीटर हो पर स्थित/स्थापित हो, से अभिग्रेत है। विनियम संख्या 2.60 को निम्नान्सार संशोधित किया जाता है :--

मिश्रित भू उपयोग से जयपुर की मास्टर विकास योजना के तैंड यूज प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग एवं लैंड यूज जोनिंग कोड में वर्णित मिश्रित भू उपयोग अभिप्रेत है। तालिका "6" में वर्णित सडकों को छोडकर शेष 24 मीटर एवं अधिक चौडी सडकों पर व्यावसायिक भूखण्डों में मिश्रित भू-उपयोग देय होगा।

विनियम संख्या 2.61 के पश्चात नये प्रावधान विनियम संख्या 2.62 से 2.65 जोड़े जाते हैं :-2.62 कम्प्लीशन सर्टिफिकेट से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से हैं, जो किसी भवन अथवा गवन इकाई के पूर्ण हो जाने पर देय है. जिसमें 14.13 के प्रावधान की पालना पूर्ण कर ली गई

टी.डी.आर (ट्रान्सफरेबल डवलपमेंट राईट)-टी.डी.आर. से एफ.ए.आर. का ऐसा अधिकार पत्र 2.63 अभिप्रेत है।

जो कि टी.डी.आर. पॉलिसी/नियमों के अन्तर्गत संबंधित निकाय द्वारा जारी किया गया हो. 2.64 टावरनुमा मवन :- किसी भी स्ट्रक्चर को टावरनुमा भयन में तब माना जायेगा, ज़बकि उसकी

फँचाई 30 मीटर से अधिक होगी व टावर समान हिस्से की छँचाई घरातल पर भवन के सबसे वौडे हिस्से की ऊँचाई से दुगुनी या इससे अधिक हो।

2.65 हॉस्टल - हॉस्टल से ऐसे भवन अभिप्रेत हैं जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वयं के निवास के अतिरिक्त छात्रों/निजी वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थाई निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। विनियम संख्या 5.5 में 2.55 के स्थान पर 2.54 पढ़ा जाए].


विनियम संख्या 6.7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रावधान में शिथिलता छूट तथा विनियमों के मानदण्डों भें सामहिक दृष्टि से परिवर्तन करने का राज्य सरकार को आधिकार होगा।

	1 2 राजस्थान राज-पत्र, मई 20, 2011									
	(ix) 1500 व.मी. अधिक पर 2500 व.मी. तक	एवं सैट बेक क्षेत्र न्तु के अन्दर			6.0	6.	3 7	8.	93(3)
	(xi)	अधिक परन 4000 व.मी. तक	तु 40%	12.0	0.	9.0	9.0	9.0	14 मी.	1.2
		4000 व.मी. र अधिक परन्तु 1 हैक्टेयर तक 1 हैक्टेयर से	3576	15	1	9.0	9.0	9.0	14 मी.	1.2
(ख)		अधिक परन्तु 10 हैक्टेयर तक फार्म हाउस	3370.	18	9	0.0	9.0	9.0	14 मी.	1.2
	=	यूनतम क्षेत्रफल १५०० व.मी.	भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा	15	10		10	10	8 मी.	
			500 वर्गमीटर जो भी कम हो							

तालिका "1" के लिए टिप्पणी -


- (ii) आवासीय भूखण्ड में तीन से अधिक ईकाई प्रस्तावित होने पर विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रायधान कराना आवश्यक होगा।
- (iv) यदि किसी भूखण्ड पर 12.0 मी. से अधिक ऊंचाई का भवन बनाना प्रस्तावित हो तो तालिका 2 तथां तालिका 2 की टिप्पणी के अनुसार प्रावधान देय होंगे। स्वतंत्र आवास के भूखण्डों में सेटयेक एरिया में स्वयं के वाहनों की पार्किंग एक के पीछे एक भी अनुझेय होगी।
- 18 मी. से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित सभी नाप के भूखण्डों पर स्टिल्ट पार्किंग अनुज्ञेय होगी एवं आवश्यक प्रक्रिया जैसे शपथ पत्र नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण को धारा 8.10 (iv) (i) के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
- (viii) 18 मी. तक चोड़ी सड़क पर स्थित सभी क्षेत्रफल के भूखण्डों में अधिकतम् भूतल्न+2मंजिलें
- (ix) 9 मी, व उससे अधिक चौड़ी राड़कों पर ही 3 से अधिक ईकाई अनुक्षेय होगी बशर्ते कि उसमें नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान किया गया हो। भवनों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में तीन से अधिक निर्मित ईकाइयां प्रस्तावित होने पर प्रति ईकाई अतिरिक्त शुल्क
- 162 वर्गमीटर से अधिक व 500 मीटर तक के भूखण्डों में यदि प्रत्येक तल पर एक से अधिक ईकाइग्रां का प्रावधान किया जाता है तो प्रार्थी को नियमानुसार हरी पत्रावली में आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इन भूखण्डों पर सरंचनात्मक सुरक्षा, पार्किंग व अन्य मानदण्डों में कोई भी शिथिलता देय नहीं होगी।
- जिन भूखण्डों में प्रत्येक तल पर एक से अधिक ईकाइयों का प्रायधान किया जाता है, ऐसे भवनों का अनुनोदन हैरीटेज संरक्षण क्षेत्र, जयपुर शहर का चारदीवारी क्षेत्र, घाट की गूणी, आमेर एवं ऐतिहासिक / पुरातत्व के क्षेत्रों में प्रतिबंधित होगा।



विनियम संख्या 8.2 अन्तर्गत तालिका संख्या '1' एवं इससे संबंधित टिप्पणी संख्या (ii), (iv), (v), (viii), (ix), (x) व (xi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। तालिका "1"

जावासीय योजनाओं / गैर, योजना क्षेत्रों / गृथक आवासीय भूखण्डों हेतु मार्गदर्शक रूपरेखा एवं स्वतंत्र

आवासीय योजनाओं / गैरु योज	आवासीय मव	- Carloi	हेत मानद	ाड		Tale
	Midital	וארווין	सैट बेक्स	T (A)	अधिकतम	मानक
क्र.सं. उपयोग का प्रकार	अधिकतम	न्यूनतम	सट वयत्त	14	ऊँचाई	एफ.ए.आर.
क्र.सं. उपयोगःकाः प्रकार अ	गच्छादित क्षेत्र	सामने	गर्व पार्र्व	पाछ	01414	
क्षेत्रफल			5 6	17	8	9
2 :	.3	4	State of the last		8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(क) 50 व.मी. तक	सेटबेक्स क्षेत्र	1.5	+			(प्रत्येक मंजिल
, , ,	के अन्दर		-			पर अधिकतम 1
(i)				+		ईकाई देय होगी)
					-	जो भी प्राप्त हो
	सैट वेक क्षेत्र	1.5		-	8 利.	(प्रत्येक मंजिल
(ii) 50 व.मी. से			1			
अधिक परन्तु 75	. के अन्दर					पर अधिकतम 1
व.मी. तक (एल.						ईकाई देय होगी)
d.al.						
आई. जी. मूखण्डी	सैट बेक क्षे	3.0				
के लिए)			1			
75 व.मी. से	के अन्दर		1			
अधिक परन्तु 100).					
-A ====			-		2.0 12 1	भी. जो भी प्राप्त हो
	में , सैट बेक !	क्षेत्र । 3.	0. -		वासित	तम (कुल ३ ईकाई)
(iii) 100 q.41.	वे अन्य	7			ानल ।	एवं २ कुल भूखण्ड पर
अधिक परन्तु १६	2					तले देय होगी।
.व.मी. से कम						
		-	4.5 -	1-		1 - 1-151
(iv) 162 व.मी.	व सैट बेक		4.5		अधि	कतम (कुल 5 ६का६)
(10) 102 इससे अ	के अन	दर			भ्तल	एवं २ कुल भूखण्ड पर
इसस	-			1		जिले दिय हांगा।
परन्तु 225 व						2 मी. जो भी प्राप्त हो
्रतक	से सेट बे	= धेय	4.5 3.	0 -	3.0	धकतम (कुल 6 ईकाई)
(ヤ) 225 - य.मी.					आ	सकतम (५३०)
अधिक परन्तु	350 के 3	भन्दर			ः भूत	त एवं ३ कुल भूखण्ड पर
व.मी. तक	j					मंजिले देय होगी।
		7.		-	_ 3.0	14 मी. जो भी प्राप्त हो
1	में सैट	बेक क्षेत्र	6.0	3.0	1 1	निकतम (कुल 12 ईकाइ)
(vi) 350 व.मी		अन्दर			1	तल एवं ३ कुल भूखण्ड पर
अधिक प्रत	3 300				1 2	मंजिले - देय होगी।
व.मी. तक			1.			
			7.5	3.0	3.0 3.0	14 मी.
(vii) 500 च, ¹		बेक क्षेत्र	1.0			
अधिक पर	न्त 750	हे अन्दर				
व.मी. से व	ън				45 4.5	14 申. 1.2
	क गरां से	ट बेक क्षेत्र	9.0	4.5	4.5 4.5	
(viii) 750 q.	"	के अन्दर				
अधिक	7.3					
1500	व.मी. से			100		
र कम					-	
)						



विनियम संख्या 8.2 अन्तर्गत तालिका संख्या '1' व इससे संबंधित टिप्पणी के पश्चात निम्नानुसार तालिका "1" (अ) एवं इस हेतु टिप्पणी जोडी जाती है।

तालिका "1"(अ)

आवासीय योजनाओं / गैर योजना क्षेत्रों / पृथक आवासीय भूखण्डों में हॉस्टल / गेस्ट हाउस हेतुं मानदण्ड

页.	उपयोग का प्रकार	अधिकतम	अधिकतम न्यूनतम				अधिकतम	मानक .
सं.	मूखण्ड का क्षेत्रफल	आंच्छादित	सागने	पार्श्व	पार्ख	पीछ	ऊँचाई .	एफ.ए.आर.
		क्षेत्र						
(i)	225 व.मी. से	सैट बेक क्षेत्र	4.5	3.0	-	3.0	12 मी.	जो भी
	अधिक परन्तु 350	के अन्दर					अधिकतम	प्राप्त हो
	व.मी. तक						भूतल एवं 2	
4							मंजिले	
(ii)	350 व.मी. से	सैट बेक क्षेत्र	6.0	3.0		3.0	12 मी.	जो भी
1	अधिक परन्तु 500	के अन्दर					अधिकतम	प्राप्त हो
	व.मी. तक						भूतल एवं 2	
1							मंजिले	
(iii)	500 व.मी. से	सैट बेक क्षेत्र	7.5	3.0	3.0	3.0	1.2 .मी.	1.33
(111)	अधिक परन्तु 750	के अन्दर					' अधिकतम	
	वं.मी. से कम						भूतल एवं 2	
							मंजिले '	
(iv) 750 व.मी. ए	तं सैट बेक क्षेत्र	9.0	4.5	4.5	4.5	15 मी.	1.33
(14)	अधिक परन्तु 100	के अन्दर					अधिकतम	
	व.मी. से कम						भूतल एवं 3	
							मंजिले	1
(v) 1000 व.मी. ए	वं सैट बेक क्षेत्र	9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम 8.11	1.33
(4	उससे अधिक पर-						के अनुसार	
	1500 व.मी.							
	कम							

तालिका "1" (अ) के लिए टिप्पणी :-

- (i) बेसमेन्ट क्षेत्र पार्किंग के लिये रखा जाना अनिवार्य होगा एवं विनियम 10.1 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा।
- (ii) सभी नाप के मूखण्डों पर स्टिल्ट पार्किंग अनुज्ञेय होगी एवं आवश्यक प्रक्रिया जैसे शपथ पत्र नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरणं को धारा 8.10(iv) के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी, परन्तु 750 वर्गमीटर से कम के मूखण्डों पर अधिकतम भूतल + 2 मंजिल अनुज्ञेय होगी।
- (iii) योजना क्षेत्रों में योजना के मानदण्ड जैसे-सैटबैक, देय आच्छादन आदि लागू होंगे।
- (iv) प्रत्येक 100 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 100/रूपये प्रति वृक्ष की दर से राशि जविप्रा/नगर निगम में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।
- (v) आयासीय भूखण्डों पर हॉस्टल/गेस्ट हाउस हेतु स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुक्त देय होंगे।



विनियम संख्या 8.2 अन्तर्गत तालिका संख्या '2' व इससे संबंधित टिप्पणी संख्या (i), (v), (xiii) (xiv) एवं (xv) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

तालिका "2"

पलेटस निर्माण हेतु मानदण्ड

(फलेटस 750 से अधिक परन्तु 5000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर अनुझेय होंगे उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो पर गुप हाउसिंग के प्रावधान लागू होगे)

क्र.	स्थिति	भूखण्ड का	अधिकतम	=2	नतम सेट	बेक्स (म	(1)	अधिकतम	मानक	अधिकतम
सं.		न्यूनतम आकार	आच्छादित					ऊँघाई	एफ.ए.आर	
			क्षेत्र						,,	आर.
				भामने .	पार्श्व	पार्श्व	पीछे			OII C.
1.	पलेटस	योजनानुसार	योजना-	योजना–		योजना-		योजना-	1.33	2.25
	हेतु		नुसार	नुसार		नुसार!				
	आरक्षित						3.	3		
	भूखण्ड									
2.	योजना/	(i) 750 q. 軒1.	सैट बेक	9.0 .	4.5	4.5	4.5	15.00	1.33	2.25
	गैर	एवं अधिक						मी.		
1	योजना	परन्तु 1000								
	क्षेत्रों में	व.मी. से कम								3
1	स्वतंत्र							-00		
1	आवास	(ii) 1000 व.मी.		9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम	1.33	2.25
	के	एवं अधिक						8.11 के		
1	भूखण्ड	परन्तु 1500	अन्दर					अनुसार	. " 4.5.	
	ارطان	व.मी. स्रे						1.	100	
1		कग								
		(iii) 1500 ব.		12.0	6.0	6.0	6.0	विनियम	133-	2.25
		मी. एवं	क्षेत्र के					8.11 के		01:1
		अधिक परन्तु	अन्दर				1	अनुसार		
		2500 व.मी.						10.00	£ 14.38	35607
		से कम						-		
100		(iv) 2500 व.	35%	12.0	9.0	9.0	.9,0	विनियम	1.33	225
1		मी. एवं						8.11 动		
1		अधिक						अनुसार		S 7.5
		परन्तु 5000							h .	* :
1		व.मी. तक					c .**			
_										

तालिका "2" हेतु टिप्पणियाः—तालिका के क्रम संख्या—2 बिन्दु संख्या (iv) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेथ किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 100 रूपये पति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जा भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जारेगी। लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में विनेति पुनः नहीं ली जावेगी।

(i) भू-तल + तृतीय तल से ज्यादा या 15 ाउर से अधिक ऊँचें भवन होने पर लिफ्ट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा।



- (v) मानंक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्ता पर अनुझेय किया जा सकेगा :-
 - (क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर के अन्तर के क्षेत्रफल पर 100 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें। यदि भवन की ऊचाई 30 मी. से अधिक (स्टील्ट को छोडकर) है तो अतिरिक्त एफ.ए.आर. की राशि 300/-रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा 25 प्रतिशत आवासीय उपयोग की आरक्षित दर जो भी अधिक हो देय होगी।
 - (ख) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई अनुद्रोय ऊँचाई से अधिक ना हो।
- (x) भवन की ऊँचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम् सैटबैक्स तालिका "7" में उल्लेखानुसार होंगे।
- (xiii) 18 मीटर से कम लेकिन 12 मीटर व उससे अधिक चौडी सडकों पर स्थित 5000.00 वर्ग मीटर एवं अधिक बडे भूखण्डों में मात्र मानक एफएआर ही अनुहोय होगा।
- (xiv) 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय फ्लेट्स के भूखण्डों पर 15 प्रतिशत भूमि पर लेंड स्केपिंग / हरियाली क्षेत्र रखना आवश्यक होगा।
- (xv) 15 मीटर से ऊँचे भवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर

विनियम संख्या 8.2 अन्तर्गत तालिका संख्या '3' व इससे संबंधित टिप्पणी संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 10 एवं 12 से 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

तालिका "30"


युप हाउसिंग हेतु मानदण्ड

雨,	भूखण्ड का ओकार	अधिकतम		न्यूनतम	सैटबैक		अधिकतम	मानक	अधिकतम
		आच्छादन	अग्र	अग्र पार्श्व—।	पार्र्व—।। पीछे		जॅचाई	एफ.ए.	एफ.ए.आर.
1.	5000 व. मी. से अधिक	35%	15	9	9	9	8.11 के अनुसार	1.33	2.25


तालिका "3" हेत् टिप्पणी :-

अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुझेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 100 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी. लेकिन उपरोक्त राशि मानक एफएआर की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेंटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

- 1: मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तों पर अनुझेय किया जा सकेगा :--
 - (क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद तिया जायेगा) अध्या एफएआर के अन्तर के क्षेत्रफल पर 100 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथ्या आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें। यदि मवन की ऊँचाई 30 मी. से अधिक (स्टील्ट को छोडकर) है तो 30 मी. से अधिक ऊँचाई पर अतिरिक्त एफ ए.आर. की राशि 300/-रूपये प्रति वर्ग फीट अथ्या 25 प्रतिशत आवासीय उपयोग की आरक्षित दर जो भी अधिक हो देय हीगी।
 - (ख) मवन की प्रस्तावित उचाई अनुझेय उचाई से अधिक ना हो।



- 2. ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का आकार 5000 व.मी. से अधिक होगा जो कि न्यूनतम 18.00 मी. चौडी सड़क पर स्थित होगा।
- 4. कुल स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग हेतु एवं 3 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। केवल व्यावसायिक उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शुल्क देय होगा। परन्तु इन सुविधाओं में ऐसी कोई गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी जो भवन निवासियों के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो। यह कुल देय एफ.ए.आर. में ही देय होगा।
- 7. सार्वजनिक सुविधाएँ यथा सामुदायिक केन्द्र, क्लब हाउस आदि हेतु एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। ये सुविधाएं पृथक भवन अथवा भवन इकाईयों के रूप में भी दी जा सकती है।
- 8. ग्रुप हाउसिंग में निर्मित कुल आवासीय इकाईयों का 15 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु रखना होगा। इन इकाईयों का क्षेत्रफल एफ.ए.आर. की गणना से मुक्त होगा, परन्तु प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु एक दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। विकासकर्ता उसी सेक्टर/योजना में अपने स्वामित्व की अन्य भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा निम्न आयवर्ग हेतु नियमानुसार आवासीय इकाई का प्रावधान कर सकेगा। ऐसी इकाईयों का निर्मित क्षेत्रफल 325 से 350 वर्गफीट होगा। ऐसी ईकाइयों का वेचान राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर व दिशा—निर्देशों के अनुसार ई.डब्ल्यू,एस. वर्ग (मासिक आय 5000/— रूपये) के परिवारों को आवंटित किये जावेंगे। प्रोत्साहन के रूप में ऐसी ईकाइयों पर 0.25 अतिरिक्त एफ.ए.आर. नि:शुल्क देय होगा, जिसे विकासकर्ता द्वारा अपनी परियोजना में उपयोग किया जा सकेगा या टी.डी.आर. के रूप में वेचान किया जा सकेगा।
- 10. भू-तल + तृतीय तल से ऊँचे भवन या 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवन होने पर लिएट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे।
- 12. भूखण्ड में बेसमन्ट एवं स्टिल्ट को छोड़कर स्वयं के निवास का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्गमीटर जो भी कम हो निम्न प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय के लिये उपयोग में लिया जा सकता है:-
 - (क) एडवोकेट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तुविद (ड.) चार्टर्ड एकाउन्टेंट/वित्तीय सलाहकार (च) मीडिया प्रोफेशनल का कार्यालय (छ) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (ज) अन्य उक्त प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय परन्तु निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय नहीं होगी:-
 - (1) खुदरा दुकाने (2) थोक व्यापार दुकान (3) मरम्मत हेतु दुकान (4) सर्विस शॉप्स (5) गोदाम/भण्डारण (6) ऐसी अन्य गतिविधि जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं सकटमय हो जैसा कि भवन मानचित्र समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।
- 13. ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों पर 15 प्रतिशत भूमि पर लेंड स्केपिंग / हरियाली क्षेत्र रखना आवश्यक होगा।
- 14. दो ब्लॉक्स के बीच की दूरी ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई का 1/4 होगी।
- 15. भवन की ऊँचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम सैटबैक्स तालिका "7" में उल्लेखानुसार होंगे।
- 16. 15 मीटर से ऊँचे भवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर होंगे।



विनियम संख्या 8.3 अन्तर्गत तालिका संख्या '4' व इससे संबंधित टिप्पणी संख्या (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), व (xii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

	4	तालका व	
•	~ 1	(योजना एवं गैर योजना)	भवनों हेत मानदण्ड
u	रमावसायिक	(याजना एवं गर वाजना)	14.11-3
		The same of the sa	- (क्र) । अधिकतम

(VIII)	सायिक (योज	ताल	का 4	ना भ	वनों हेर	न मानंदण्ड			
	सायिक (याज- अधिकतम	ना एवं न	म और	चेत्स	(和)	अधिकतम	मानक	अधिकतम	
क्र.सं. उपयोग का	आच्छादित	-पूनत	THE THE	गाउँ	पीछ	ऊँचाई	एफ.ए.	एफ.ए.	
प्रकार / मूखण्ड		सामन	पारव	4144	110		आर.	आर.	
का क्षेत्रफल	क्षेत्र			6	7	8	9	10	
1 2	3	4	5	6	1		1		
1. लघु व्यवसायिक	-			1	1				
प्रतिष्ठान/ दुकाने	1		-	-		8 申.	जो भी	जो भी	
A	सैट बेक	-					प्राप्त हे	प्राप्त हो	i F
(i) 50° a.Hi. do	क्षेत्र के								1
	अन्दर	1 2 3	3 9 8	1	-	- 8 मी	ं . जो भी	जो भी	
(ii) 50 व.मी. से अधिव	क सैट बेक	-	1-	- -			प्राप्त ह		ते ।
परन्तु 100 व.म	ते. क्षेत्र के								
	अन्दर				-	5 12.5	मी. जि	ते जो भ	· ·
्त्क (iii) 100 व.मी.	से सैट बेक	3	1 1 -	- -	- 2	.5 12.5	प्राप्त		हो
अधिक परन्तु 1									
	अन्दर	-				2.5 12.5	मी जो	भी जी	भी
वमी तक	से सेट बेव	5 4	.5	- -	- 1	2.5 12.5	- प्राप्त	7.	हो
(iv) 150 यमी.					-				+
अधिक परन्तु	अन्दर						मी जो	भी जो	भी
व.मी. तक	से सैट बे	南 ····	4.5	3.0	-	3.0 .12.	9		त हो ं
(v) 225 4. III	1.4.4						, IR.		
अधिक प्रन्तु	अन्दर							भी ज	ो भी
वंमी तक	2 22 3		6.0	3.0		3.0 12		M. Committee of the com	प्त हो
(vi) 350 a.Hi.							, XI	AL 61 \	
अधिक परन्तु	500	port						1.4	जो भी
व.मी. तक	अन्द	बेक	7.5	3.0	3.0	3:0 1	2.0		ाप्त हो
(vii) 500 य.मी			1.0				Я	ाप्त हो प्र	Izi e.
अधिक परन	तु 750 पान							+	2.25
व.मी. से क	अन्द	X	9.0	4.5	4.5	4.5	15.00	1.33	2.25
(viii) 750 d. 3	मी. एव सट	नेक	3.0				申.		
अधिक पर	3 1000 1 -1.	1	1						
व मी से व	कम अंद		-	+	-				
2 व्यवसायिक	परिसर,	91-1							
(बहुमंजिले	भवन)	1000	9	4.	5 4.	5 4.5	विनिमय	1.33	2.25
(i) 1000च.मी.		ट बेक	1 3				8.11 के		
अधिक प	रन्तु 1500 क्ष	त्र के					अनुसार		
व.मी. से	4/-1	न्दर	-	0 6	5.0 6	0.0	विनिमय	1.33	2.25
(ii) 1500 3		ट बेक	12				8.11 के		
अधिक प	रन्तु :2500 वि	तंत्र के					अनुसार		
व.मी, से	कम इ	अन्दर		-	9.0	9.0 9.0	विनिमय	1.33	2.25
(iii) 2500	व.मी. एवं	40%	1	2.0	5.0		8.11 वो		-
अधिक	परन्तु 5000						अनुसार	1 .	
प्रमी. से	कम			- 1					
	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T								



93(9)									
1	2 .	3	4	5	.6	7.	. 8	. 9.	10
(iv)		35%	15.0	9.0	9.0	9.0	विनिमय	1.33	2.25
	अधिक परन्तु 1				* * *		8.11 专		
	हंक्टेयर तक		1000						
(1)	1 हेक्टेयर से	-04			7		अनुसार		
(1)		35%	18	9	9	8	वितिमय	- 1.33	2.25
	ज्यादा					1	8,11 के		
				7.7		1	अनुसार		
3.	मोटल	000/	200				Chilbridge Street		
		20%	30.0	15.0	15.0	15.0	9 मी.	0.4	0.4
4.	रिसोर्ट	20%	- 30.0	15.0	15.0	15.0	9 मी.	0.2	0.4
5.	थोक व्यापार केन्द्र	35%	120	00					
1		3570	12.0	9.0	.9.0	9.0	12 用	1.0	1.0
	एवं वेयर हाउसिंग				-				
6.	एम्यूजमेन्ट पार्क	10%	30	10.0 -	10.0	10.0	30 मी.	. 0.1	0.2
	/गोल्फ कॉर्स								
7.	सिनेमा	35%	40			1	-		
1.	141-1-11	35%	18	6	6	6	विनिमय	लागू नहीं	, लागू नहीं
							8.11 के	333	
							अनुसार		
8.	मल्टीप्लेक्स	35%	18	-					
0.		3570	10	6	6 -	0	विनिमय	1.33	2.25
							8.11 के	2 3	
		- 19 19	7.5		-	1	अनुसार	"一道	
							3,	fert - the	2

तालिका "4" हेतु टिप्पणीः तालिका-4 के बिन्दु संख्या 2 (iii), (iv) व (v) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुझेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 200 रूपयें प्रति वर्गफीट अथवा व्यवसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर में बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी। लेकिन उपरोक्त राशि मानक एफएआर की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमेटलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

(अ) सामान्यः

- (iii) उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1 के बिन्दु संख्या (i) से (iii) को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पार्किंग के प्रावधान 10.1 के अनुसार लागू होगे।
- (iv) 15 मी. से अधिक ऊंचा भवन या भू-तल + तृतीय मंजिल से ऊंचा भवन होने पर लिपट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा अग्निशमन आदि का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानुसार करना होगा। वहुमंजिल भवनों में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर चौड़ा गेलियारा उपलब्ध कराना होगा। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पाश्व व पीछे सेटबेक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गिलियारा माना जा सकता है। परन्तु कॉर्नर के भूखण्डों/दो तरफ सडक पर स्थित भूखण्डों में चारदीवारी का निर्माण नहीं करने पर सडक की ओर यह अनियार्यता नहीं होगी।
- (v) मानक एकएआर से अधिक एकएआर निग्न शर्तो गर अनुझेय किया जा तकेगा :-
 - (क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर के समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर के अन्तर वे क्षेत्रफल पर 200 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा व्यावस्त्रयिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेट्रगेन्ट लेवी के रूप में जगा करायें। यदि भवन की जचाई 30 मी. से अधिक



(स्टील्ट को छोडकर) है तो अतिरिक्त एफ.ए.आर. की राशि 300/-रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा 25 प्रतिशत व्यवसायिक उपयोग की आरक्षित दर जो भी अधिक हो देय होगी।

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुद्रोय उचाई से अधिक ना हो।

- (vi) अनुसूची 3 के बाहर स्थित भूखण्डों पर होटल निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 750.00 व. मी. तथा भूखण्ड न्यूनतम 18.00 मी. जौडी सडक पर रिथत होगा। परन्तु अनुसूची 3 के भीतर के क्षेत्र में स्थित. मूखण्डों पर होटल निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तथा भ्खण्ड न्यूनतम 12.0
 - 2000 व.मी. से अधिक के होटल भूखण्डों पर अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 के स्थान पर 3.0 तक देय होगा, किन्तु मानक एफएआर 1.33 के पश्चात् नियमानुसार वेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
 - (viii) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से बडे व्यावसायिक / पर्यटन ईकाई / होटल / मल्टीप्लेक्स प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर लीअर ग्रांउण्ड पलोर में वाणिज्यिक कार्यालय/भण्डारण/ पर्यटन ईकाई संबंधित प्रयोजनार्थ निम्न शतों के साथ अनुचेय किये जा सकेंगे :-
 - ्राहिं प्रतिकेंग का नियमानुसार अपेक्षित प्रायधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
 - अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. गलियारा बहुमंजिलें भवन के चारों ओर
 - लोअर ग्राउण्ड को यातानुकूलित / मेकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान किया जावे।
 - वर्षा जल, ड्रैनेज, सीवरंज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
 - _ लोअर ग्राउण्डं फ्लोर सडक स्तर से 4.00 मी. से अधिक नीचा नहीं हो।
 - (ix) व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू-उपयोग (वाणिज्यिक+मुप हाउसिंग,वाणिज्यिक+ होटल/ मल्टीप्लेक्स / कार्यालय / एन्टरटेनमेंट कॉम्पलेक्स) अनुद्रोय होंगे। मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्ड अनुझेय होंगे, लेकिन व्यावसायिक भूखण्ड के मूल
 - (xii) रिसोर्ट में मानक एफ.ए.आर. 0.2 से अतिरिक्त एफ.ए.आर. बेटरमेंट लेवी का भुगतान करने पर

विनियम संख्या 8.3 अन्तर्गत टिप्पणी संख्या (स) व्यावसायिक परिसर (बहुमंजिलें भवन). (य) थोक व्यापार केन्द्र/वेयर हाउसिंग एवं (व) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन को निम्नान्सार प्रतिस्थापित की जाती है।

- (स) य्यावसायिक परिसर (बहुमंजिलें भवन)
- (v) मवन की प्रस्तावित ऊँचाई 30.00 मी. से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व एवं पीछे के न्यूनतम सैटबैक्स तांलिका "7" में उल्लेखानुसार होंगे।
- (य) थोक व्यापार केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग
- (i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 य.मी. होगा। योजना क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल योजनानुसार मान्य होगा।
 - ा (ii) सड़क की न्यूनतम चौडाई 24 मी. होगी।

(वं) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन

(i) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन के भवनों की निर्माण अनुज्ञा केन्द्रीय सडक एवं भूतल प्रिवहन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित गानदण्डों के मानक स्तर के अनुसार दी ा सकेगी। पेट्रं:ल पम्प एवं फिलिंग स्टेरान हेतु तकनी की मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

(क) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र


(ख) एफ.ए.आर.

0.2

7 मीटर

ं पार्श्व व.पृष्ठ में सैट क

3.0 मीटर न्यूनतम



में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर लागू होगी, लेकिन अधिकतम एफएआर व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति में बेटरमें दलेवी पुनः नहीं ली जावेगी।

- मानक एफएआर से अधिक एफएआर निम्न शर्तो पर अनुक्षेय किया जा सकेगा :-(2)
 - (क) यदि आयेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर के अन्तर के क्षेत्रफल पर 100 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें। यदि भवन की ऊंचाई 30 मी. से अधिक (स्टील्ट को छोडकर) है तो अतिरिक्त एफ.ए.आर. की राशि 300 / - रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा 25 प्रतिशत आवासीय उपयोग की आरक्षित दर जो भी अधिक हो देय होगी।
 - (ख) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई अनुझेय उचाई से अधिक ना हो।
- ऐसे संस्थानिक भवन जिनकी ऊँघाई भू-तल+तृतीय तल या 15 मीटर से अधिक व 18 मीटर से कम प्रस्तावित है ऐसे भवनों में लिपट की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे अधिक ऊंचा भवन होने पर (5) लिफ्ट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा आपातकालीन, अग्निशमन आदि के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे। अंग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. गलियारा भवन के चारों ओर उपलब्ध हो। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेटबेक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
 - संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 व. मी. अथवा उससे अधिक बडे भूखण्डों पर देय होंगे। 30 मीटर से रुँचे भवनों में सैटबैक तालिका "7" व 8.8 (vii) के प्रावधानों के अनुसार छोड़ने होंगे।
 - 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से बड़े संस्थागत उपयोग के भूखण्ड पर लोअर ग्राउण्ड पलोर निम्न शर्तों के साथ अनुज्ञेय किये जा सकेंगे :-
 - पार्किंग का नियमानुसार अपेक्षित प्रावधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
 - अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. गलियारा बहुमंजिले भवन के चारों ओर उपलब्ध हो। परन्तु कॉर्नर के भूखण्डों / दो तरफ सड़क पर स्थित भूखण्डों में चारदीवारी का निर्माण नहीं करने पर सडक की ओर यह अनिवार्यता नहीं होगी।
 - लोअर ग्राउण्ड को वातानुकूलित/मेकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान किया जावे।
 - वर्षा जल, ड्रैनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
 - लोअर ग्राउण्ड फ्लोर सडक स्तर से 4.00 मी. से अधिक नीचा नहीं हो।
 - सरकारी य अर्द्धसरकारी भवनों में अतिरिक्त एफएआर की वेटरमेन्ट लेवी देय नहीं होगी।
 - यर्षा जल संग्रहण की राशि हेतु यह अन्डरटेकिंग ले ली जावेगी कि भवन में वर्षा जल संग्रहण का (10) (11).
 - 15 मीटर से ऊँचें भंवन प्रस्तावित होने की दशा में पार्श्व व पृष्ठ सेटबेक न्यूनतम 6 मीटर होंगे। (12) विनियम संख्या 8.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
 - विशेष प्रकृति के भवनः
- अन्य विशेष प्रकृति के भवन जो कि आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत/आद्योगिक भवन की प्रकृति में नहीं आते हैं जैसे मिश्रित भू उपयोग तथा जिलके वारे में यहां मानदण्ड निर्धारित नहीं है ऐसे भवनों में भवन निर्माण के मानक स्तर भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा गुणावगुण निर्घारित किये गये अनुसार होगा।

विनियम 8.7 अन्तर्गत तालिका '6' क्र.सं. (viii) एवं (xiii) ए इसकी टिप्पणी एवं वर्ग निम्न प्रकार से . प्रतिस्थापित की जाती है :-

- जवाहर लाल नेहरू नार्ग-म्यूजियम से इन्दिरा स्फिल तक (जेएलएन वर्ग 15:00 मी. तक (viii)
- जताहर लाल नेहरू मार्ग-इन्दिरा सर्किल (जेएलएन मार्ग के जंक्शन तक) ते रेल्वे लाईन तक



- ❖ तालिका 6 की क्रम संख्या (xiii) को विलोपित किया जाता है।
 - (ग) भवानी सिंह रोड़ (अम्बेडकर सर्किल से रामबाग सर्किल तक) पर भवतीं की ऊँचाई केवल 9 मीटर तक ही अनुजेय की जाएगी व इस सड़क पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि अनुजेय नहीं की जाएगी।

विनियम संख्या 8.8 (iv), (v), (vii) एवं (viii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- BB सैटबेकः
- (iv) जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो उसके लिए प्रावधानः
 सैटबेक पलेट्स ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक भवन एवं संस्थागत भवन हेतु मुख्य सड़क अर्थात् चौड़ी सड़की की ओर का सैटबेक सम्बन्धित तालिका अथवा योजनानुसार जो भी अधिक हो देय होगा।
 अन्य सड़क की ओर का सैटबेक मौके की स्थिति के अनुसार अथवा योजना होने की स्थिति में योजनानुसार होगा। गैर योजना क्षेत्र में मुख्य सड़क की ओर का सैटबेक आसपास की भवन रेखा के अनुसार अथवा सम्बन्धित तालिका के अनुसार जो भी अधिक हो रखा जायेगा। अन्य सड़क की ओर का सैटबेक योजनानुसार अथवा तालिकानुसार जो भी अधिक हो अनुझेय होगा। भूखण्ड के दो से अधिक सड़क समान चौड़ाई की सड़क स्थित होने पर किसी एक को मुख्य सड़क मानते हुए अग्र सैटबैक संबंधित तालिका अथवा योजनानुसार जो भी अधिक हो देय होगा। अन्य सड़क की ओर का सैटबैक मौके की स्थिति के अनुसार अथवा योजना होने की स्थिति में योजनानुसार होगा, जिस पार्थ सेटबैक के अनुरूप माना जावेगा।
- (v) यदि किसी भूखण्ड पर देव सैटबेक्स के कारण तालिका में अंकित अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. प्राप्त नहीं होता है तो उससे निम्न श्रेणी के भूखण्ड के सैटबेक्स की सीमा तक उस मूखण्ड के रीटबेक्स (अग्र सैटबेक्स को छोड़कर अन्य) में शिथिलता देव होगी जिससे तालिका में अंकित आच्छादित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. प्राप्त किया जा सके।
- (vii) 30 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्र सैटबैक्स संबंधित तालिका अथवा योजना में दिये गये सैटबैक्स में से जो भी अधिक हो के अनुसार एवं पाश्र्य एवं पीछे के सैटबैक्स तालिका "7" अथवा तालिका के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार छोड़नें होंगे। इनमें शिथिलता देय नहीं होगी।
- (viii) तालिका "1", "1" (अ), "2", "3", "4", एवं "5" में 15 मीटर से अधिक ऊँचें भवनों में दोनों पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक्स न्यूनतम 6.0 मीटर होंगे। 30 मीटर से उँचे भवनों के लिए संबंधित तालिका "7" के प्रावधान लागू होंगे।

विनियम संख्या 8.8 अन्तर्गत तालिका संख्या '7' व इससे संबंधित टिप्पणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

तालिका "7"

आवासीय / व्यावसायिक / संस्थागत भवन जो 30 मीटर से अधिक ऊँचें निर्माण हेतु प्रस्तावित हों, तो निम्न प्रावधान लागू होंगे।

दोनों पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक्स (मीटर
াক 11
নক 12
নক 14.
রক 16
17 ".

आशिया "7" हेतु रिप्पणे :- उपरोक्त तालिका के विकल्प के रूप में टावरनुमा स्ट्रक्बर के प्रकरणों में 30 शिटर तक की उद्धाई के लिए एनतम सेटवेक संबंधित तालिका के अनुसार लागू होंगे। लेकिन 30

(C

मीटर के ऊपर के सेटबेक उपरोक्त तालिका के अनुसार लागू होंगे। 30 मीटर से ऊपर सेटबेक अधिक होने पर जो खुला क्षेत्र 30 मीटर की छत पर मिलेगा उस पर किसी कमरे या पलेट से पहुँच नहीं होंगी लिकिन ऊपरी मंजिलों पर नियमानुसार ऑपन बालकनी देय होगी।

विनियम संख्या 8.9 (ख) की टिप्पणी संख्या vi को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

(vi) बेसमेंट तथा अन्य मंजिलों पर जाने के लिए रेम्प सैटबैक्स में देय होगा, बशर्ते अग्निशमन वाहन के आवीगमन हेतु न्यूनतम 3.6 मी. स्पेब्ट रास्ता मूतल पर उपलब्ध हो रैम्प को अग्निशमन के आयांगमन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा तथा वेसमेंट में जाने हेतु रैम्प अग्र सेटबैक में भूखण्ड की बाउण्ड्री से 6.00 मी. छोडनें के बाद देय है। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व य पीछे सेटबैक में बनायां जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ न हो तो उसे अग्निशमन याहन के आयागमन हेतु गतियारा माना जा सकता है।

विनियम संख्या 8.10 (11) को निम्नानुसार अतिरिक्त जोड़ा जाता है एवं विनियम संख्या 8.10 अंतर्गत (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

8.10 एक ए आर: विमिन्न उपयोगों के भवनों हेतु मानक एकएआर निम्नानुसार होंगे -

(ii) आवासीय पलेदस/ग्रुप हाउसिंग - 1.33

उक्त निर्घारित एफएआर से अधिक एफएआर तालिकानुसार अधिकतम अथवा अन्यथा प्रस्तावित सीमा तक निम्न शर्तों पर अनुशेय किया जा सकेगा :-

यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो (75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा य शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा) अथवा एफएआर के अन्तर के क्षेत्रफल पर गैर व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित होने पर 100 रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित होने पर 200 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा व्यावसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें। यदि किसी भी उपयोग के भवन की फचाई 30 मी. से अधिक (स्टील्ट को छोडकर) है तो अतिरिक्त एफ.ए.आर. की राशि 300 / - रूपये प्रति वर्ग फीट अथवा 25 प्रतिशत उस उपयोग की आरक्षित दर जो भी अधिक हो देय होगी।

विनियम संख्या 8.10 (2) (viii) में लिपट मशीन कमरा के पश्चात एस्किलेटर शब्द जोडा जाता है :-

विनियम संख्या 8.10 (ix) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है तथा विनियम संख्या 8.10 (4) के प्रचात विनियम संख्या 8.10 (5) से (7) नये प्रावधान जोडे जाते हैं :-

- आवासीय उपयोग के भवनीं में एफ.ए.आर. क्षेत्र का अधिकतम 15 प्रतिशत तथा व्यावसायिक उपयोग के भवनों में एफ.ए.आर. क्षेत्र का अधिकतम 20 प्रतिशत के कोरिडोर का क्षेत्रफल एफ.ए.आर. की गणना से मुक्त होगा। सांस्थानिक, पर्यटन ईकाई व होटल उपयोग के भवनों में कॉरीडोर के क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी तथा यह कोरीडोर एफ.ए.
- छोटे मू-खण्डों के पुनर्गठन के प्रकरणों में देय सेट बैक्स व एफएआर मूल गू-खण्डों के अनुसार ही रखे जायेंगे। यदि एफ.ए.आर. इससे अधिक प्रस्तावित किया जाता है तो सैट वैक पुनर्गित मू-खण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार रखे जाने होंगे एवं अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर येटरमेन्ट लेवी आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 100 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो, देय होगी। पुनर्गठन के फलस्वरूप यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होता है तो राज्य सरकार की पूर्वानुमित आवश्यक होगी। ऐसी योजनाओं जिनमें स्वतंत्र आवासीय तथा फ्लेट्स दोनों प्रकार के भूखण्ड प्रस्तावित हो तो ऐसी योजनाओं में सम्पूर्ण योजना क्षेत्रफल पर 1.2 अनुकोय ग्लोबल एफ.ए.आर. की



गणना की जावेगी तथा स्वतंत्र आवासीय मुखण्डों के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. अधिकतम 1.5 के अनुसार गणना की जाकर अनुझेय ग्लोबल एफ एआर. का शेष भाग पलेटेड विकास के भूखण्डों पर अनुक्षेय होगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा सजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 के तहत योजना अनुमोदित कर निर्माण किया जाएगा या टाउनशिप पोलिसी 2002 के तहत योजना स्वीकृत की गई होगी। उन योजनाओं पर भी . ग्लोबल एफ.ए.आर. लागू होगा। ऐसी योजनाओं में पुर्नेगठन कर (छोटे मुखण्डों का) बड़े भूखण्ड (पलेटेड विकास हेतु) को भी इस सुविधा का लाम प्राप्त होगा। यदि ग्लोबल एफ.ए. आर का शेष माग ऐसे मूखण्डों पर देय अधिकतम एफ.ए.आर से कम होगा तो विकासकर्ता अधिकतम एफ.ए.आर. के लिए शेष एफ.ए.आर. का बेंटरमेन्ट लेवी प्रदान करेगा। अनुमोदित ले-आउट प्लान में एफ.ए.आर. अनुमोदन के समय निश्चित कर दिया जाएगा। पूर्व में स्वीकृत योजनाओं का भी पूर्ण एफ.ए.आर. ग्लोबल एफ.ए.आर. के तहत पुनः निर्धारित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा करते वक्त संम्पूर्ण ले-आउट प्लान का पुर्निनिरीक्षण किया जाकर सभी भूखण्डों का एक साथ एफ.ए.आर. निर्धारित करना होगा। किसी एक भूखण्ड पर ग्लोबल एफ ए.आर. की गणना के पश्चात् बचा हुआ एफ ए.आर. अन्य भूखण्ड पर देय होगा, परन्तु भवन विनियम 2010 (संशोधित) के सभी मानदण्ड लागू होगें।

स्थानीय निकायों को क्षेत्राधिकार हस्तान्तरित होने से पूर्व, राजस्थान आवासन मुण्डल की योजनाओं के भूखण्डों में पुर्नगठन अनुज्ञेय नहीं किया जायेगा।

विनियम संख्या 8.11 की टिप्पणी संख्या (i), (v) व (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-ऊंचाई:

- 12.00 मी. से कम चौडी सडक पर स्थित भूखण्डों में भवनों की देय ऊँचाई 12.00 मी. तक (i) (स्टिल्ट का प्रावधान किए जाने पर अधिकतम 15.00 मीटर तक) सीमित होगी। 12.00 मी. एवं इससे अधिक लेकिन 18.00 मी. से कम घौड़ी सड़कों पर अधिकतम ऊँचाई सड़क की चौड़ाई के बराबर देय होगी। 18.00 मीटर एवं इससे अधिक लेकिन 30.00 मी, से कम चौड़ी सड़क पर अधिकतम ऊँचाई सड़क की चौड़ाई का डेढ गुना तक देय होगी। 30.00 मीटर एवं इससे अधिक चौडी सडकों पर भवनों की ऊँचाई, सडक की चौडाई का डे़द्र गुणा एवं भूखण्ड के अग्र सैटबैक के योग के बराबर देय होगी। भवन में पार्किंग हेतु बेसमेंट का निर्माण किये जाने पर सामने की सडक के स्तर से कुर्सी तक की ऊँचाई अधिकतुम 12 मी. एवं पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण किये जाने पर कुर्सी तल से स्टिल्ट की छत की बीमतल तक अधिकतम ऊँचाई 2.8 मी. बेसमेंट एवं स्टिल्ट दोनों को पार्किंग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर दोनों की ऊँचाई को जोडकर भवन की ऊँचाई की गुणना में छूट दी जा सकेगी। शेकोंनेकल पार्किंग की स्थिति में स्टिल्ट की ऊँचाई विनियम 9.8.4 के अनुरूप अनुज्ञेय ऊचाई को भवन की ऊचाई से छूट अनुज्ञेय होगी। पार्किंग के उपयोग हेतु प्रस्तावित मंजिलों की अधिकतम 6.2 मीटर की ऊंचाई (कुर्सी तल को छोड़कर) भवन की अनुज्ञेय ऊंचाई की गणना में शामिल नहीं की जायेगी।
- टाउन शिप पॉलिसी 2010 अथवा पूर्व की टाउन शिप पॉलिसी के तहत स्वीकृत ऐसी (v) योजनाओं जिनमें स्वतंत्र आवासीय भूखण्ड तथा पलेद्सः के भूखण्डों दोनों प्रकार के भूखण्डों प्रस्तावित हो तो ऐसी योजना में पलेटेड माग हेतु आवासीय भूखण्डों में अधिकतम ऊँचाई योजना की संपर्क सड़क का 1.5 गुणा + फ्रन्ट सेटबेक अनुझेय की जा सकेगी। ग्लोबल एफ.ए.आर. के तहत अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग केवल 2000 व.मी. व बड़े भूखण्ड पर ही लागू होगा।
- हॉस्पिटल / होटल / शॉपिंग मॉल्स के प्रकरणों में भवन की प्रत्येक 30 मीटर ऊँचाई तक एक सर्विस पलोर की ऊँचाई (2.2 मीटर) भवन की कुल ऊँचाई की गणना में शामिल नहीं होगी।



विनियम संख्या 8.14 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

वर्षा के पानी द्वारा मू-गर्म का जल स्तर बढानाः

300 वर्गमीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में सेटबेक क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर वर्षा के पानी की इकट्ठा करने के लिये एक गडड़े का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिसका न्यूनतम भैत्रफल 1 व.मी. व गहराई 1 मी, होगी। इसमें आधे मीटर गहराई तक पत्थर अथवा ईट के दुकड़े तथा बजरी भरे जायेंगे ताकि पानी छनकर ढके हुए दूसरे गहरे गडडे जो कि 1 x 1 x 1 मी, का ू हो, में जा सके। इस गडडे से वर्षा के पानी को इकटठा करने के लिए समुचित नालियाँ की संरचना की जायेगी। प्रथम गडडे को लोहे की जाली से ढका जायेगा ताकि समय-समय पर इसकी सफाई की जा सके। दूसरे गडडे को पाइप के जरिये 6 इंच व्यास की टयूबवेल संरचना से ज़ीड़ा जायेगा। प्रत्येक ६ इंच व्यास के टयूबवेल की न्यूनतम गहराई, 15 मी. होगी। इस प्रकार के कुम् से, कम् 2 ट्यूबवेल होंगे, जिनमें आपस में 2 मी. की न्यूनतम दूरी होगी, जो आपस में जुड़े होंगे ताकि पानी सभी टयूबवेल में जा सके। इस प्रकार के गडडों को उस सतह तक खोदा जायेगा ताकि पानी रिसाव शीघ व अच्छी तरह से हो सके। इन गडडों को ऊपर से पूर्णरूप से ढकना होगा। इसमें यह भी व्यवस्था करनी होगी कि इनमें पानी अधिक भर जाने के कारण अतिरिक्त पानी नाली के माध्यम से स्वतः की बहकर भूखण्ड के बाहर निकल जाये। बड़े भूखण्डों में सक्षम अधिकारी द्वारा तय किये अनुसार वर्षा के पानी को इकटठा करने के लिये समुचित क्षमता का मूमिगत टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु समुचित टयूबवेलनुमा संरचना की जावेगी। अथवा अन्य किसी विधि से जैसे छोटा तालाब/पौण्ड (pond) आदि से जल के रिसाव की व्यवस्था की जा सकेगी। 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण की संरचना के लिए विनियम 14.14 की तालिका अनुसार अमानत राशि ली जावेगी तथा आवेदक . हीरा उक्त सरचना का निर्माण नहीं करने पर संबंधित निकाय उक्त राशि का उपयोग किसी एजेंसी के माध्यम से इसका निर्माण कराने हेतु स्वतंत्र होगा। इस राशि हेतु संबंधित विकाय पृथक से अकाउन्द्र संघारित करेगा।

यहुमंजिला भवनों में वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान की जिम्मेदारी विकासकर्ता/विकास स्त्रिमित की हागी, जिसका कि समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

विनियम 8.16 के पश्चात निम्नानुसार विनियम संख्या 8.17 जोडा जाता है :-

8.17 जल संग्रहण हेत् टॉका निर्माण

जल समस्या एवं सरक्षण के समाधान हेतु घरो में छत पर वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान या टांको का निर्मीण निम्नानुसार किया जावेगा।

निम्नानुसार मुखण्डी के आकार के अनुरूप टांका निर्माण:-

निम्नानु	सार मुखण्डों के आकार के अनुसर्व का आकार	टांके निर्माण हेतु न्यूनतन समता
TE 37	मुखण्ड का जाकार	12 Cu.Mtr.
1.	300 वर्ग मीटर से अधिक व 1000 वर्ग मीटर तक	36 Cu.Mfr
2.	1000 वर्ग मीटर से अधिक व 2000 वर्ग मीटर तक	64 Cu.l.fir.
3.	2000 वर्ग मीटर से अधिक व 3000 वर्ग मीटर तक	100 Cu.Mtr.
4.	3000 वर्ग मीटर से अधिक व 4000 वर्ग मीटर तक	125 Cu.Mtz.
5.	4000 वर्ग मीटर से अधिक व 5000 वर्ग मीटर तक	100 Cu.Min.
6.	5000 यर्ग मीटर से अधिक व 10000 दर्ग मीटर तक	

2. टांको में जल संग्रहण किया जाकर उसका अधिकतम उपयोग किया जावें!

3. छत पर वर्षाजल संग्रहण के प्रावधान या टांका निर्माण की अनुपालना नहीं करने पर प्रति । क्यूबिक मीटर पर रूपये 1000/- पेनल्टी के रूप में देव होगी।

टांका निर्माण का स्ट्रक्चर डिजाईन उपलब्ध भूखण्ड के आधार पर रदंद ने रतर पर निर्धातित दिन्दा जा सकता है।

एक या एक से अधिक टांकों का निर्माण क्षमता के आधार पर किया जा रकता है।

विनियम 9.5 के द्वितीय परा को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

रेम्प का निर्माण सैंटबैक में करते समय यह आवश्यक होगा कि रेम्प के अलावा बहुमंजिले नवन के चारों और न्यूनतम 3.6 मी. परिसंचालन हेर्तु स्पष्ट गुलियारी उपलब्ध हो। रैम्प को इस गलियारे का भाग नहीं माना जावेगा। परन्तु यदि 3.6 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेटबैक में यनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ ने हो ती उसे अग्निशमन वाहन के

विनियम 9.7 (बेसमेन्ट) की टिप्पणी संख्या (ii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(ii) 1250 व मी. या इससे से अधिक क्षेत्रफल पर दो बेसमेंट अनुज्ञेय किये जा सकेंगे जिनमें से कम से कम एक बेसमेट पाकिंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। 2000 व मी एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम तीन बेसमेंट अनुक्षेय किये जा सकेंगे बड़ात कम से कम दो वेसमट का उपयोग पाकिंग हेतु किया जावेगा। वेसमेंट में पर्याप्त यातायुन एवं ग्रेशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पाकिंग के अलावा (8.10 (V), में उत्केखित, उपयोगों को छोडकर) अन्य उपयोग में बेसमेंट का उपयोग किये जाने पर वह एफ एआर की गणना में

विनियम 9.8.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

9.8.1 किसी भूखण्ड में सैटबेक छोड़कर शेष बचे भाग पर एक अथवा अधिक स्टिल्ट निर्मित किया जा सकेगा, परन्तु स्टिल्ट के ऊपर निर्माण् करते समय अधिकतम् आएकादित क्षेत्र की सीमा से आहेत के मार पर लेण्ड रकेंप्र के लप में ब्रिक्रसित किया जाना, होगा हिस्टूट प्रलोर के कुर्सी की अंचाई सड़क से न्यूनतम 0.5 गीटर हंगी.!

विनित्यः संख्या 9.12 (१) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

(ग) यांः भवत ने दिन्सी तरफ का सैटबेक 6.0 गी. से अधिक हो तो उस तरफ बालकती क्षेत्र को ातः के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार का अधिकारन भूमि तल से 3.5 मी. से उपर देय होगा, लेकिन यदि बहुमंज़िलें भवना में आर्नेशमन वाहन के संचालन हेतु 3.6 गीटर चौडा गलियारा कवर प्रोख्नेक्स उपरान्त प्रस्तावित किया जाता है तो 3.5 मीटर की ऊँचाई की बाध्यता नहीं होगी। 😤 े किए स्थान

विनियम संख्या 9.13 (घ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

(घ) बालकनी, 9.12 (ख) के प्रायधान अनुसार होगी तथा भूमिन्त्वलनसे कम से कमें के मिर्निकी जंचाई पर हो। यदि बहुमंजिले भवनों में अग्निशमन बाहन के संचालन हेंतु अर्ट मीटर चौड़ा गलियारा बालकनी प्रोजेक्शन के उपरान्त प्रस्तावित किया जाता है, तो 3.5 मिटिर की ऊँचाई की बाध्यता नहीं होगी।

विनियम संख्या 9.14 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है := " कि नी कि कि पनाए क dent, c

म् उपयोगः उपान्तरणः

a better a severy this with me भू उपयोग उपान्तरण के पश्चात् भूखण्ड पर अग्र सैटबेक योजना का हिस्सी होने की स्थिति में योजनानुसार तथा गैर योजना क्षेत्रों में आसपास की भवन रेखा के अनुसार देय होगा। अन्य सेटवेक्स, आध्यादन व ऊँचाई मूल भूखण्ड अधवा तालिका अनुसार जो भी अदिक हो, उ'नुझे । होगा । एक ए.आर तालिका अनुसार परिवर्तित उपयोग हेर्तु अनुझेय किया जा सकेगा। भू राषयोग उपान्तरण के प्रकरण में आवेदक हारा अविदे में प्रस्तुत करने की दिनांक को आगू आया कीच आरक्षित दर के आधार पर भू उपयोग परिवर्तन शुक्क की गणना कर राभि वसूल की जाएगी।

विनियम संख्या 10.1.1 (क) द (ग) 10 4, 10.1.8 10.1.11 एवं 10.1.12 को निम्नानुसार संशोधित किया

आयासीय एद अन्य उपयोग (कािजियक भवनों, सिनैमा एवं थ्रियेटसे के अलावा) : एक राज्य राज्य इसाई (ई.सी.थू) प्रति 75 वर्गमीटर एफ.ए.आर. क्षेत्र देयु होगी लेकिन 500 ा उराते कार शावातीय एवं संस्थागत भूखण्डॉ-पर-पार्किंग की अनिवार्यता नहीं




होगी, किन्तु उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन से अधिक आवासीय ईकाई प्रस्तावित करने पर नियमानुसार पार्किंग प्रावधान कराना आवश्यक होगा। 500 वर्ग मीटर से अधिक के स्वतंत्र आयासीय भवन का प्रस्ताव होने की दशा में एक समतुत्य कार ईकाई (ईसीयू) प्रति 150 वर्ग मीटर एफएआर क्षेत्र पर देय होगी।

- (ग) वाणिज्यिक मवनों के लिए एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 50 वर्ग मीटर एफ.ए. आर. क्षेत्र पर देना आवश्यक होगा साथ ही तालिका "4" के नीचे दी गई टिप्पणी में से पार्किंग से संबंधित प्रावधान भी लागू होंगे।
- 10.1.4 10.1.1 (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित आवश्यक पार्किंग की गणना के लिए वह क्षेत्रफल आधार माना जी एफ.ए.और. में सम्मिलित किया जाता है।
- 10.1.8 विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित भयन मानिवत्रों में बेसमेंट, स्टिल्ट एवं खुले क्षेत्र के जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है जिसके लिए भवन निर्माता नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में एक अण्डरटेकिंग तथा शपथ पत्र देगा कि इसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा आवासीय भवनों में पार्किंग क्षेत्र को अधिकार पत्र के माध्यम से निवासकर्ता के पार्किंग उपयोग हेतु अधिकृत कर सकेगा। विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक निवास ईकाई को कम से कम एक चौपहिया वाहन की पार्किंग चिन्हित कर अधिकृत करना आवश्यक होगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर, जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा। एवं तोड़ने का हर्जा—खर्चा संबंधित क्रेता जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। शपथ पत्र में उपरोक्त के अलावा यह भी लिखा होगा कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम तोड़फोड़ के लिए हर्जा—खर्चा वसूलने तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड (नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उस दर भी) वसूला जा सकेगा एवं भवन क्रेता इसे देने के लिये बाध्य होगा।
- 10.1.11 पुनर्गित भूखण्डों में नियमों के अन्तर्गत निर्घारित पार्किंग खुले क्षेत्र में अथवा बेसमेंट में पूर्ण हो जाती हो तो स्टिल्ट पलोर पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी।
- 10.1.12 पार्किंग हेतु अलग से टावर का निर्माण भवन की ऊँचाई के अनुरूप प्रस्तावित होने पर ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन तालिका में अनुझेय आच्छादन से अतिरिक्त देव होगा।

विनियम संख्या 14.14 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

14.14 उपरोक्त प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वीकृति जारी करने से पूर्व अमानत राशि व वर्षाजल संग्रहण हेतु अमानत राशि नकद / बैंक ड्राफ्ट के रूप में भवन निर्माता को जमा कराने होंगे। यह राशि कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त चारों प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।

अमानत शारा मूखण्ड के जावगर के जावगर के जावगर के					
क्र.	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	ं अमानत राशि	वर्षाजल संग्रहण	कुल राशि	
सं.	6	(रूपये) रिफन्डेयल	हेतु राशि		
1.	300 व. मी. से 500 व.मी. तक	-	50,000 रूपये	50,000 रूपये	
2.	500 व. मी. से अधिक एवं 750 व.मी. तक	-	75,000 रूपये	75,000 रूपये	
3.	750 व. मी. से अधिक एवं 1000 व.मी. तक	-	1 লাভ	1 লাख	
4.	1000 व. मी. से 2500 व.मी. तक	5 लाख	1 लाख	. 6 लाख	
5.	2500 य. मी. से अधिक एवं 4000 य.मी. तक	10 लाख	2 লাভ্র	12 लाख	
6.	10,000 व.मी. तक	15 लाख	3 लाख	18 লাख	
7.	10,000 व.मी. से अधिक	• 20 लाख	5 লাভ্র	25 लाख	
			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.		



IES.

संबंधित निकाय को संशोधित मानचित्र र तुत कर दिये जायेंगे। निकाय द्वारा B.P.C. की बैठक में संशोधित मानचित्र 15 दिवस के अन्तर्गत अनुमोदित कर नियमन हेतु देय राशि का मांग पत्र अनुझाधारक को प्रेषित कर दिया जायेगा। अनुझाधारक द्वारा निर्धारित राशि जमा कराये जाने के पश्चात 10 दिवस में अनुमोदित मानचित्र एवं कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा।

(ii) अनुजाधारक द्वारा नियमन हेतु निर्धारित अवधि में मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा निर्धारित नियमन राष्ट्रि जमा नहीं कराये जाने पर भवन विनियमों के विपरीत किये गये अधिकार प्राप्ति को ज्ञायमुर विकास प्राधिकरण को सीज करने का अधिकार होगा। अनि स्परीका क्रमांक के एवं ख के विपरीत किया गया अवैध निर्माण —

(i) भवन विनियमों के विचलन से किया गया निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा। कमेटी द्वारा अपूरोव़त के (i) के अनुसार मौका मुआयना कर अवैध निर्माण को तोड़ने हेतु 10 दिवस में कि निक्क जिस्मुर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस में कि निक्क जुम्मुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुजाधारक को अवैध निर्माण 30 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने पर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर कि अवैद का द्वारा संशोधित मानचित्र कमेटी में प्रस्तुत करने पर कमेटी द्वारा पुनः कि (i) के अनुसार मौका मुआयना किया जायेगा। मोके पर निर्माण भवन विनियम 2010 के अन्तर्गत पाये जाने पर, कमेटी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को तद्नुसार अनुशंषा प्रवित की जायेगी। निर्धारित राशि जमा होने पर संशोधित मानचित्र एवं कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा।

रं जराज (ii) यदि भवन निर्माता आंशिक कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहे तो -

িছক তেওঁ ্টি)ংগ6:2° শ का (i) में बताये विचलित निर्माण को तोडने/दुक्तरत करने की अण्डरटेकिंग जविप्रा को प्रेषित करेगा।

उपरोक्त दोनों शर्तों. को॰ पूर्णः करने के उपरान्त आंशिक कम्पलीशन सर्टिकिकेट के लिए

्राण्या (iii) ज्यादि अनुज्ञाधारकृष्मदन विनियम से अधिक विचलन को 90 दिवस में नहीं हटाता है तो रि. १७ १ १ जिवियों को निर्माण को सीज / ध्वस्त करने का अधिकार होगा।

> (च) भवेन निर्माण आदि के लिये आवेदक को जल व विद्युत कनेकान अशाई तौर पर दिये जावेंगे। बहुमंजिले भवनों में कम्पलीशन सर्टिफिकंट पान को प्रदास आवेदक को जल व विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से िवे जा सकेंदे।

- (छ) यदि किसी भूखण्ड में एक से अधिक भवन इकाईयाँ का निर्माण प्रस्तावित हो, ती कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किसी भी भवन इकाई के लिए पृथक् रूप से भी किया जा सकता है
- सभी प्रकार के बहुमंजिले भवनों के लिए तथा विशिष्ट भवनों के लिए अग्निशमन अधिकारी से अंतिम संतुष्टि पत्र जारी होने के बाद ही कम्प्लींशन सर्टिफिकेट जारी किया जा
- कम्पाउण्डिंग के प्रावधान लागू होने पर 16.2 (क) व (ख) से विचलन होने की स्थिति में कम्पाउण्डिंग् की सीमा तक नियमित किए गये निर्माण का अनुझाधारक कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा।


विनियम संख्या 18.5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्वः पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्व होगा कि भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की अवस्था में भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षित सभी सेवाएं जहां कहीं भी इन विनियमों में अपेक्षित है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया व नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार निष्पादित करें भवन निर्माण यदि विनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की जिम्मेदारी भवन निर्माता/अनुजाधारी की होगी। पंजीकृत तकनीकीविद का यह भी दायित्व होगा कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक यदि कोई अवैच निर्माण किया जाता है तो समय-समय पर जविप्रा/जनानि को सूचित

विनियम संख्या 19.3, 19.5 एवं 19.7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन गानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किए जावेंगे तथा तत्कालीन विनियमों / नियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हुए निर्माण को जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है इन विनियमों के लागू होने के साथ हटाने, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पूर्व निर्मित भवन अथवा निर्माणाधीन भवन में इन विनियमों के अनुसार अतिरिक्त एफएआर का उपयोग टी.डी. आर. अथवा नियमानुसार बेटरमेंट लेवी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव दिया जाता है तो पूर्व स्वीकृत भवन में अनुमोदित सैट्बैक्स व देय ऊँचाई को यथावत रखते हुए अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी, बशर्ते विनियमानुसार पार्किंग उपलब्ध करवाई गई है। नीलामी के भूखण्डों में पूर्व में देय एफ.ए.आर. के अतिरिक्त इन विनियमों के अनुसार देय सीमा तक अतिरिक्त एफ.ए.आर बेटरमेंट लेवी वसूल कर स्वीकृत किया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण मानियत्रों के अनुसार निर्माण नहीं कराकर नये विनियमों के अन्तर्गत निर्माण की अनुमति चाहता है तो वह इसके लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

जो भूखण्ड नीलामी सं येचे गये हैं, उनका एफ.ए.आर. नीलामी के समय दिये गये एफ.ए.आर. (जिसे गानक एफ.एआर. भाना जावेगा) के अनुसार ही होगा एवं अन्य पेरामीटर्स इन विनियमों के प्रावधान अनुसार देय होंगे। विकासकर्ता वर्तमान विनियमों के अनुसार यदि अधिकतम एफ.ए.आर. का लाभ प्राप्त करना बाहता है तो टी.डी.अ.र. का उपयोग अथवा नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होने पर अनुझेय किया जा सकता है। जविप्रा/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम द्वारा नीलामी से वेचे गये/आवंटित भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही प्रचलित नियमानुसार विक्रय/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष पश्चात् ही की जा सकेगी एवं समस्त मानदण्ड परिवर्तित उपयोग की तालिका अनुसार अनुक्षेय होंगै। जिन भूखण्डों का मास्टर विकास योजना में उपयोग के अनुरूप उपयोग किया जाना आशायित हों, उनमें समय की बाध्यता नहीं होगी।



19.7 विशेष प्रावधान :-

- 1. हैरिट्रेज संरक्षण :- जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र, घाट की गूणी, आमेर एवं अन्य ऐतिहासिक / पुरातत्व के क्षेत्रों हेतु पृथक से विशेष हैरिटेज रेगूलेशन जारी किये जाएंगे। हैरिटेज संरक्षण हेतु प्रमावी विनियम के प्रावधान भवन विनियमों के प्रावधानों से सर्वोपरी होंगे।
- 2. जयपुर राहर के मास्तर प्लान में दर्शाए गए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र (U-1) के बाहर न्यूनतम 30 मीटर चौडी सडकों पर विशिष्ट प्रकृति के भवनों के लिए अलग से राज्य सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। भूखण्ड पर निर्माण सड़क की चौड़ाई के आधार पर तालिका "7" के प्रावधानानुसार पार्किंग मानदण्ड व सुरक्षा मानदण्ड को ध्यान में रखे जाकर अनुझेय किया जा सकेगा।
 - 3. 1500 वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड पर पार्किंग टावर का भवन की ऊँचाई. के अनुरूप निर्माण अनुजेय किया जा सकेगा, जिसमें सेटबेक तालिका '4" के अनुरूप होंगे एवं सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र एफ.ए.आर, की गणना से मुक्त होगा तथा अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन पार्किंग टावर के लिए देय होगा।
 - पुन-विकास योजनाओं (Redevelopment Scheme):— नगरीय क्षेत्र में पूर्व में बनाई गई योजनाओं यथा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि के संबंध में पुनिवकास की योजनाएं बनाई जा सकेगी। ऐसी योजनाओं के भूखण्डों मय सडकों आदि को संयुक्त रूप से मिलाकर अनुडोय किये जाने हेतु पृथक से मापदण्ड निर्धारित किए जावेंगे, जिनको इन विनियमों का भाग माना जावेगा, इन क्षेत्रों का चिन्हिकरण, विस्तृत भवन मापदण्ड एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे। इस प्रकार की Redevelopment Scheme हेतु प्रोत्साहन स्वरूप Incentive दिये जायेगें तथा एफ.ए.आर. एवं अन्य मापदण्डों में शिथिलता भी दी जा सकेगी।
 - क्षण ऐसी योजनाएँ Swiss Challenge आधार पर भी बनाई जा सकेंगी।
 - 8. मास्टर विकास योजना में जिन सडकों के सहारे भू—उपयोग व्यावसायिक दर्शित है उन भूखण्डों की गहराई सडक की चौडाई की अधिकतम डेढ गुणा देय होगी। यदि भूखण्ड की गहराई सडक की चौडाई से डेंढ गुणा से अधिक है तो राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
 - 9. मैट्रो रेल य बी.आर.टी.एस. के निर्माण के लिए डेडीकेटेड फण्ड सृजित करने के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. नियमानुसार बेटरमेंट लेवी (Betterment Levy) लिए जाने पर अनुझेय होगा जो निम्नानुसार है:-
 - (क) जयपुर शहर (चार दीवारी क्षेत्र, हैरिटेज की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को, व तालिका—6 को छोड़कर) में प्रस्तावित मैट्रो रेल / बी.आर.टी.एस. रूट पर तालिकाओं (तालिका 2, 3, 4) में दर्शाये गये अधिकतम एफ.ए.आर. के अतिरिक्त असीमित एफ.ए.आर. (अन्य मानदण्ड भवन विनियम अनुसार रहेगें) नियमानुसार बेटरमेंट लेवी तालिका—9 के अनुसार ली जाकर अनुझेय होगी।

तालिका-9

7 4 5 7 21	AMICIAL S	
अतिरिक्त अनुझेय	आवासीय/संस्थागत परिसरों के लिए	व्यावसायिक परिसरों के लिए
एफ.ए.आर.		
(2.25 से अधिक)		
1.	. 2	3
0 से 1,00 तक	30% बेटरमेंट लेवी	30% बेटरमेंट लेवी
	, (आयासीय आरक्षित दर की)	(व्यावसायिक आरक्षित दर् की)
1.00 से 2:00 तक		35% बेटरमेंट लेवी
	(आयासीय आरक्षित दर की)	(व्यायसायिक आरक्षित दर की)
	(2.25 से अधिक) 1	एफ.ए.आर. (2.25 से अधिक) 1 2 0 से 1.00 तक 30% बेटरमेंट लेवी (आयासीय आरक्षित दर की)

(आवासीय आरक्षित दर की) नोट :- होटल प्रकरणों के लिए अनुज्ञेय अधिकतम 3.00 एफएआर से अधिक होने पर तालिका '9' के


- (ख) प्रस्तावित मैट्रो रेल /बी.आर.टी.एस. रूट, जयपुर शहर घार दीवारी क्षेत्र, हैरिटेज की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, व तालिका-6 में वर्णित सङ्कों को छोड़कर अन्य सभी सङ्कों को तालिकाओं (तालिका 2, 3, 4, 5) में दर्शाये गये अधिकतम एफ.ए.आर. से अतिस्थित एफ.ए.आर, बेटरमेन्ट लेवी तालिका-9 के अनुसार देय होगी। किन्तु 24 मीटर से अधिक एवं 30 मीटर से कम घौड़ी सड़क पर अतिरिक्त एफ.ए.आर. 0.5 व 30 मीटर से अधिक व 48 मीटर तक चौड़ी सड़कों पर 1.00 अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा। 48 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर असीमित एफएआर अनुज्ञेय किया जा सकेगा। 24 मीटर से कम घौड़ी सड़क पर अतिरिक्त एफएआर देय नहीं होगा।
- 10. आतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए आवश्यक मापदण्ड :-

1

- (क) अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान करना होगा, जिसकी पूर्ति
- (ख) अतिरिक्त एफ.ए.आंर. बहुमंजिलें व्यावसायिक व आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत परिसर/
- अतिरिक्त एफ.ए.आर. का प्रावधान सभी योजना/गैर योजना/डिस्ट्रिक्ट सेन्टर/नीलामी द्वारा पलोर एरिया बेसिस / कुल निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर पूर्व में भी बेचे गये भूखण्ड आदि पर भी अतिरिक्त देय होगा।
- अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग पूर्व में निर्मित, अर्द्ध निर्मित भवन पर एवं कम्पाउण्डिंग हेतु
- भ्खण्ड पर इस अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग, अनुज्ञेय ऊचाई में नहीं कर पाने की दशा में 50 प्रतिशत तक अधिकतम आच्छादित क्षेत्र अनुक्षेय होगा। उक्त शिथिल्ता अग्र सेटबैक को छोड़कर बाकी सेटबैक में 1 स्टेप नीचे का देय होगी।
- 11. राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में निर्मित आवासीय भवनों में भवन कर्ता अवन विनियमों के आधार पर आवश्यक संशोधन यथा ऊपरी मंजिल पर विनियमों में देय ऊँचाई किस निर्माण कर सकेगा। इसके लिए पृथक से अनुमति लेनी की आवश्यकता नहीं होगी केवल राजस्थान आवासन मंडल / जननि को निर्माण से पूर्व सूचना प्रेषित की जानी होगी। यदि अतिरियंत निर्माण नियमों के प्रावधानों से अधिक किया गया है तो उसके संबंध में नियमबद्धता नियम के अनुसार कार्यवाही की
- 12. राज्य सरकार द्वारा जारी नई टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं इन विनियमों के लागू होने के उपरान्त नई परियोजना प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण योजना क्षेत्र पर ग्लोबल एफ.ए.आर. नई टाउनशिप पॉलिसी 2010 में वर्णित अनुसार ही होगी।
- 13. ग्रीन वित्डिंग्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से
- 14. भवन मानचित्र स्वीकृति के पश्चात् भवन के निर्माण के द्वौरान यदि जनहित में यह उचित प्रतीत किया गया कि यातायात बाधित होने की स्थिति या अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति जैसे आर.ओ.बी., रेल्वे लाईन व अन्य सुरक्षा कारणों के फलस्वरूप स्वीकृत मानचित्र में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार की पूर्वानुमित से ऐसा किया जा सकेगा।


111-3 A.Q.)


कुई (शापट)



ऐस्पेस्टम शीट व फीट जंती। समतस सीमेन्टेड वेंदा

TH'S





- खराब या सूखा बोरिगं / ट्यूबर्वेत (किसी भी गहराई का)

C

तमवत सीमेरेड पैदा

पानी सोखने का

अनुसूची-5 निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है।

भवन मानचित्र अनुमोदन संबंधित दरें

- 3. जांच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय)
 - . (अ) आवासीय / संस्थागत (व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग) (ब) व्यावसायिक

रूपये 10/- प्रति वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर रूपये 30/- प्रति वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर

- 11. (अ) उप विभाजन हेतु निम्न राशि देय होगी— रूपये 50/- प्रति वर्गमीटर (स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल पर)
 - (य) पुर्नगटन हेतु निम्न राशि देय होगी-रूपये 100/- प्रति वर्गमीटर
- 13. कम्प्लीशन सर्टिफिकेट शुल्क —
 सभी वहुमंजिले भवनों (15 मीटर से अधिक) ∤ 15 मीटर से कम किन्तु 5000 वर्गमीटर से
 अधिक निर्मित क्षेत्रफल के लिये कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा,
 जिसकी दरें निम्न प्रकार होगी —
 आवासीय 15 रू. प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र।
 व्यावसायिक / संस्थागत 30 रू. प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र।
- 18. पंजीकृत वकील द्वारा स्वामित्व के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदक से निम्न प्रकार शुल्क लिया जा सकता है :-
 - (i) 500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिए रू. 500/-
 - (ii) 500 वर्गमीटर तक से अधिक के आवासीय भूखण्ड के लिए क. 1000/-
 - (iii) 500 वर्गमीटर तक के आवासीय से भिन्न भूखण्ड के लिए क. 1000/-
 - (iv) 500 दर्गमीटर से अधिक के आवासीय से रू. 2000/-
- 19. 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर तीन से अधिक आवासीय ईकाइयों का निर्माण प्रस्तावित होने पर प्रति ईकाई 10,000 रूपये अतिरिक्त राशि देय होगी।
- 20. हॉस्टल / गेस्ट हाउस के प्रकरणों में अतिरिक्त भवन अनुज्ञा शुल्क निर्मित क्षेत्रफल पर 60 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।
- 21. प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए वृक्ष नहीं लगाने पर रू. 100/- प्रति वृक्ष की राशि जविप्रा/ज.न.नि. में जमा करवानी होगी।
- 22. अमानत राशि विनियम संख्या 14.14 के अनुसार देय होगी।

डॉ. लोकनाथ सोनी, सचिव, जयपुर विकास प्राचिकरण, जयपुर। -100

11.

हाउसिंग पॉलिसी के तहत ई.डब्ल्यू .एस तथा एल.आई.जी. के लिए आधारभूत स्विधाओं के विकास के लिए किया जायेगा :-निर्मित क्षेत्र पर गणना की जाएगी

व्यावसायिक (i)

25 / - रू. प्रति वर्गमीटर

आवासीय / संस्थागत (ii)

10 / - रू. प्रति वर्गमीटर

(व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग)

फार्म हाउस के लिए आवासीय हेतु निर्धारित शुल्क के बराबर शुल्क देय होगा। 8.

बेसमेंट / स्टिल्ट में पार्किंग हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। 9.

मलबे के लिये निम्न राशि देय होगी :-10.

> 500वर्गमीटर तक (i)

1000/-

500 - 1000 वर्गमीटर तक (ii)

5000/-

1000 वर्गमीटर से अधिक (iii)

10000/-

मलवे के लिए जो राशि प्रस्ताद्वित की गई

हिंगार्टी द्वाराज्यवाने पर प्रतिदेय

(Refundable) होगी।

रूपये 50 / - प्रति वर्गमीटर

उप विभाजन पुनर्गठन हेर्नु निम्निस्क्रिक्टिय होगी (स्वीकृत योग्य भूखण्ड स्त्रियफल पर)

पार्किंग के लिये का राशि होगी : 75000 / समतुल्य कार पार्किंग यह राशि तालिका

'4' के क्र. सं. (ब) (1) ही ही लागू होंगी।

अधिवास प्रमाण शुल्क -13. सभी बहुमंजिले भवनों (15 मीटर से अधिक) के लिये कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, जिसकी दरें निम्न प्रकार होंगी -आवासीय - 15 रू. प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र। व्यावसायिक / संस्थागत - 30 रू. प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र।

भवन विस्तार -14. यदि किसी पूर्ण निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो भू-तल, प्रथम तल

व द्वितीय तल को छोड़कर शेष अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र पर क. सं. 5 के

अनुसार राशि देय होगी।

आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मानियूत्र की वैध 15.

यदि निर्धा सं. 4 व 5 चैरिटेबल र विधवा आ

अवधि के

4 एवं 5 रे

नवीनीकरण

प्रस्तावित! छूट दी ज

पंजीकृत व प्रकार शुल

(i) 50

(ii) 50 भूर

(iii) 50

(iv) 50 भिग